पंचम माला, खंड 43, अंक 24 — शुक्रवार, 23 अगस्त, 1974/1 भाद्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLIII No. 24 — Friday, August 23, 1974/Bhadra 1, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 43 में अंक 21 से 30 तक है / Vol. XLIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये — *Price* : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 24, शुक्रवार, 23 अगस्त, 1974/1 भाद्र, 1896 (शक)

No 24, Friday, August 23, 1974/Bhadra 1, 1896 (Saka)

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
467.	हथियारों के आयात के लिए लाइसेंस देना	Grant of Licences for Import of Weapons	1–3
469.	भविष्य निधि में ब्याज की दर	Rates of Interest of G.P.F.	3–5
474.	आसाम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Assam ..	5–6
475.	इंडियन एयरलाइंस के किरायों में वृद्धि	Increase in Fares of Indian Airlines	6–9
476.	हथकरघा उद्योग संबंधी शिवरामन समिति की सिफारिशें	Recommendations of Sivaraman Committee on Handloom Industry	9–12
479.	औद्योगिक निर्बाध क्षेत्र के रूप में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	Andaman and Nicobar as Industrial Free Zones ..	12–13
480.	कृषि पुनर्वित्त निगम की पंजाब के सीमाक्षेत्र के लिए योजना	Scheme by ARC for Border Area of Punjab	13–15
481.	100 रु० के फटे-पुराने नोटों के पुनः परिचालन में लगे रिजर्व बैंक के अधिकारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Officers of R. B. I. Engaged in Re-circulation of Soiled Notes of 100 Rupees Denomination ..	15
	अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTIONS	
	अ०सू०प्र० संख्या-6 जमुना कोलियरी, मध्य प्रदेश के श्रमिकों पर अपराधियों द्वारा हमला।	Workers of Jamuna Colliery, M.P. Attacked by Gangsters ..	16–24
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.			
468.	उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आयकर देने वाले 50 व्यक्ति	50 Top Income Tax Payers in U.P.	24–25

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
470.	अमरीका को काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper to USA	26
471.	धनवान कृषकों द्वारा करापवंचन	Evasion of Taxes by rich Agriculturists	26–27
472.	हस्तकला वस्तुओं का निर्यात	Export of Handicraft Goods ..	27–28
473.	तमिलनाडु में पर्यटन विकास	Tourism Development in Tamil Nadu	28
477.	पालम हवाई अड्डे पर उतरते समय विमानों के टायरों का फटना	Bursting of Tyres of Planes while Landing at Palam Airport ..	28–29
478.	न्यू सिटीजन बैंक आफ इंडिया के बैंक आफ बड़ौदा में विलय के परिणाम स्वरूप इस बैंक के जमाकर्ताओं को अदायगी	Payment to Depositors of New Citizen Bank of India as a result of its amalgamation with Bank of Baroda	29
482.	स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण सुविधा बंद किए जाने के बारे में अखिल भारतीय निर्माता संगठनों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by All India Manufacturers' Organisations regarding Credit Squeeze imposed by State Bank of India ..	29–30
483.	मेवों का आयात	Import of Dry Fruits	30–31
484.	विश्व बाजार में भारतीय चाय की बिक्री	Sale of Indian Tea in World Market	31–32
485.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की गई 'साइजिंग' मशीनें	Sizing Machines imported by STC	32
486.	गुजरात में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Gujarat	32–33
487.	चाय के निर्यात से आय	Export Earnings from Tea	33

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.			
3309.	दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	Export of handicraft goods	33–34
3310.	मादक औषधियों के उत्पादन तथा प्रयोग को रोकने के निए औषध संबंधी कानून	Drug laws to check production and use of Narcotics	34
3311.	रबड़ उत्पादकों को प्रोत्साहन	Incentives to Rubber Growers ..	34–35
3312.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी द्वारा मैसर्ज रतनसी मूलजी को अनियमित रूप से अग्रिम धन देने का समाचार	Alleged Irregular Advances made by New India Assurance Company to Messrs Ratansi Mulji ..	35–36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3313.	नेपाल को ट्रकों का निर्यात	Export of Trucks to Nepal	36
3315.	खाद्यान्न वसूली अभियान पर रिजर्व बैंक ऋण प्रतिबंध	Reserve Bank Credit Squeeze on Food Procurement Drive ..	36
3316.	राज्य व्यापार निगम को ऊनी चीथड़े आयात करने के लिए लाइसेंस	Licences for Import of Woollen Rags to STC	37–38
3317.	केरल में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Kerala	38–39
3318.	भारत बंगलादेश सीमा पर तस्करी	Smuggling on India Bangladesh Border	39
3319.	रबड़ उद्योग का विकास	Development of Rubber Industry	39–40
3320.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का प्रदर्शनियों में भाग लेना	Participation in Exhibitions by Marine Products Export Development Authority ..	40–41
3321.	भारतीय व्यापार दल द्वारा दक्षिण पूर्व अफ्रीका का दौरा	Visit by Indian Trade Team to S.E. Africa	41
3322.	प्रत्यक्ष करों की उगाही	Collection of Direct Taxes	41–42
3323.	विदेशों को एयर इंडिया की उड़ानें	Air India Flights to Foreign Countries ..	42–43
3324.	दोहरे कराधान को रोकने हेतु कीनिया के अधिकारियों के साथ बातचीत	Negotiations with Kenya Officials to Avoid Double Taxation ..	43–44
3325.	बंगला देश से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from Bangladesh	44
3326.	हिसाब खाता न दिखाने वाले दिल्ली के व्यापारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Businessmen of Delhi for failure to present Accounts.	44–45
3327.	भारत सरकार मुद्रणालय के फरीदाबाद में काम कर रहे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी	Payment of HRA and CCA to Government of India Press Employees working at Faridabad ..	45
3328.	तस्करी को रोकने के लिए उपाय	Measures to check smuggling	45
3329.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के फिकस्ड और करेन्ट डिपाजिट के बन्द पड़े खाते	Dead Accounts of Fixed and Current Deposits of Nationalised Banks	46
3330.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक ऋण का पुनर्नियतन	Re-allocation of Bank Credits in Nationalised Banks ..	46–47
3331.	सस्ते कपड़े की बिक्री	Sale of cheap cloth	47–48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3332.	कपड़ा उद्योग के विकास के लिए ईरान से सहायता	Aid from Iran for Development of Textile Industry	48
3333.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा-राशि में वृद्धि	Growth of Deposits in Scheduled Commercial Banks ..	48–49
3334.	तस्करी के आरोप में बंगलादेश द्वारा पकड़ी गई भारतीय नौकाएं	Indian Boats Apprehended by Bangladesh on Charge of Smuggling	49
3335.	तस्करी विरोधी कार्य में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन	Incentives to State Governments for their participation in Anti smuggling Operations. ..	49–50
3336.	गुजरात में रूई के लिए गोदाम सुविधाएं	Godown Facilities for Cotton in Gujarat	50
3337.	जवाहरातों और जेवरातों का निर्यात	Export of Gems and Jewellery	50
3338.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के महंगाई भत्ते	Dearness Allowance of Class I Officers	51
3339.	केरल अखबारी कागज की योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से सहायता	Assistance from International Development Association for Kerala Newsprint Project ..	51
3340.	विश्व बैंक की ब्याज दर में वृद्धि	Increase in lending Rate of World Bank	51–52
3341.	खाद्यान्नों तथा उर्वरकों लिए तीन व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिया गया ऋण	Loans Advanced by a Nationalised Bank to Three Business Men for Food and Fertiliser ..	52
3342.	कागज के निर्यात पर प्रतिबंध	Ban on Export of Paper	52
3343.	कर्नाटक में हथकरघा विकास निगम की स्थापना	Setting up of Handloom Development Corporation in Karnataka ..	53
3344.	नारियल जटा का निर्यात	Export of Coir Goods	53
3345.	सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों की दी गई सुविधाएं	Facilities Allowed to Employees working in Public Sector Undertakings	53–54
3346.	इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात संबंधी कर्णधार दल (स्टीयरिंग ग्रुप)	Steering Group on Export of Engineering Goods	54
3347.	कम वजन वाले डिब्बों के बारे में संभावित कानूनी प्रतिबंध	Likely legal curbs on underweighing Cans	54
3349	बांडों का जारी किया जाना	Issue of Bonds	55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3350.	इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में वृद्धि	Increase in export of Engineering Goods	55
3351.	बड़े व्यापारियों द्वारा बैंक ऋण का कथित दुरुपयोग	Alleged misuse of bank credit by big businessmen ..	55
3352.	कपड़े की नियंत्रित तथा अनियंत्रित किस्म के मूल्य	Prices of controlled and non controlled varieties of clothes ..	56
3353.	पेट्रोल की कमी के कारण सेवाओं में कमी किया जाना	Curtailment of services due to shortage of fuel	57
3354.	नेताजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर तथा सरोजनी नगर में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा पत्थर के बाटों का प्रयोग किया जाना	Use of Stone Weights by fair price Shop in Netaji Nagar, Laxmi Bai Nagar and Sarojini Nagar ..	57
3355.	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चलाए गए मुकदमे	Prosecutions under Essential Commodities Act	57–58
3356.	बिहार में बैंक आफ इंडिया की शाखा द्वारा किसानों को ऋण देना	Loan to farmers by branch of Bank of India in Bihar	58
3357.	छोटे काफी उत्पादकों को हुई कठिनाइयां	Difficulties experienced by Small Coffee Growers	58
3358.	इंडियन एयरलाइंस को हुआ घाटा	Loss suffered by Indian Airlines	59
3359.	विदेश निर्मित कारों का खरीदा जाना	Purchase of foreign made cars	59–60
3360.	क्रेता चैक योजना का लागू किया जाना	Introduction of purchasers cheque scheme	60
3361.	धन की कमी के बारे में उद्योगों द्वारा किये गये अभ्यावेदन	Representations made by industries in regard to paucity of funds ..	60–61
3362.	मुद्रा सप्लाई में वृद्धि	Increase in Money Supply	61
3363.	आयात संपूर्ति लाइसेंस दिया जाना	Grant of Import Replenishment Licences	62
3364.	छपाई कागज को खरीदने के लिए काला धन	Black Money for purchase of printing Paper	62–63
3365.	यगोस्लाविया को वैगनों की सप्लाई	Supply of Wagons to Yugoslavia ..	63
3366.	अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Newsprint in International Market ..	63–64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3367.	ग्राम्य पर्यटन विकास के लिए योजना	Scheme for Developing Rural Tourism	64
3368.	राज्यों को वित्तीय सहायता देने के मापदण्ड	Criteria for giving Financial Assistant to States	64–65
3369.	जे० के० के० ग्रुप से आयकर की वसूली	Recovery of Income tax from J.K.K. Group	65
3370.	पश्चिम बंगाल में युवा उद्यमियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता	Financial Assistance by Nationalised Banks to Young Entrepreneurs in West Bengal	65–66
3371.	बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालक	Unemployed Commercial Pilots ..	66–67
3372.	सोने की तस्करी रोकने के उपाय	Steps to check smuggling of Gold	67
3373.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ब्याज की दरें बढ़ाना	Raising of Lending Rates by Industrial Development Bank of India	67–68
3374.	तस्करी को रोकने के उपाय	Steps to check Smuggling	68
3375.	कनारा बैंक, सिंडीकेट बैंक और इंडियन बैंक में अधिकारियों, क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों के रिक्त पद	Vacancies of Officers, Clerks and Subordinate Staff in Canara Bank, Syndicate Bank and Indian Bank	68
3376.	रिजर्व बैंक में और राष्ट्रीयकृत बैंकों में कृषकों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि	Representatives of Farmers and S.C. and S.T. in Reserve Bank and Nationalised Banks ..	69
3377.	राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिए गए ऋण	Loans Advanced to S.C. and .T. by Nationalised Banks ..	69–70
3378.	कर्नाटक में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Karnataka	70–71
3379.	व्यपगत पालिसियों को पुनर्जीवित करने की योजना	Scheme for Revival of Lapsed Policies	71
3380.	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों के वितरण में असमानताएं	Disparities in Distribution of Loans by Financial Institutions ...	71–72
3381.	पर्यटक स्थलों के संबंध में प्रचार सामग्री रिलीज करना	Release of Publicity Material regarding Tourist Spots ..	72–73
3382.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना	Credit Facilities by Nationalised Banks to Small Industries ..	73–74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3383.	आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities	74–75
3384.	गुजरात में पर्यटक स्थलों का विकास	Development of Tourist Spots in Gujarat	75–76
3385.	औद्योगिक विकास के लिए एकाधिकार गृहों को बैंक ऋण	Bank Loan to Monopoly Houses for Industrial Development ..	77–78
3386.	राउरकेला-कलकत्ता के लिए नियमित विमान सेवा	Regular Air Service to Rourkela-Calcutta	78–79
3387.	उड़ीसा की निर्यात संभाव्यताओं की जांच	Orissa's Export Potential	79
3388.	एयर इंडिया द्वारा जम्बो जेट विमानों की खरीद	Purchase of Jumbo Jets by Air India	79–80
3389.	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटक स्थलों का विकास	Development of Tourist Spots by ITDC ..	80
3390.	विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण	Indianisation of Foreign Companies	80–82
3391.	पूर्वोत्तर प्रदेश के राज्यों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं	Amenities for Tourist in North Eastern Region States ..	82
3392.	पूर्वोत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास	Development of Tourist in North Eastern Region	82–83
3393.	राजगिर (बिहार) में पर्यटकों के लिए आवासन	Accommodation for Tourists in Rajgir (Bihar)	83–84
3394.	पंजाब नेशनल बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा पौंग बांध विस्थापितों में से की गई भर्ती	Recruitment of Staff by Punjab National Bank and other Banks from Pong Dam Oustees ..	84–85
3395.	देश में राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित तथा गैर–अनुसूचित बैंकों की संख्या	Nationalised, Scheduled and Unscheduled Banks in India ..	85–86
3396.	आयातित माल	Imported Goods	86–87
3397.	पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres ..	87
3398.	केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala	87–88
3399.	अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रार्थियों का सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्त करना	Appointment of Candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on Higher Posts in Public Sector Undertakings	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3400.	बिहार में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Bihar	88-89
3401.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जब्त किए गए करेंसी नोट	Currency Notes impounded by RBI	89
3402.	भारतीय रूई निगम का कार्यकरण	Working of Cotton Corporation of India	89
3403.	काफी के मूल्य में वृद्धि	Increase in the price of Coffee	90
3404.	अमरीका के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with USA	90
3405.	ऋणों पर राक लगाने संबंधी नीति में छूट देने के बारे में भारतीय वाणिज्य संघ, कलकत्ता द्वारा दिया गया अभ्यावेदन	Representation made by Indian Chamber of Commerce, Calcutta regarding relaxation in Credit Squeeze Policy	90-91
3406.	देश में निर्मित ट्रैक्टरों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Indigenous Tractors	91
3407.	श्रीराम नन्दराम और नन्दराम झाबुरमल के आयकर का निर्धारण	Assessment of Income Tax against Sri Ram Nandaram and Nandram Jhaburmull	91-92
3408.	भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के निष्पत्ति बजट	Performance Budgets of Ministries and Departments of Government of India .. — ..	92
3409.	वनस्पति संकट	Vanaspati Crisis	92
3410.	अयस्कों का निर्यात	Export of Ores	92
3411.	भोपाल स्थित जीवनबीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के विरुद्ध शिकायतें	Complaints received against Regional Office of LIC at Bhopal ..	93
3412.	जमाखोरों से पकड़ा गया अनाज तथा अन्य वस्तुएं	Foodgrains and other Commodities seized from Hoarders ..	93
3413.	आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities	93-94
3414.	लीची और केले का निर्यात	Export of Lichi and Bananas	94
3415.	स्टेट बैंक की दानापुर शाखा के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Danapur Branch of State Bank — ..	94
3416.	जयपुर में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का गोदाम	Godown of MMTC in Jaipur —	94
3417.	राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड	National Tourism Board —	94-95
3418.	नकली रेशम बुनाई उद्योग	Art Silk Weaving Industry	95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3419.	पूर्व यूरोप के देशों को व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation to East European Countries	95–96
3420.	ऋण देने पर लगाये प्रतिबंध में ढील देने के बारे में इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा किया गया अनुरोध	Request made by Indian Sugar Mills Association regarding relaxation of credit squeeze	96
3421.	अखिल भारतीय कृत्रिम रेशम निर्माता एसोसिएशन द्वारा कारखानों का बंद किया जाना	Closure of factories by Art Silk Manufacturing Association	96–97
3422.	शत्रु सम्पत्तियों के मामले को बंगला देश के साथ निपटाना	Settlement of issue of enemy properties with Bangladesh ..	97–98
3423.	सरकारी व्यय में मितव्ययिता	Economy in Government Expenditure	98
3424.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	D.A. to Central Government Employees	98–99
3425.	स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण देने पर लगाये गए प्रतिबंध का छोटे उद्यमकर्ताओं पर प्रभाव	Effect of credit squeeze imposed by S.B.I. on Small Entrepreneurs ..	99–100
3426.	गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Gujarat ..	100
3427.	चाय कम्पनियों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income Tax by tea companies	100–101
3428.	रिजर्व बक आफ इंडिया के एक्सचेंज नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कदाचारों को रोकने के लिए कार्यालय	Steps to check malpractices by officials of Exchange Control Department of RBI	101
3429.	योजना तथा गैर-योजना व्यय की जांच करने के लिए अध्ययन दल की नियुक्ति	Appointment of Study Group to Scrutinise the Plan and non plan expenditure	101–102
3430.	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटक सुविधाओं में सुधार करने के बारे में प्रस्ताव	Proposal to improve tourist facilities by ITDC	102
3431.	अखबारी कागज का आयात	Import of newsprint	102
3432.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से खनिजों का निर्यात	Export of minerals through MMTC	103

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	103–104
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	104
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	104
प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक	Direct Taxes (Amendment) Bill	104
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1974-75	Supplementary Demands for Grants (General) 1974-75 ..	104
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	104
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh ..	104
सभा का कार्य	Business of the House	105–110
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक खंड 4 से 6	Essential Commodities (Amendment) Bill Clauses 4 to 6 ..	111–115
विधेयक पुरः स्थापित	Bills introduced :	
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 101, 102 आदि का संशोधन) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 101,102 etc.) by Shri Priya Ranjan Das Munsi	115
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 101, 190 का संशोधन) डा० कर्णी सिंह द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 101, 190) by Dr. Karni Singh ..	115–116
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 54 और 71 का संशोधन) श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 54 and 71) by Shri Atal Bihari Vajpayee ..	116
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) प्रो० नारायण चन्द पराशर द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Eighth Schedule) by Prof. Narain Chand Parasher	116
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक (नवम् अनुसूची का संशोधन) श्री अर्जुन सेठी द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Ninth Schedule) by Shri Arjun Sethi ..	117
(छह) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक (धारा 17 और द्वितीय अनुसूची का संशोधन) प्रो० मधु दण्डवते द्वारा	Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill (Amendment of Section 17 and Second Schedule) by Prof. Madhu Dandavate. ..	117

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन) डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 19 and 326) by Dr. Laxminarain Pandeya ..	117–125
विचार किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ	Motion to consider—Negatived ..	125
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	117
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P.M. Mehta	118
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	118
श्री कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	118
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	118
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur ..	118
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E.R. Krishnan	119
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey ..	119
श्री रामरतन शर्मा	Shri R.R. Sharma ..	119
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla ..	119
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	120
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	120
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	120
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	120
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	121
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ..	121
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	122
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma ..	122
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	123
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhuary ..	123
श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	124
संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 83 क का अन्तःस्थापन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of New Article 83-A) by Shri C. K. Chandrappan ..	125

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	125
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	125
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion.	
इस्पात के वितरण की नई प्रणाली	New System of Steel Distribution	126-128
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	126
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	127

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 23 अगस्त, 1974/ भाद्र 1, 1896 (शक)
Friday, August 23, 1974/1 *Bhadra*, 1896 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हथियारों के आयात के लिए लाइसेन्स देना

+

***467. श्री माधवराव सिन्धिया :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रायफल एसोसियेशन आफ इंडिया ने भारत में चांदमारी (टारगेट शूटिंग) को बढ़ावा देने हेतु उन्नत किस्म की रायफलों का आयात करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या 16 महीने के बाद एसोसियेशन से कहा गया है कि वह अपनी आवश्यकताएं अहमदाबाद की एयरगन बनाने वाली कम्पनी से, यद्यपि वह उन्नत किस्म की राफलें नहीं बनाती हैं, पूरी करें; और

(ग) इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के परामर्श पर आवेदक को स्वदेशी विनिर्माता से सम्पर्क करने के लिए कहा गया था । आवेदक से प्राप्त एक और अभ्यावेदन पर रक्षा उत्पादन मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है । आवेदन पत्र के निपटाने में प्रशासनिक

विलम्ब हुआ है क्योंकि इस मद का आयात सामान्यत: अनुज्ञेय नहीं है और इस लिए भी कि शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने स्वदेशी क्लियरेंस प्राप्त किये बिना आयात की सिफारिश की थी ।

Shri G.P. Yadav : First of all I would thank the hon. Minister for giving the reply although after 16 months. But the point is that the National Rifle Association of India had asked for the facility to import better type of rifles for target shooting but the Government has asked them to contact Ahmedabad Airguns Factory. . .

Mr. Speaker : I am the President of this Association and if you want I would go out of the House and ask some others to hold the chair.

Have you any objections? नैतिक दृष्टि से मुझे यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न इस समय आया है जबकि मैं यहां अध्यक्ष के नाते बैठा हूं । इस लिए यही बेहतर है कि मैं यहां से चला जाऊं और किसी अन्य को अध्यक्षपीठ पर बैठने को कह दूं ।

Shri G.P. Yadav : His Ministry has given an answer after 16 months but they have not specified any reason therefor.

Secondly, how can our representatives can participate in the International Rifle Tournaments which is represented by Dr. Karni Singh, M.P. when he can only practice with the Airguns which covers a range of only 15-16 yards' targets.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इतना समय लग जाने पर मैं प्रसन्न नहीं हूं परन्तु मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि इसके कुछ प्रक्रिया संबंधी कारण हैं अब वे चाहे अच्छे हैं या बुरे आप चाहे जो समझ लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने इस प्रश्न के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमें इस मामले को शिक्षा मंत्रालय को भेजना पड़ा और उन के पास अपनी कोई विदेशी मुद्रा नहीं थी जिसके आधार पर वे हमें मंजूर करते । इसके अतिरिक्त तकनीकी विकास के महानिदेशालय से भी अनुमति लेनी पड़ती है जिसने हमें सलाह दी कि पहले हम यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की राइफल देश में उपलब्ध नहीं है । इसके लिए अहमदाबाद पत्र लिखा गया और हमें पूछने पर पता लगा कि उक्त राइफल हमारे प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी । अब हमने प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग से पूछा है कि क्या वे इनको बना सकते हैं । यदि वे बना सकें तो हम उन्हें सप्लाई करने को कहेंगे । अन्यथा फिर हम कोई अन्य तरीका अपनायेंगे । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बारे में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूंगा और इस मामले को यथासंभव शीघ्र निपटाने का प्रयास करूंगा ।

Shri G.P. Yadav : The hon. Minister has not replied to my question in respect of International competitions. We are not having good rifles and so how can our representative Dr. Karni Singh can compete successfully ? What steps are therefore, being taken in this behalf ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पुन: कहूंगा कि मैं इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर इस मामले में यथासंभव शीघ्र कार्यवाही करूंगा ।

श्री वसन्त साठे : मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय अहमदाबाद की किस कंपनी की बात कह रहे हैं परन्तु एक कम्पनी ऐसी है जिसे मैं जानता हूं कि आधुनिक गैस सिलेन्डर युक्त बढ़िया किस्म की राइफलें बनाती रही हैं । परन्तु क्योंकि गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं वही स्प्रिंग वाली पद्धति वह अब अपनाना चाहती है । मंत्रालय में एक तकनीकी दिकक्त के कारण ही मंत्रालय यह अनुमति

नहीं दे रहा है। क्या आप इस कम्पनी को कोई तकनीकी आपत्ति उठाये बिना यह अनुमति देंगे ? वे बहुत ही बढ़िया राइफलें हैं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : संभव है, परन्तु मैं राइफलों का विशेषज्ञ नहीं हूं ।

श्री वसन्त साठे : हम दें और हम इस चीज को जानते हैं । इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय भी जानते हैं जोकि स्वयं एक अच्छे निशानेबाज हैं ।

प्रो० चट्टोपाध्याय : मैं तो अपनी बात कर रहा हूं । मेरे पास इतनी तकनीकी जानकारी नहीं है । परन्तु मुझे बताया गया है कि नेशनल राइफल लिमिटेड अहमदाबाद के पास इस प्रकार की राइफलें बनाने का अधिकार नहीं है । इसी लिए हमने रक्षा उत्पादन विभाग से सम्पर्क किया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या यह सच नहीं है कि जब नेशनल राइफल एसोसियेशन ने .22 मिनियेचर राइफलों के आयात के लिए लायसेंस हेतु आवेदन किया तो उन्होंने आवेदन पत्र देखने से पहले ही उन्हें हवाई-राइफलें खरीदने की सलाह दे डाली । मन्त्री महोदय ने कहा कि विदेशों से बन्दूकों का आयात करने की उनकी नीति नहीं है । क्या यह सच नहीं है कि दो वर्ष पूर्व उन्होंने चैकोस्लोवाकिया से बड़ी संख्या में .22 राइफलों का आयात करने की अनुमति दी थी । जब वह यह नीति अपना ही चुके हैं तो फिर उस आवेदन पत्र को इस प्रकार क्यों रोक रखा है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसाकि मैंने कहा कि यदि डी०जी०टी०डी० से ज्योंही अनुमति मिलती है कि उक्त राइफल देश में उपलब्ध नहीं हो सकती तो हम अवश्य ही अनुमति देते हैं और अनुमति दी भी है । इसमें झूठ क्या कहना । परन्तु इस मामले में यह अनुमति नहीं मिल सकी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमन् क्योंकि आप इस राष्ट्रीय राइफल एसोसियेशन के अध्यक्ष हैं इस लिए आप बता सकते हैं कि मंत्री महोदय का उत्तर सही है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इस प्रश्न से दूर ही रहना चाहता हूं । परन्तु क्योंकि आपने मुझे बीच में डाल ही दिया है तो मैं मंत्री महोदय को बता दूं कि दो वर्ष पूर्व एक ऐसा आदेश था और उनका चैकोस्लोवाकिया से आयात किया गया था ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि जब .22 राइफलों के लिए आवेदन किया गया तो क्या उन्हें हवाई बन्दूकें खरीदने के लिए कहा गया ।

भविष्य निधि में ब्याज की दर

***469. श्री गोविन्द दास रिछारिया :**

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में दीर्घावधि जमा खातों, सभी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों और विद्यमान बचत योजनाओं एवं सामान्य भविष्य निधि में व्याज की वर्तमान दरें क्या हैं;

(ख) क्या तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सामान्य भविष्य निधि में ब्याज की दर में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वृद्धि कब से होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :(क) व्याज की दरें अनुबन्ध में दी गयी हैं ।

(ख) और (ग) तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी बाकी भविष्य निधि पर मोटे तौर पर उसी दर से व्याज दिया जाना चाहिए जो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लम्बी अवधि की जमा रकमों पर दिया जाता है । फिर भी आयोग ने कई बातों के सिलसिले में ठीक ठीक दरों के निर्धारण करने का काम सरकार पर छोड़ दिया था । ध्यान-पूर्वक विचार करने के बाद पहली अप्रैल 1974 से (15,000 रुपयों तक की बकाया रकमों पर 6.5 प्रतिशत तथा इससे अधिक बकाया रकमों पर 5.8 प्रतिशत) व्याज की दरों में वृद्धि कर दी गयी जो पहली अगस्त 1974 से बैंक दर में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप (25,000 रुपयों तक की बकाया रकमों पर 7.5 प्रतिशत और इससे अधिक की बकाया रकमों पर 7 प्रतिशत) और ज्यादा बढ़ी दी गई हैं ।

विवरण

व्याज की दरें

राष्ट्रीयकृत बैंकों में लम्बी अवधि की जमा रकमों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, मौजूदा अल्प बचत योजनाओं तथा सामान्य भविष्य निधि के लिए ।

(i) राष्ट्रीयकृत बैंकों में लम्बी अवधि की जमा रकमें :

बैंक दर को 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत कर दिये जाने से व्याज की दरों में 23 जुलाई, 1974 से संशोधित कर दिया गया जोकि इस प्रकार है :—

(1) एक वर्ष और उससे अधिक परन्तु तीन वर्षों से कम की जमा रकमों पर	8 प्रतिशत
(2) तीन वर्ष और उससे अधिक परन्तु 5 वर्षों से कम की जमा रकमों पर	9 प्रतिशत
(3) पांच वर्षों से अधिक की जमा रकमों पर	10 प्रतिशत

(ii) राष्ट्रीय बचत पत्र और मौजूदा बचत योजनायें

23 जुलाई, 1974 से लागू व्याज की दरें इस प्रकार हैं :—

(1) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (दूसरा निर्गम)	6 प्रतिशत
(2) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (तीसरा निर्गम)	6 प्रतिशत
(3) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (चौथा निर्गम)	$10\frac{1}{4}$ प्रतिशत
(4) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (पांचवां निर्गम जोकि पहली जनवरी 1974 से शुरु किया गया है)	$10\frac{1}{4}$ प्रतिशत
(5) डाक घर सावधि जमा खाते :—	
1 वर्षीय	8 प्रतिशत
2 वर्षीय (अगस्त 1973 से शुरू की गई)	$8\frac{1}{2}$ प्रतिशत
3 वर्षीय	9 प्रतिशत

5 वर्षीय	10 प्रतिशत
(6) डाकघर बढ़ने वाली सावधि जमा (10 वर्षीय)	6.25 प्रतिशत
(7) डाकघर आवर्ती जमा	9¼ प्रतिशत
(8) डाकघर बचत बैंक	5 प्रतिशत

(iii) **सामान्य भविष्य निधि** : पहली अगस्त 1974 से लागू संशोधित दरें इस प्रकार हैं:—

25,000 रुपयों तक की बकाया रकमों पर	7.5 प्रतिशत
25,000 रुपयों से अधिक की बकाया रकमों पर	7.0 प्रतिशत

Shri Govind Das Richhariya : You have stated that the Pay-Commission has recommended the same rate of interest on Provident Fund of the Central Govt. employees as is prevalent in the nationalised banks where you give from 10 to 10.25 per cent. But here you have stated the rate as 7.5 per cent. I want to know as to when you would equate these rates of interest with those in the banks ?

Shri Y.B. Chavan : It is true that the pay commission had made such recommendations. But we do not propose to keep it at par with bank-rate. There are certain reasons due to which it is not possible to keep the bank rate and P.F.'s rate of interest equal.

Shri Damodar Pandey : May I know whether the rates of interest on Provident Funds including Coal Mines Provident Funds would be increased ? You would be giving 11 per cent on the 50 per cent of the additional emoluments to the workers. Why do you then want to give less rate of interest on the amount of Provident Funds which the employees would not be able to withdraw till they are in service ? What is the difficulty in allowing the same rate of interest in this case also ?

Shri Y.B. Chavan : The reason is that the Provident Fund is treated as a loan and therefore the rate of interest as on the loans is allowed.

Shri Hukam Chand Kachwai : Private companies do not deposit large sums of the employees provident funds and keep that money with them. Do the Government propose to apply the same rate of interest on such amounts which the industrialists and private companies keep with them ?

Shri Y.B. Chavan: It is a fair proposal but it would have to be examined.

आसाम को वित्तीय सहायता

+

***474. श्री निहार लास्कर :**
श्री तरुण गौगोई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य में बाढ़ की गम्भीर स्थिति से उत्पन्न वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ओवर-ड्राफ्ट लेने की अनुमति दे दे; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को मांगी गई सहायता दे दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) इसका सवाल नहीं होता ।

श्री निहार लास्कर : क्या यह सच है कि आसाम में इस वर्ष भी बार-बार बाढ़ आने से उत्पन्न कठिन स्थिति के कारण आसाम राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 8 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अब मैं यहां आ रहा था तो मुझे एक टैलेक्स संदेश प्राप्त हुआ कि मुख्य मन्त्री यहां आ रहे हैं। वह आज सायं मुझ से मिलेंगे। उन्होंने बाढ़ आदि से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने हेतु वित्तीय आवश्यकताओं संबंधी अपनी समस्यायें पेश की हैं। परन्तु उन्होंने ओवरड्राफ्ट की मांग नहीं की है और इसीलिए मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक दिया है। अतः इसका यह अर्थ नहीं है कि मुख्य मन्त्री ने वित्तीय समस्यायें नहीं प्रस्तुत की हैं। इस संबंध में आप सरकार की नीति जानते ही हैं, प्राकृतिक विपदाओं के समय में हमने वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को कहा है कि वे अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल करें।

श्री निहार लास्कर : यह एक पिछड़ा हुआ राज्य है। उसके पास कोई भी संसाधन नहीं है यदि हम केवल वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का ही अनुसरण करेंगे तो मैं नहीं जानता कि वह राज्य किस प्रकार अपनी स्थिति का मुकाबला करेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं उनकी कठिनाईयों को समझता हूं। केवल प्रश्नोत्तर से ही तो समस्याएं हल नहीं होंगी। कृपया इस बात को यहीं छोड़ दीजिए।

Shrimati Sahodra Bai Rai : In the recent floods the Narmada river caused great havoc in Madhya Pradesh. May I know whether the Chief Minister of Madhya Pradesh also has requested for financial help to help the flood victims ?

Shri Yashwantrao Chavan : No Chief Minister lags behind in demanding financial help. They always demand. But you are aware how difficult it is to meet that.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आसाम में ये प्राकृतिक विपदायें हर वर्ष आती हैं और राज्य सरकार हर वर्ष वित्तीय सहायता मांगती है। क्या इसके लिए कोई स्थायी हल ढूंढा जाएगा; क्या उस राज्य को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बनाई जाएगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सही है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में बाढ़ और सूखा एक नियमित घटना बन गई है। अतः उसका सही हल, जैसाकि वित्त आयोग ने सिफारिश की है यह है कि राज्य सरकारें इस पहलू को अपनी योजनाओं में शामिल करें। केवल यही एक रास्ता इस समस्या के हल का है।

इण्डियन एयरलाइन्स के किरायों में वृद्धि

+

*475. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों में इण्डियन एयरलाइंस को भारी घाटा हुआ है;

(ख) क्या इस घाटे को पूरा करने के लिए विमान के किरायों में और वृद्धि की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्ष 1974-75 की प्रथम तिमाही के दौरान इण्डियन एयरलाइंस का वित्तीय कार्यचालन लगभग 106 लाख रुपयों का घाटा दर्शाता है ।

(ख) और (ग) विमान किरायों के प्रश्न पर समय समय पर विचार किया जाता है। परिचालन लागतों में हुई अत्याधिक वृद्धि के संदर्भ में, कारपोरेशन ने विमानन ईंधन के मूल्यों में, जिसमें उत्पादन-कर भी शामिल है, तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा लगाय गये बिक्री करों में राहत का अनुरोध किया है ।

श्री पी० गंगादेव : गत चार मास की अल्प अवधि में इण्डियन एयरलाइंस को हुई भारी हानि को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उक्त हानि विमान चालकों की हाल की हड़ताल के कारण हुई है अथवा नहीं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उक्त हानि तालाबन्दी या विमान चालकों की हड़ताल के कारण नहीं हुई है । इस वर्ष तो इस हानि का प्रमुख कारण, जैसाकि मैंने बताया है, ईंधन के मूल्य में वृद्धि होना है ।

श्री वसन्त साठे : क्या वह इसके लिए भी कोई बजट पेश कर रहे हैं ?

श्री पी० गंगादेव : जब से हड़ताल हुई है, तब से इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला किये जाने के अतिरिक्त सरकार का विचार इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा जनता को परेशानी में डाले जाने तथा हड़ताल द्वारा सरकारी कोष को हानि पहुंचाये जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

श्री राज बहादुर : मैं तो अब कुछ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय इण्डियन एयर लाइन्स में औद्योगिक संबंध बेहतर हैं और हमारा काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है जैसाकि इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में सुधार से ही प्रकट है । मैं देश में यह भ्रम नहीं पैदा करूंगा कि इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यकरण में सुधार नहीं हुआ है ।

श्री वसन्त साठे : बात केवल इतनी है कि आप को उड़ान के समय भोजन नहीं मिलता है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या यह सच नहीं है कि जब हड़ताल शुरू हुई तो इण्डियन एयर-लाइन्स के अध्यक्ष ने यह कहा था कि वह इण्डियन एयरलाइन्स को घाटा होने से बचाने की स्थिति में है बशर्ते कि उनको कुछ कदम उठाने की अनुमति दी जाये, जिसके फलस्वरूप आम लोगों में तथा इस सभा के द्वारा भी हड़ताल विरोधी वातावरण तैयार किया गया । वस्तुतः हड़ताल के बाद अध्यक्ष ने विमानों में भोजन आदि नहीं देने जैसे अनेक कदम उठाये हैं । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है या नहीं कि हड़ताल के बाद इण्डियन एयरलाइन्स में बड़ी संख्या में उच्च पद बनाये गये जिनके फलस्वरूप ही हमें आने वाले वर्ष में फिर घाटे के दौर से गुजरना पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : यह बेकार के खर्च को रोकने का एक उद्देश्य था और मैं सभा को बतादूं कि ऐसे बेकार के खर्चों की प्रक्रियाओं को बन्द करके तथा अन्य उपायों से 5 करोड़ रुपये की बचत की गई है ।

जहां तक हाल ही के घाटे का संबंध है यह प्रशासनिक व्ययों के कारण नहीं है । मैं केवल एक उदाहरण दूंगा । वह कारण है ईंधन की लागत का बढ़ना । 1-4-73 को एक किलोलिटर एविनेशन ईंधन का मूल्य 668 रुपये था । 9-11-73 को यह 930 रुपये हुआ और फिर 2-3-74 को यह मूल्य

बढ़कर 1662 रुपये हो गया। इसके साथ ही कुछ राज्यों द्वारा विक्रय कर में मूल्यानुसार वृद्धि कर दी। यह भी एक बड़ा कारण है। अन्यथा जहां तक अर्थ व्यवस्था की बात है हम सतर्क हैं कि फालतू प्रशासनिक खर्च न करें। वस्तुत: हम उसमें भी अधिकाधिक कमी करने का प्रयास करेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सर्वोच्च प्रतिष्ठान में हड़ताल के बाद पदों की संख्या में वृद्धि की गई है अथवा नहीं।

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है सर्वोच्च संवर्ग में कोई अतिरिक्त पदों की व्यवस्था नहीं की गई है यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट जानकारी हो तो मैं दुबारा पता लगाऊंगा।

Shri Madhu Limye : Is it a fact that on certain air routes only 40 per cent of the total capacity is being utilised, in consequence whereof huge loss is being incurred, if so, whether the hon. minister will give some incentives to the passengers by reducing the fare on these routes ?

Shri Raj Bahadur : The occupancy was quite good in June-July.

Shri Madhu Limye : Will the hon. Minister be pleased to give the exact statistics. I had asked whether on some routes only 40 per cent of the total capacity is being utilised ?

Shri Raj Bahadur : We had increased the fare by 25 per cent with a view that it will help the airlines to attain self sufficiency and the Indian Airlines will be able to coverup its development expenditure also. But in the meanwhile the prices of fuel went up by season whereof it had to incur a special expenditure of about 27 crore rupees. Whereas earlier the expenditure on fuel was only 26 per cent of the total operation now it has gone upto 43 per cent.

Mr. Speaker : The hon. member wants to know whether on some routes the utilisation capacity has come to 40 per cent.

Shri Raj Bahadur : There are routes of certain services which extend to the remote corners of the country the traffic is not much there. On such routes the capacity of utilisation can be upto 40 per cent in those areas. But on Bombay, Calcutta, Delhi and Madras flights the capacity is being utilised to the maximum.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Few days back I had gone to Jammu by air. I was the only passenger in the aircraft. Is it a fact that to avoid the overnight stay of crew at Srinagar the operation of the aircraft via Chandigarh has been stopped and the aircraft now goes to Srinagar via Jammu and returns by the same route. How far it is wise to spend more to save little.

Shri Raj Bahadur : There is no doubt that the airlines always try that the crew should return to the headquarters to save additional expanse. If the situation is as has been represented by the hon. member, I assure him the feasibility of the service will be checked up by the airlines.

श्री पी० जी० मावलंकर : उत्तर के भाग (ख) और (ग) में मंत्री महोदय ने कहा है कि विमान किरायों के संबंध में समय समय पर विचार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईंधन का मूल्य बढ़ गया है। शायद वह किरायों में की जाने वाली बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं। हाल ही में उनके सहयोगी रेल मन्त्री ने प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित डिब्बों के किरायों में वृद्धि की है। क्या वह उनके साथ प्रतियोगिता करके विमान किरायों में और बढ़ोतरी करेंगे। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच की उड़ानों में आधी से अधिक उड़ानों में कोई यात्री नहीं होता उन्होंने कहा है कि मुख्य मार्गों पर काफी यात्री विमान यात्रा करते हैं। क्या आप इन सब बातों को देखते हुए भी किराए में वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं।

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य ने अभी बताया कि अहमदाबाद सेवा का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। संबद्ध प्रश्न विमान किरायों के पुनरीक्षण के बारे में है। हमें पहले ही काफी हानि

उठानी पड़ रही है और अगर हम किराया बढ़ा देंगे तो नुकसान की मात्रा और बढ़ जाएगी पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है ।

श्री अमृत नाहाटा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान लागत में किस अनुपात में वृद्धि हुई तथा इसी अवधि के दौरान किरायों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई । क्या मन्त्री महोदय को इस बात की भी जानकारी है कि 80 प्रतिशत विमान यात्रियों में से आधे सरकारी खर्च पर यात्रा करते हैं किरायों में वृद्धि से किस सीमा तक सरकारी कार्य हेतु की जाने वाली विमान यात्रा के बिलों में वृद्धि हुई है । यदि किरायों में थोड़ी सी भी कमी कर दी जाएगी तो 80 प्रतिशत सीटें भर जाएंगी क्या यह अधिक लाभदायक नहीं ।

श्री राज बहादुर : 1 अप्रैल 1973 से किरायों में 5 प्रतिशत वृद्धि की गई और फरवरी 1974 को 25 प्रतिशत और वृद्धि की गई । जहां तक विमान यात्रियों का प्रश्न है इस संबंध में 1967 में एक सर्वेक्षण किया गया था और इसके निष्कर्ष अनुसार पता चला कि 75 प्रतिशत यात्री व्यय लेखे (Expense Account) पर यात्रा करते हैं 15 प्रतिशत पर्यटक होते और 10 प्रतिशत स्वयं अपने खर्चे पर यात्रा करते हैं । मैं चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स आत्म निर्भर बने ।

Shri Nawal Kishore Singh : I want to know from the hon. Minister if the cancellation of few fligths as a measure of economy drive has affected adversely the backward areas. The flights to Gorakhpur, Muzzafarpur have been cancelled and people are facing difficulty and the Indian Airlines is also suffering loss.

Shri Raj Bahadur : Not even once but many times we have tried to ascertain the bulk of traffic on these routes but unfortunately the traffic is not much and we are compelled to cancell the flights.

हथकरघा उद्योग संबंधी शिवरामन समिति की सिफारशें

*476 **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग संबंधी शिवरामन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) हथकरघा उद्योग संबंधी अध्ययन दल की महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश 26 जुलाई 1974 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 746 के भाग (ख) के उत्तर में सदन को दिया जा चुका है । सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : मैं देश के इस सबसे प्राचीन उद्योग के महत्व को उसके आकार अथवा उसमें लगे हुए व्यक्तियों की संख्या बताकर, दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता । कृषि के बाद यह सब से बड़ा उद्योग है और इस उद्योग का कुल उत्पादन मिल और विद्युत करघा क्षेत्र का दो तिहाई है । किन्तु दुःख की बात यह है कि यह सब से उपेक्षित उद्योग है । सरकार की सभी नीतियां तथा घोषणाएं इस संबंध में बेकार हैं, तदर्थ और परस्पर विरोधी है तथा कपड़ा उद्योगपतियों

के पक्ष में हैं। यही कारण है न तो उन्होंने कोई इसके लिए हल पेश किए हैं, और न ही हथकरघा बुनकरों के दुखों को कम करने की कार्यवाही की है अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह शिवरामन समिति की इन सिफारिशों को कि हथकरघा उद्योग को स्टैंडर्ड कपड़े के उत्पादन से संबद्ध करेंगे जिससे कि अधिक लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जा सके।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : हथकरघा और मिल क्षेत्र की कठिनाइयों के बारे में हम पूर्णतय: अवगत हैं और इसी को दृष्टिगत रखते हुए पिछले वर्ष हमने पहली बार सितम्बर 1973 में एक अखिल भारतीय हथकरघा सम्मेलन आयोजित किया और उसके बाद 29 दिसम्बर 1973 को शिवरामन समिति की नियुक्ति की गई जिसने इस वर्ष जुलाई में अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में एक सुझाव दिया गया है कि किस प्रकार हथकरघा उद्योग को स्टैंडर्ड कपड़े के उत्पादन से संबद्ध किया जा सकता है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग द्वारा बनाए जाने वाले स्टैंडर्ड कपड़े की कीमत मिलों द्वारा बनाए जाने वाले स्टैंडर्ड कपड़े की अपेक्षाकृत ऊंची होगी। कई अन्य बातों पर भी हमें विचार करना है अत: मैं इस स्थिति में अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सकता। मामला विचाराधीन है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : अध्ययन दल की एक सिफारिश यह है :

"धागे का उत्पादन और सप्लाई हथकरघा क्षेत्र की मूल आवश्यकता है. . . . . "

दूसरी सिफारिश यह है :

"हथकरघा बुनकरों को धागे का उचित वितरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा उचित वितरण प्रणाली बनाई जानी चाहिए।"

उचित वितरण का अभाव ही मुख्य समस्या है। चाहे हम उत्पादन अधिक कर लें उसे उपभोक्ता तक पहुंचाना बड़ा कठिन है क्योंकि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जमाखोरों, मुनाफाखोरों और असमाजिक तत्वों की लम्बी लाईन है जोकि हथकरघा बुनकरों के दुखों को बढ़ाने वाले हैं। इसका एकमात्र उपाय उचित वितरण प्रणाली है। जब तक हम उचित वितरण नहीं शुरू करते तब तक हम हथकरघा बुनकरों को बिना किसी बाधा के धागा सस्ती दरों पर आश्वासनात्मक ढंग से सप्लाई नहीं कर सकते। मैं सरकारी वितरण प्रणाली के संबंध में सरकार की राए जानना चाहता हूं।

Shri N.N. Pandey : Is the hon. Minister aware that even before this several committees have given reports in the matter and their recommendations that a standard should be set down in regard to handloom sari so that the export of handloom products could be augmented have been accepted by the Shivraman Committee. Then there is the problem of high prices of yarn. The cost which has increased 50 per cent should be reduced and the yarn producing industries should be asked to produce good quality of yarn.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : धागे की समस्या का एक अन्य सदस्य ने भी उल्लेख किया है। सरकार की नीति का एक उद्देश्य यह भी है कि अधिक से अधिक धागा विकेन्द्रित क्षेत्र अथवा हथकरघा क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाए किन्तु समस्या यह है, जैसा कि आप जानते होंगे, कि कपास का मूल्य काफी बढ़ गया है। भारत में कपास का मूल्य समस्त विश्व, जिसमें अमरीका भी शामिल है, की तुलना में अधिक है। अत: यदि आप कपास उगाने वालों के लिए एक उचित मूल्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, हमारी भी ऐसे मूल्य को सुनिश्चित करने में रुचि है, तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव धागे पर पड़ना अवश्यम्भावी है इन सब बाधाओं के होते हुए भी हमारा प्रयत्न यह है कि हथकरघा क्षेत्र को सस्ती दरों पर धागा उपलब्ध कराया जाए।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : आपका स्टेंडर्ड कपड़े और उसके निर्यात के बारे में क्या विचार है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न में केवल एक पूर्ण जानकारी वाला प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री नरसिंह नारायण पान्डेय : मेरा प्रश्न शिवरामन समिति की सिफारिशों से संबद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : शिवरामन समिति का नाम उल्लेख करने से सभी प्रश्न संगत नहीं हो सकते मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

Shri Jagannath Rao Joshi : Nonavailability of the yarn in time is the major problem of handloom industry. Therefore I would like to know whether some of the mills taken over by the Government as sickmills will produce yarn exclusively of the handloom mills.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ऐसी कुछ अधिगृहीत मिलें वास्तव में हथकरघा क्षेत्र के लिए धागे का उत्पादन कर रही हैं और कुछ अन्य मिलों को जो केवल धागे का उत्पादन करेंगी लाइसेंस दिया जा रहा है ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैं यह जानता हूं कि वह मिलें धागे का उत्पादन कर रही हैं पर मैं यह विशिष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या वह धागा केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए बनाया जा रहा है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वह मामले को वाणिज्यिक ढंग से भी देखते हैं पर इसके साथ-साथ एन० टी० सी० का एक उद्देश्य यह भी है कि उत्पादन का एक बड़ा भाग कमजोर वर्ग अर्थात् हथकरघा विभाग को उपलब्ध कराया जाए ।

प्रो० मधु दण्डवते : हथकरघा उद्योग के संबंध में नियुक्त उच्चशक्ति प्राप्त अध्ययन दल ने कई सिफारिशें की हैं जिनमें से दो पर पांचवीं योजना के दौरान विभिन्न चरणों में विचार किए जाने की आवश्यकता है । वह सिफारिशें हैं : पांचवीं योजना की अवधि अन्त तक सक्रिय सहकारी समितियों में 60 प्रतिशत तक बुनकरों को लिया जाए । सहकारी समितियों से बाहर हथकरघा उद्योग के प्रभावी विकास हेतु एक आंतरिक विकास योजना बनाई जानी चाहिए । इस योजना के अन्तर्गत एक संहत भूगौलिक क्षेत्र में 5,000 से 10,000 हथकरघों के एकक लगाए जाएं पांचवीं योजना की अवधि के दौरान ऐसे 25 से अधिक एककों को न लिया जाए । इन दो महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु तथा ठोस उपाय अपनाने का विचार किया जा रहा है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जहां तक ठोस उपायों का संबंध है इस स्थिति में मैं कुछ वायदा नहीं कर सकता क्योंकि हम सुझावों की जांच कर रहे हैं । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इन दोनों सिफारिशों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है हमारे निर्णय लेने के उपरांत ही ठोस उपायों का प्रश्न उठता है ।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या शिवरामन समिति ने हथकरघों को विद्युतकरघों में बदलने की कोई सिफारिश की है । यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या विचार है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : समिति ने अन्य बातों के साथ कहा है :

"विद्युतकरघों को जिन्होंने उत्पादन ढांच में अपनी अनुकूल स्थिति का लाभ उठाया है को संगठित मिल उद्योग के स्तर तक लाया जाए और विद्युतकरघों द्वारा निर्मित कपड़े पर

लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क की पुनरीक्षा की जाए और एक नया कर ढांचा बनाया जाए जोकि हथकरघा उद्योग के हित में लाभदायक सिद्ध होगा ।

विद्युत करघों पर लगाए इस अतिरिक्त शुल्क होने वाले आय का उपयोग. . . . ."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न हथकरघों को विद्युत करघों में बदलने के बारे में है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सुझाव भी दिया गया था लेकिन बिजली के अभाव के कारण हम इसे प्रोत्सहित नहीं कर सकते ।

श्री के० एस० चावड़ा : देश में कृषि को छोड़ कर हथकरघा उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है जो देश में सब से अधिक रोजगार प्रदान कर सकता है देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस उद्योग की ओर विशेष ध्यान क्यों नहीं दे रही । धागा इस उद्योग का मुख्य कच्चा माल है बुनकरों को धागा उचित दरों पर सप्लाई कराने हेतु सरकार का क्या उपाय अपनाने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह शिवरामन समिति की सिफारिशों से संबद्ध विशिष्ट प्रश्न है । यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं ।

श्री के० एस० चावड़ा : मैंने पृष्ठभूमि बता दी है । हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई ही मुख्य बात है । सरकार बुनकरों को उचित दाम पर पर्याप्त मात्रा में धागे की सप्लाई नहीं कर रही ।

Shri Darbara Singh : The scope of handloom industry extends to rural areas. The yarn which they are getting is hardly sufficient for a day will the hon. Minister adopt some such measures to secure supply of yarn for the production.

श्री के० एस० चावड़ा : शिवरामन समिति की एक सिफारिश यह है कि धागा उचित दामों पर सप्लाई किया जाये उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आपने समिति की सिफारिशों के संदर्भ में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अध्यक्ष महोदय शायद शिवरामन समिति की यह दो सिफ़ारिशें माननीय सदस्यों को रुचिकर लगेंगी ।

"धागे का उत्पादन और पर्याप्त सप्लाई हथकरघा उद्योग की मूल आवश्यकता है । पांचवीं योजना के कार्यक्रम में धागे का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाए । दूसरे आंतरिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले क्षत्रों में धागे की सप्लाई और उत्पादन के विपणन की व्यवस्था ही हथकरघा वित्त और व्यापार निगमों का मुख्य कार्य होना चाहिए ।"

औद्योगिक निर्बाध क्षेत्र के रूप में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

*479. **श्री वी० बी० नायक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को औद्योगिक निर्बाध क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) संभवत: माननीय सदस्य का संकेत अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक मुक्त पतन स्थापित करने की प्रस्थापना की ओर है। सरकार को एक प्रस्थापना मिली है।

(ख) प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

श्री बी०वी० नायक : मैं नम्रता के साथ यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री का अनुमान ठीक नहीं है। उनका यह अनुमान गलत है। मैंने लगभग एक वर्ष पूर्व लिखा था और यह पत्र उनके कनिष्ठ सहयोगी, श्री जार्ज द्वारा फाइल किया गया था तथा इसकी स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी।

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि यह निर्बाध पतन, जो वाणिज्य मंत्रालय के विचाराधीन है, निर्यात अथवा आयात अथवा पुनर्नियात, इन तीन कार्यों में से किस कार्य को करेगा ?

प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : श्रीमान्, इन सभी प्रश्नों पर अब व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने तकनीकी आर्थिक संभाव्यता संबंधी अध्ययन शुरू कर दिया है और इस कार्य के लिए 2.83 लाख रुपये आबंटित किए जायेंगे। इस अध्ययन के उपलब्ध होने पर मैं इन सभी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दे सकता हूं। परन्तु इसका निर्माण अब अन्तिम अवस्था में है।

श्री बी०बी० नायक : प्रत्येक मामले के विचाराधीन होने पर किसी माननीय सदस्य के लिए और प्रश्न पूछना कठिन हो जाता है। कम से कम कुछ मूल प्रश्नों पर सरकार को निश्चय करना होगा क्योंकि पर्याप्त समय गुजर गया है। वस्तुत: इस देश की मुख्य भूमि से दूर एक निर्बाध पतन की स्थापना करना लाभदायक होगा क्योंकि तस्करी जैसी गतिविधियां, जो सांताक्रूज आदि में संभव हैं, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को खतरा नहीं पहुंचायेंगी। लेकिन क्या वह ऐसा नहीं मानते हैं कि एकमात्र निर्बाध पत्तन, चाहे आप निर्यात करें अथवा आयात करें अथवा पुनर्निर्यात करें, की स्थापना करना ही पर्याप्त नहीं होगा जब तक एक निर्बाध औद्योगिक क्षेत्र न हो जहां उत्पादन की सभी गतिविधियां हो सकें जो एक पहली शर्त है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ये संबंधित प्रश्न हैं कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पर्याप्त आधारभूत ढांचे आदि के बारे में विचार किया जा रहा है। निश्चित रूप से गत एक दो वर्षों में किये गये विचार विमर्श तथा चर्चाओं से सिद्ध हुआ है कि यह एक अध्ययन योग्य परियोजना है। अत: व्यापार विकास प्राधिकरण को यह कार्य सौंपा गया है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे।

कृषि पुनर्वित निगम की पंजाब के सीमा-क्षेत्र के लिए योजना

*480. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित निगम ने पंजाब के सीमा क्षेत्र के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कृषि पुनर्वित निगम आरंभ से कृषि के विकास के लिए स्वयं योजनाएं नहीं बताता। प्रधानत: एक पुर्वित संस्था होने के कारण, यह कृषि विकास की उन योजनाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है, जो मुख्यत: उससे सम्बद्ध "पात्र" वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंक, के द्वारा बनाई जाती हैं। इन संस्थाओं द्वारा, कृषि पुनर्वित्त निगम की वित्तीय सहायता से, पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में बनाई गई और लागू की गई योजनाओं के ब्यौरे पर एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य भूमि विकास बैंक ने, कृषि पुनर्वित्त निगम की 673 लाख रुपए की सहायता से गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में, 10,700 उथले ट्यूबवैल लगाने की छः छोटी कृषि योजनाओं को लागू किया है। इसके अलावा, कृषि पुनर्वित्त निगम की 22 लाख रुपए की सहायता से, एक वाणिज्यिक बैंक (सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया) की एक दुग्धशाला योजना को क्रियान्वित किया गया है।

इसके अलावा, कृषि पुनर्वित्त निगम की 319 लाख रुपय की सहायता से चार छोटी सिंचाई योजनाओं, और कृषि पुनर्वित्त निगम की 280 लाख रुपये की सहायता से भूमि समतल करने तथा जल-मार्ग बनाने की तीन योजनाओं को उपरोक्त सीमावर्ती क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री रघनन्दन लाल भाटिया : कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा सहायता प्रदान करने के मानदंड क्या हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कृषि पुनर्वित्त निगम का मूल उद्देश्य सभी कृषि विकास योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करना है जो आम तौर से अन्यथा संभव नहीं हैं। अतः राज्य सरकार अथवा अन्य विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ये योजनायें बनाई जाती हैं और कृषि पुनर्वित्त निगम उन्हें वित्त-पोषित करता है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : वर्ष 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इन तीन जिलों को काफी हानि हुई है और ये सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी इन क्षेत्रों में किन्हीं कृषि विकास योजनाओं को लागू कर रहा है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी हां, श्रीमान्। मैंने विवरण में कहा है कि कृषि पुनर्वित्त निगम की 673 लाख रुपये की सहायता से गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और फरीदकोट में 10,700 उथले ट्यूबवैल लगाने की छः छोटी कृषि योजनाओं को लागू किया गया है। इसके अलावा, कृषि पुनर्वित्त निगम की 22 लाख रुपये की सहायता से एक दुग्धशाला योजना को क्रियान्वित किया गया है। भूमि समतल करने, जल मार्ग बनाने तथा लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर काम हो रहा है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मेरा प्रश्न यह था कि क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने भी कुछ योजनायें भेजी थी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : पूरे पंजाब के लिए लगभग 78 योजनायें हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वाणिज्यिक बैंकों के बारे में विशेष प्रश्न पूछ रह हैं जब कि आप अन्य प्रश्नों की ओर जा रहे हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं अमृतसर, फिरोजपुर तथा गुरदासपुर के बारे में पूछ रहा हूं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं पूरे पंजाब के लिए जानकारी दे रही थी न कि विशेष जिलों के लिए। जहां तक इन क्षेत्रों का संबंध है मैं इस सूचना को एकत्र करूंगी। ये ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां फसल को क्षति हुई थी। अत: वहां पर एक अध्ययन दल भेजा गया है और कुछ विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन दल ने इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है ताकि वे वस्तुएं जो वस्तुत: राष्ट्रीय संकट के वर्ग के अधीन नहीं आती हैं, उनके लिए भी सहायता प्राप्त की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त वहां पर अन्य संकट नहीं है।

Shri B.S. Bhaura: May I know from the hon. Minister whether the activities of the Agricultural Re-finance Corporation are to benefit the common farmers and whether you have taken such steps to inform the common people about the scheme ?

In fact what is happening that accessible persons take benefit of these facilities and common peasants are deprived of this benefit. May I know what is your programme in regard to giving benefit to these common farmers and what steps have been taken in this direction ?

Shrimati Sushila Rohtagi : The hon. member has asked a very good question. The fact is that the work done through A.R.C. need more publicity and propagation. Even then whatever work is being done that is percolating slowly. Certainly there is need of improvement.

100 रु० के फटे पुराने नोटों के पुन: परिचालन में लगे रिजर्व बैंक के अधिकारियों की गिरफ्तारी

*481. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कुछ अधिकारियों को, 100 रु० के फटे पुराने नोटों का पुन: परिचालन करने वाले गिरोह की गतिविधियों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त गिरोह के काम करने का ढंग क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग): पुलिस ने भारतीय रिजर्व बैंक के नोट परीक्षक श्री एन० सी० जैन को गिरफ्तार किया था जिसके पास से 27 जून 1974 को 100 रुपये का एक पंच किया हुआ नोट बरामद हुआ था। इस बात की ओर जांच होने तक कि यह नोट उसके कब्जे में किन परिस्थितियों में आया, श्री जैन को मुअत्तिल कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

Shri R. S. Pandey : May I know from the hon. Minister that by what time the investigation conducted will be completed and whether similar case has come to the notice anywhere else ?

श्री के० आर० गणेश : यह मामला 27 जून, 1974 को पता लगा था। इस मामले की जांच हो रही है। इस जांच को पूरा करने में पुलिस को कुछ समय लगेगा।

श्री राम सहाय पांडे : मैं इस लिए चिंतित हूं कि इस जांच को टाल न दिया जाये। यही कारण है कि मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी।

अल्प-सूचना प्रश्न
Short-Notice Question

जमुना कोलियरी, मध्य प्रदेश के श्रमिकों पर अपराधियों द्वारा हमला

अ०सू०प्र०सं०6 : श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की जमुना कोलियरी के कुछ हड़ताली श्रमिकों पर प्रबन्धकों द्वारा पैसे देकर बुलाये गये सशस्त्र अपराधियों ने 3 अगस्त, 1974 को हमला किया था;

(ख) क्या दो श्रमिक घटना-स्थल पर ही मारे गए थे और उनके सिर काट कर ले जाये गये थे ;

(ग) क्या इस राष्ट्रीयकृत कोयला खान का प्रभार अभी भी पुराने गैर-सरकारी प्रबन्धकों के हाथ में है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) यह सही नहीं है कि 3 अगस्त, 1974 को जमुना कोलियरी के बिना नोटिस हड़ताल कर रहे कामगारों पर हमले के लिए प्रबन्धकों ने किराये पर अपराधियों को बुलाया था। वास्तव में यह घटना 30-7-1974 को घटी थी ।

(ख) इस घटना में कोलियरी के दो कामगारों की जान गई और उनके सिर कटे शव पास के जंगल में पड़े पाए गए ।

(ग) जमुना कोलियरी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खान है । यह 1960 में चालू हुई थी । इस खान का प्रभार गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों के हाथ में होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस सारे मामले की मध्य प्रदेश सरकार तथा राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्राचीन समय में गैर-सरकारी कोलियरीज में इस प्रकार की घटना सुनने के बारे में हम अभ्यस्त हो गये हैं। परन्तु वास्तव में यह चौंका देने वाला है कि इस प्रकार की घटना एक राष्ट्रीय कोलियरी में घटित हो। यदि मैंने मंत्री महोदय को ठीक से सुना है तो उनके अनुसार श्रमिक 3 अगस्त से अचानक हड़ताल पर गये थे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि श्रमिक 3 अगस्त से नहीं अपितु 29 जुलाई से हड़ताल पर गये थे। दूसरे क्या यह सच नहीं है कि यह बिना नोटिस अचानक हड़ताल बिल्कुल नहीं थी और इसका कारण यह है कि पिछले सात वर्षों से इस कोलियरी के प्रबन्धक खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मंजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू करने से इंकार कर रहे हैं। इसमें यह कहा गया है कि भार लादने वालों को लोड तथा लिफ्ट भत्ता बोनस की संगणना के लिए मूल मजूरी के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि सात वर्षों से वहां की यूनियन आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस पंचाट की क्रियान्विति के लिए आन्दोलन कर रही है और हर बार राज्य सरकार तथा श्रम आयुक्त ने अपने निष्कर्ष श्रमिकों के पक्ष में दिये हैं तब भी इसके प्रबन्धकों ने सात वर्षों से इसे लागू नहीं किया है ? इसके बाद ही निराश हुए श्रमिकों ने 29 जुलाई को हड़ताल की थी। अतः यह किसी प्रकार भी अचानक हड़ताल नहीं थी ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हड़ताल शुरू होने के बाद इस ग्रुप की कोलियरीज कोथमा ग्रुप के एरिया मैनेजर, श्री सेन गुप्ता, ने पास की कोलियरी से अफज़र अली नाम के कुख्यात व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उसे वहां पर भेजा जो उस क्षेत्र में दुष्चरित्र तथा गुण्डे के रूप में भली भांति जाना जाता है और जिसके पास सशस्त्र अपराधी हैं तथा जो जुए के अड्डों तथा अवैध शराब के साथ संबंधित हैं। इस व्यक्ति को वहां पर हड़ताल तोड़ने के लिये भेजा गया था और इस व्यक्ति तथा इसके के गिरोह ने मिलकर श्रमिकों पर यह आक्रमण किया तथा दो श्रमिकों के सिर को काट कर ये भाग गये तथा जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि सिर कटे शव पास के जंगल में पड़े पाए गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है। इस प्रकार की घटनायें राष्ट्रीयकृत कोलियरी में हो रही हैं।

श्री सुबोध हंसदा : मैं इस जमुना कोलियरी के श्रमिकों की अन्य मांगों के बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन हड़ताल का कारण यह था। यह कोलियरी प्रति माह लगभग 16,000 टन कोयले का उत्पादन कर रही थी। इस कोलियरी की एक खान, इंक्लाइन 34, वर्ष 1968 में बंद कर दी गयी थी क्योंकि उस समय बिक्री नहीं थी। अब कोलियरी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये यह निर्णय किया गया कि जमुना कोलियरी को दोबारा खोला जाये। इस खान को चलाने की दृष्टि से श्रमिकों की भर्ती के लिये अधिकारियों ने रोजगार कार्यालय से नाम मांगे। इस प्रयोजन हेतु वहां के स्थानीय रोजगार कार्यलय ने कुछ उम्मीदवारों के नाम बताये। लेकिन यूनियन के नेताओं ने इसका विरोध किया। 29 तारीख के इंटरव्यू बोर्ड में प्रबंधक तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। और जब इसका विरोध किया गया तो स्थानीय अधिकारियों न श्रमिक संघों को यह समझाने का प्रयास किया कि यह इंटरव्यू बोर्ड की गलती नहीं थी, और यह इंटरव्यू बोर्ड नहीं था जिसने उम्मीदवारों के नाम बताये थे ; रोजगार कार्यालयों ने उम्मीदवारों के नाम भेजे थे और इसकी वजह से कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, अन्य किसी शिकायत की वजह से उन्होंने हड़ताल नहीं की—जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि मजूरी बोर्ड के पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया गया। हड़ताल का कारण बिल्कुल भिन्न था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। यह सच है कि लोड एण्ड लिफ्ट एलाउन्स के बारे में पिछले सात साल से विवाद चला आ रहा था। जैसा कि अभी बताया गया है कि ढाल 304 को फिर से खोलने का प्रश्न सामने आया और भर्ती संबंधी नीति का प्रश्न भी सामने आया। यह विवाद का एक अन्य कारण था। लेकिन इससे पाशविक आक्रमण और हत्याकाण्ड का स्वरूप तो नहीं बदल जाता। उन्होंने एक भी शब्द अफजर अली के बारे में नहीं कहा है, जो मेरी जानकारी के अनुसार भूत्या ब्लाक कांग्रेस कमेटी का प्रधान है और वहां की तथाकथित इन्टक यूनियन का भी प्रधान है। ढाल 304 के दरवाजे को सदैव बन्द रखा जाता है और वह रक्षित क्षेत्र है और परमिट के बिना कोई भी गाड़ी वहां नहीं जा सकती, लेकिन उस दिन दरवाजे को जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया था, जिससे यह गिरोह अन्दर जा सके। इन लोगों के पास बन्दूकें, पिस्तौलें, भाले और तलवारें थीं। इसका प्रमाण मौजूद है। बिना सिर की दो लाशें पाई गईं। उनके सिर काटकर वे साथ ले गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार का विचार जिसके स्वामित्व में ये खानें हैं और जिसके अपने कर्मचारियों की अमानुषिक तरीके से हत्या की गई है, स्थानीय अधिकारियों को ही यह मामला सौंपने का है, जो अफजर अली के प्रभाव में है अथवा यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिये सौंपा जायेगा और क्या राष्ट्रीय कोयला खान निगम की कोयला खानों में उन व्यक्तियों के परिवारों को कोई

मुआवजे के रूप में धनराशि दी जायेगी, जिनकी हत्या कर दी गई है और जो श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हुए हैं।

तीसरे, लोड और लिफ्ट एलाउन्स, का जो मामला पिछले सात साल से अनिर्णीत पड़ा है, उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या प्रबन्धकों को कहा जायेगा और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस सिलसिले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अथवा नहीं ?

श्री सुबोध हंसदा : मैं इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन नहीं करता। यह सच है कि इस प्रकार की पाशविक घटना हुई है और मुझे इसके लिए दुख है। परन्तु जब यह घटना हुई, उस समय कुछ श्रमिक यकायक हड़ताल पर चले गए, ऐसा मुझे बताया गया है, परन्तु कुछ वफादार कर्मचारी उस खान में काम पर आना चाहते थे और उन्होंने क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुमति मांगी। अचानक हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के नेता से बुलाकर यह कहा गया कि वह हड़तालियों से कहे कि वफादार कर्मचारियों को वे खानों के अन्दर आने दें। परन्तु अफसोस की बात है कि वफादार कर्मचारियों को खान के अन्दर नहीं आने दिया गया। अब, इस बीच उक्त घटना हो गई और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, दो श्रमिकों के सिर काट लिये गए और उनके शव जंगल में फेंक दिये गये यद्यपि यह घटना कोयला खान क्षेत्र में हुई, परन्तु यह पूर्णतः कानून और व्यवस्था का प्रश्न है और इस सिलसिले में 10 आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और अभी भी जांच पड़ताल का काम जारी है। इस बात की सम्भावना है कि कुछ अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जाये और राज्य सरकार उन लोगों के विरुद्ध बहुत सख्त कार्यवाही कर रही है, जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की है।

मुआवजे के बारे में—यह मुआवजा नहीं है, बल्कि आर्थिक सहायता है—मुझे यह कहना है कि मृतकों के परिवार को 1000 रु० प्रति परिवार के हिसाब से दिया गया है और यह निर्णय भी किया गया है कि मृतकों के प्रत्येक परिवार में से एक-एक व्यक्ति को खानों में रोजगार दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अफजर अली के बारे में आपका क्या कहना है ? बड़ी अजीब बात है कि वह उसके नाम का उल्लेख ही नहीं कर रहे।

अगर ऐसी घटनायें होती रहेंगी, तो उत्पादन किस प्रकार बढ़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में आरोप लगा रहे हैं। मेरे विचार में मामले की जांच पड़ताल हो रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने यह कहा कि 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या वह यह बता सकते हैं कि अफजर अली का नाम उसमें है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछिए।

श्री सुबोध हंसदा : गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : अफजर अली को अनेक आदमियों के साथ उस क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया था।

Shri Damodar Pandey : Jamuna Colliery, which is in the western division of C.M.A. at present, was previously under N.C.D.C. The wage Board award was in force there. It is not a new thing that Wage Board award is already in force in the Colliery of N.C.D.C. and a demand should be made for it. So far as the question of giving Load and Lift Allowance in N.C.D.C. is concerned, it is an ever-changing demand. Any Union may raise any demand at any time. Such a demand is also made due to rivalry between various unions. There is wide-spread unemployment these days. At every place, people want to put their people in service. When people are being appointed, these parties try to appoint their own people. Due to this reason and due to rivalry between unions some of the people want to destroy the peaceful atmosphere there. There is no genuine right or demand of the workers, which is not being accepted by the N.C.D.C.

Mr. Speaker : The honourable Member should ask his question.

Shri Damodar Pandey : I do not say that the culprits should not be punished. I would like to know whether it is a fact that this demand and dispute was started by some people to create rivalry between the unions and to give employment to new people, if so, what steps are being taken by the Government to check it ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् जी, यह बहुत ही गम्भीर आरोप लगाया गया है कि माननीय सदस्य को सरकार द्वारा हिदायत दी गई है । मेरी समझ में नहीं आता कि सदस्य क्यों सरकार से हिदायत लेकर यहां आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : किसी को हिदायत देने का प्रश्न ही नहीं है । जब आप प्रश्न पूछते हैं, तो आपको भी आपकी पार्टी हिदायत दे सकती है ।

श्री सुबोध हंसदा : जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने लोड एण्ड लिफ्ट एलाउन्स सन् 1960 में शुरु किया था । सम्भवत: माननीय सदस्य यह पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सभी कोयला खानों में इसे लागू क्यों नहीं किया गया । इसे क्रियान्वित किया गया है । यहां प्रश्न तो जमुना कोयला खान के बारे में है । यह 1968 में बन्द हो गई थी । सरकार उत्पादन में बढ़ोतरी करना चाहती थी । वे इसे दुबारा चालू करना चाहते थे । सरकार के निर्णय के अनुसार कोयला खानों में लोगों को नौकरी रोजगार कार्यालयों की मार्फत दी जाती है । कोयला खानों की विभिन्न यूनियनों के बीच प्रतिद्वन्द्विता का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्रीमती एम० गोडफ्रे : राष्ट्रीयकृत कोयला खान होने के बावजूद इसमें किस प्रकार से बाहरी तत्व आ जाते हैं और हत्या तथा सम्पति को नुकसान पहुंचा सकते हैं । सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि कोयला खान श्रमिकों को सरकार का किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करने का विचार है ?

श्री सुबोध हंसदा : यह कोयला खानों के हित में होगा कि कोयला खानों में बदमाश लोगों को क्रियाशील न होने दिया जाये ।

श्री वसन्त साठे : श्रीमान् जी, एक निश्चित आरोप लगाया गया है । स्पष्टत: जो व्यक्ति कर्मचारियों के रूप में इस प्रकार के नृशंस व्यवहार करते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते । इस तथ्य के बावजूद कि वहां अचानक हड़ताल कर दी गई, जैसा कि आपने कहा कि यह मजदूर संघ की एक गतिविधि है, परन्तु किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि लोगों की हत्या करना और उनके सिर काटना मजदूर संघों की प्रतिद्वन्द्विता का एक अंग है । इसलिए मैं यह जानना चाहता

हूं कि क्या आपने इस बारे में यह पता करने के लिए कोई जांच की है कि लोगों में फिर से विश्वास पैदा करने और इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने तथा अपराधियों को दण्ड देने के लिए राज्य सरकार ने क्या गम्भीर कार्यवाही की है ? मगर, जैसा कि बताया गया कि कुछ बदमाशों के नेता हैं, क्या कर्मचारियों में विश्वास की भावना जाग्रत करने के लिए उन बदमाशों को दण्ड दिया गया है ?

श्री सुबोध हंसदा : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस कोयला खान की इस घटना की मैं भर्त्सना करता हूं । दस आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जायेगा ।

श्री वसन्त साठे : आप किसी भी व्यक्ति का लिहाज न करें, भले ही वह किसी भी पार्टी से संबंधित हो ।

श्री सुबोध हंसदा : यह पूर्णत: कानून और व्यवस्था का प्रश्न है और सरकार भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही कर रही है । जांच पड़ताल चल रही है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Whether it is a fact that this incident had occurred at 12.30 noon ? Whether it is also a fact that when brutal attack was being made on the workers and Afsar Ali was firing from revolvers in his both the hands, the armed Security Staff of the Colliery, which had guns was a silent spectator ? Is it not the duty of the Security Staff to maintain peace in the Colliery ? The honourable Minister had gone there himself. Whether it is a fact that the heads of the beheaded workers have not been found so far ? The honourable Minister was talking of the M.P. Government, but the Government of M.P. is evading to enquire into this matter. I would like to know from the Government, as my honourable friend, Shri Indrajit Gupta has asked, as to why this matter is not being entrusted to C.B.I. for enquiry ?

श्री सुबोध हंसदा : मैं बता चुका हूं कि जांच पड़ताल चल रही है और जब तक जांच पड़ताल का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं है । मुझे नहीं पता कि यह अफजर अली है कौन । परन्तु यह सच है कि 12 बजकर 15 मिनट पर कुछ आदमी लाठी और अन्य हथियार लेकर आये और कोयलाखान में यह समाचार प्राप्त हुआ कि कुछ श्रमिक घातक हथियारों से लैस होकर इकट्ठे हो गये हैं। जब हड़ताली श्रमिकों के नेता को हड़ताल वापस लेने के लिए बुलाया गया, उसी वक्त सवा बारह बजे, जबकि बातचीत खत्म हुई, तभी यह घटना हुई । जो लोग, घातक हथियारों से लैस इकट्ठे थे—सम्भव है वह पाइप गन या इसी प्रकार की अन्य कोई चीज रही हो—उससे 12 से 15 राउन्ड चलाये गये, जिससे पांच आदमी घायल हो गए और दो व्यक्ति मर गए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सिक्यूरिटी स्टाफ के बारे में आपका क्या उत्तर है ? मैंने एक निश्चित प्रश्न पूछा था । क्या यह सच है कि सिक्यूरिटी स्टाफ खड़ा हुआ चुपचाप तमाशा देखता रहा ? सिक्यूरिटी स्टाफ हथियारों से लैस था, परन्तु उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष महोदय : मामले की जांच की जा रही है और अनेक बातें कही जा रही हैं ।

श्री वसन्त साठे : केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने के लिए यह उपयुक्त मामला है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक तथ्य का प्रश्न है कि सिक्यूरिटी स्टाफ ने हस्तक्षेप किया या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उस समय सिक्यूरिटी का कोई कर्मचारी वहां उपस्थित था या नहीं ?

श्री सुबोध हंसदा : जब वहां तनाव था, तो कोयला खान प्राधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से सहायता का अनुरोध किया था। परन्तु पुलिस के जितने कर्मचारियों को वहां तैनात किया गया था, उनकी संख्या अपर्याप्त थी। यह बात 30 तारीख की है। परन्तु जब इस बात की आशंका पैदा हो गई कि कुछ संघर्ष की घटनायें हो सकती हैं, तो राज्य सरकार से अधिक संख्या में पुलिस कर्मचारी भेजने के लिए अनुरोध किया गया। मगर तब तक यह घटना हो चुकी थी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, My question has not been replied. Excuse me, I do not want to rise again and again. I am asking about the Security Staff in the Colliery and he is replying about the M.P. Police.

अध्यक्ष महोदय : कोयला खान में उस समय सिक्यूरिटी कर्मचारी थे या नहीं ? माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि सिक्यूरिटी कर्मचारी वहां थे या नहीं। परन्तु मुख्य सुरक्षा अधिकारी वहां नहीं था और वह वहां...

अध्यक्ष महोदय : इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है, मान लीजिये बाद में यह पाया जाता है कि वह वहां था या वह वहाँ नहीं था और मन्त्री महोदय यहां पर कुछ कहते हैं...

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मेरे प्रश्न की मुख्य बात यह है, और श्री साठे ने भी उस बात को कहा है। वहां जो कुछ हुआ, उसे ध्यान में रखते हुए हमें मध्य प्रदेश सरकार की स्थानीय जांच में विश्वास नहीं है। मध्यप्रदेश के विधि और जेल मन्त्री, जो स्वयं शहडोल जिले के रहने वाले हैं, उनकी अफजर अली से काफी घनिष्ठता है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिए। उन व्यक्तियों पर आरोप मत लगाइये, जो यहां उपस्थित नहीं हैं। यह केस चल रहा है, वहां पर जांच पड़ताल हो रही है। फैक्ट्स पूछ सकते हैं। बहस में तो न पड़ो।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यह घटना मध्य प्रदेश कोयला खान में हुई थी...

श्री राम सहाय पांडे : चूंकि यह घटना मध्य प्रदेश में हुई थी, इसीलिए मुझे भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं आपको तथा मंत्री महोदय के सूचनार्थ एक बात कहना चाहता हूं। सरकार द्वारा कोयला खानों को अपने नियन्त्रण में लेने के तुरन्त बाद ही मजदूर संघ नेताओं तथा प्रबन्धक वर्ग के बीच विवाद शुरु हो गया था। गैर सरकारी क्षेत्र में जो प्रबन्धक थे वही बाद में सरकारी क्षेत्र में आ गये। वे पहले भी अपराधियों के साथ थे और अब भी हैं।

विवाद उपस्थिति रजिस्टरों में श्रमिकों के नाम दर्ज करने के मामले से शुरु हुई। क्या यह सच नहीं है कि राजनीतिक दलों, चाहे वह कांग्रेस हो, साम्यवादी हो अथवा मार्क्सवादी हों, द्वारा जोर डाले जाने पर प्रबन्धक वर्ग ने कोयला खानों में एक एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे वास्तविक मजदूरों के नाम उपस्थिति रजिस्टरों में नहीं लिखे गए बल्कि सभी राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के कुछ मजदूर नेताओं की चापलूसी करने वाले व्यक्तियों के अथवा अपराधियों के नाम

रजिस्टरों में दर्ज किये गए ? क्या मंत्री महोदय इस बारे में प्रबन्धकों के अतिरिक्त किसी निष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं ?

श्री सुबोध हंसदा : इस मामले में दो दलों ने अपने अपने उम्मीदवार को नौकरी दिलवानी चाही...

श्री ए०पी० शर्मा : वे कौन से दल हैं ?

श्री सुबोध हंसदा : मैं यह नहीं बताना चाहता था । लेकिन दो दलों ने ऐसा किया है ...

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय नाम क्यों नहीं बताते ?

श्री सुबोध हंसदा : स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए प्राधिकरण ने यह निर्णय किया कि वे रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करेंगे । प्रबन्धक वर्ग के अधीन गठित भर्ती समिति ने साक्षात्कार (इन्टरव्यू) लिया । जब इन्टरव्यू चल रहा था तो एक दल ने आपत्ति की और कहा कि यह गलत है और स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों का इन्टरव्यू लिया जाना चाहिये । इस आपत्ति के अनुसरण में उन्होंने आकस्मिक हड़ताल कर दी ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या मंत्री महोदय सभी कोयला खानों में जांच करवाने के लिये तैयार हैं ? अन्यथा यह गड़बड़ी नहीं रोकी जा सकती । यह चलती ही रहेगी ।

Shri Dhanshah Pradhan : Mr. Speaker, Sir, through you, I would like to know the reason for not arresting the culprits soon after the incident took place ? It has been published in 'Dainik Jan Bodh' brought out from Shahdol district that one pistol from Afsar Ali, one pistol from Gulam Mohammad and one sword from Murti Singh have been seized. Now the ring leaders Bhujwa and Murti Singh, who beheaded the person, have been arrested by the police and beheaded body has also been recovered. May I know why the culprits were not arrested immediately ?

Secondly, what action is being taken for the families of the deceased labourers and against the culprits ?

Thirdly, is the hon. Minister aware of the fact that trouble arose due to dispute in unions of Communist Party and Ruling Congress Party ?

Fourthly, what action is being taken to check such incidents of murders in Nationalised Coal Mines ?

श्री सुबोध हंसदा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि 10 व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं । माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ लोगों के हाथों में हथियार थे । मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता । जांच चल रही है और यह पता चल जाएगा कि उनके पास हथियार थे अथवा नहीं ।

मुआवजे के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक परिवार को राहत के तौर पर एक हजार रुपया दिया गया है । यह भी निर्णय किया गया है कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कोयला खान में नौकरी दी जाएगी ।

श्री राम सहाय पांडे : मैं इस मामले को राजनीतिक या क्षेत्रीय रंग नहीं देना चाहता लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । कोयला खान में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार क्या संरक्षण देगी ? प्रतिद्वन्द्विता का होना स्वाभाविक है । दो या तीन मजदूर संघ भी हो सकते हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र में गुंडों को पालना एक पुरानी और आम प्रथा है । लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद इससे हमारे नाम और प्रतिष्ठा पर बट्टा लगता है और यदि

मजदूरों की इस बेरहमी से हत्या की जाती है तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि मजदूरों की उचित सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किए हैं ?

श्री सुबोध हंसदा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मजदूरों को संरक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार की सहायता के बिना कानून और व्यवस्था नहीं बनाए रखी जा सकती।

जहां तक खानों के कार्यकरण का संबंध है, जिन खानों में ऐसी घटनायें हुई वहां स्थिति सामान्य है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री मुंशी ने संगत प्रश्न पूछा है। सारा विवाद खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद उपस्थिति रजिस्ट्रारों में मजदूरों के नाम दर्ज करने से शुरू हुआ। राष्ट्रीयकरण से पूर्व खानों में काम कर रहे वास्तविक मजदूरों के नाम दर्ज करने के बारे में सरकार से अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? दूसरे, जिन 10 या 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम क्या हैं ? प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सब बाहर के व्यक्ति थे और उनके नेता अफजर अली थे। गेट पर सुरक्षा पुलिस के होते हुए इन व्यक्तियों को कोयला खानों में प्रवेश क्यों करने दिया गया ? इसका क्या उत्तर है ?

श्री सुबोध हंसदा : वास्तविक मजदूरों के नाम दर्ज करने का मामला एक सामान्य मामला है। इस खान का स्वामित्व राष्ट्रीय कोयला खान निगम के हाथों में है। इसीलिये वास्तविक मजदूरों के नाम दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे यह जानकारी नहीं मिली कि वह सुरक्षा पुलिस का आदमी था अथवा नहीं। इसीलिये मैं तत्काल कुछ नहीं कह सकता।

श्री बसन्त साठे : मंत्री महोदय को जानकारी एकत्र करनी चाहिये थी।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय के उत्तर से निराशा हुई। मंत्री महोदय के उत्तर से लगता है कि विवाद वफादार तथा हड़ताली कर्मचारियों के बीच था। ऐसा कहना जांच को एक बड़े अपराध का रूप देना होगा। क्या प्रबन्धक वर्ग ने हड़ताली कर्मचारियों के लिए गुंडों को खरीदा था ? क्या यह सच है कि जब मंत्री महोदय ने खान का दौरा किया तो कातिल आसफ अली भी उनके साथ था और मध्य प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों ने इस कारण से उसे गिरफ्तार करने का साहस नहीं किया क्योंकि केन्द्रीय मंत्री उसके साथ थे ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे व्यक्ति का नाम न लीजिये जो सदन में उपस्थित नहीं है। सदन में ऐसी प्रथा नहीं है : आप एसे व्यक्तियों का नाम नहीं ले सकते जो सदन से बाहर हैं। जाच चल रही है।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि प्रमुख कातिल उनके साथ थे। उन प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने ये कत्ल करवाये हैं। क्या मुआवजा देने का प्रस्ताव है अथवा नहीं।

श्री सुबोध हंसदा : पहले प्रश्न का उत्तर 'न' में है। प्राधिकरण ने किसी बाहर के व्यक्ति को अनुमति नहीं दी थी। कोयला खान प्राधिकरण के हित में है कि बाहर का कोई व्यक्ति न आये।

दूसरे माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या अफजर अली मेरे साथ था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने खानों का दौरा नहीं किया। मध्य प्रदेश के मंत्री ने खानों का दौरा किया था। मुझे यह जानकारी नहीं कि अमुक व्यक्ति उनके साथ था अथवा नहीं। चूंकि मजदूर खान के अन्दर अथवा काम करते हुए नहीं मरे, इसीलिये मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता। हमने उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दे दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I would like to know from the hon. Minister as to after how much time police came to know about the incident ? After how many days hon. Minister visited the mine and when the orders for investigation were issued ? What is the time gap ? After how many days culprits were arrested and what are their names ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं मानो मंत्री महोदय साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में उपस्थित हों। यह जांच के हित में नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : We have no confidence in the enquiry being conducted by the Madhya Pradesh Government . C.B.I. should conduct the enquiry. A number of incidents have already taken place and enquiries were also conducted but report has not been brought out till now.

Mr. Speaker : Please don't ask such question which can affect enquiry.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय की सलाह ली गई। क्या उन को इस तथ्य का पता है कि चाहे सरकारी क्षेत्र उपक्रम हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र उपक्रम, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(ख) के अन्तर्गत छटनी किए गए कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी पड़ती है ? क्या सरकार स्थानीय लोगों को भर्ती करने में क्षेत्रीय अथवा राजनीतिक दृष्टिकोण की बजाय भविष्य में इस सिद्धान्त को अपनायेगी ?

श्री सुबोध हंसदा : यह खान वर्ष 1968 में बंद की गई थी। इसीलिए, छंटनी किए गए कर्मचारियों का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खान बंद होने से पूर्व भी कर्मचारी काम कर रहे थे।

श्री सुबोध हंसदा : अधिकांश कर्मचारी दूसरी खानों में खपा लिये गए हैं। यहां प्रश्न नई खान के लिए भर्ती करने का है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(ख) का ज्ञान है अथवा नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

50 Top Income Tax Payers in U.P.

***468. Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of 50 Income-tax payers paying the largest amount of Income-tax in U.P. and the amounts of tax they paid in 1972-73;

(b) the names of 50 biggest Income-tax defaulters in U.P. and the amount due from them in the same year;

(c) the total Income-tax arrears in U.P. in 1972-73; and

(d) the steps taken to realise these arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) The requisite information is given in Statement 'A' laid on the Table of the House. [**Placed in the Library.** *See* **No. L.T.—8260/74**].

(b) The requisite information is given in Statement 'B' laid on the Table of the House. [**Placed in the Library.** *See* **No. L.T.—8260/74**]

(c) The amount of gross and net arrears of Income-tax (including Corporation-tax) outstanding as on 31-3-1973 in the charges of Commissioners of Income-tax, Kanpur I & II and Lucknow is as follows :—

Commissioner's Charge	Arrears outstanding as on 31-3-1973	
	Gross	Net
	(In crores of Rs.)	
Kanpur-I&II	20.60	11.33
Lucknow	12.33	6.67

Regionwise break-up of these gross and net arrears is given in Statement 'C' laid on the Table of the House.

(d) All steps provided in law, including the following, have been taken and are being taken depending upon the facts and circumstances of each case :—

(1) Levy of penalty u/s 221 of the Income-tax Act, 1961 for non-payment of tax.

(2) Attachment of money due to the assessee u/s 226 (3).

(3) Attachment of money in courts u/s 226(6).

(4) Distraint and sale of movable property u/s 226 (5).

(5) Issue of Recovery Certificate u/s 222.

(6) Attachment/sale of movable/immovable property.

(7) Detention of assessee in Civil Prison.

Further, with effect from 5-8-74, the number of Commissioners of Income-tax in U.P. has been increased from 3 to 5—3 at Kanpur and 2 at Lucknow.

As a result of various steps taken, the collection/reduction out of the arrears indicated under (c) above is as follows :—

Commissioner's Charge	Cash collection/reduction in arrears during 1973-74
	(In crores of Rs.)
Kanpur-I & II	10.98
Lucknow	4.96

अमरीका को काली मिर्च का निर्यात

*470. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो महीने से अधिक समय से अमरीका को काली मिर्च का निर्यात बन्द है जिससे बहुत से छोटे व्यापारियों को गम्भीर चिंता हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि निर्यात संवर्धन परिषद् केवल बड़े निर्यात-कर्ताओं से संपर्क रखती है और काली मिर्च के छोटे व्यापारियों तथा उत्पादकों की उपेक्षा करती है; और

(घ) यदि हां, तो छोटे व्यापारियों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) अप्रैल-जून, 1974 के महीनों के दौरान अमरीका को भारत से काली मिर्च की कोई खरीदारी नहीं है ।

(ख) इसका कारण यह था कि भारत के काली मिर्च के निर्यातकों ने इस बात पर आग्रह किया कि अमरीका के खाद्य तथा औषधि प्रशासन द्वारा किसी भी अमरीकी पत्तन पर काली मिर्च के रोके जाने की स्थिति में सफाई प्रभार के भुगतान के लिए उनका दायित्व 2 सेंट प्रति पौंड सीमित कर दिया जाए । अमरीका ने अब उपर्युक्त शर्त पर काली मिर्च खरीदना आरम्भ कर दिया है ।

(ग) जी नहीं । मसाला निर्यात संवर्धन परिषद में उसके सदस्य के रूप में बड़े और छोटे दोनों स्तर के निर्यातक हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

धनवान कृषकों द्वारा करापवंचन

*471. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि धनवान कृषक और किसान बड़े पैमाने पर करों का अपवंचन करते हैं; और

(ख) क्या राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र में लगने वाले प्रत्यक्ष करों के योगदान का अनुपात बहुत कम हो गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) और (ख) कृषि का काम करने वालों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं :—

(1) कृषि योग्य भूमि पर धन-कर;

(2) कृषि-योग्य भूमि के दान पर दान-कर;

(3) कृषि-योग्य भूमि के संबंध में संपदा शुल्क; परन्तु यह तब जब कि राज्य-विधान-मण्डल ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया हो ।

कृषि-आय पर आय-कर नहीं लगता है। कर-निर्धारण वर्ष 1974–75 से आगे के लिये कृषि-आय को केवल आय-कर की दर निर्धारित करने के लिये अन्य आय में शामिल किया जाता है।

2. भू-राजस्व और कृषि-आय-कर जैसे अन्य करों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है।

3. वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में कृषि क्षेत्र से वसूल की गयी प्रत्यक्ष करों (कृषि योग्य भूमि पर दान-कर को छोड़कर) की रकम इस प्रकार है :—

(आंकड़े, करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	कृषि-योग्य भूमि पर धन-कर	कृषि योग्य भूमि पर सम्पदा-शुल्क	भू-राजस्व	कृषि आय-कर	जोड़	चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय	स्तम्भ 6 की रकम का स्तम्भ 7 की रकम के मुकाबले प्रतिशत अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1970–71	.09	.87	120.8	10.5	132.26	34279	.39
1971–72	.49	1.11	102.2	12.9	116.70	36070	.32
1972–73	.72	1.46	107.3	14.9	124.38	38573	.32

टिप्पणी :—कृषि-योग्य भूमि के दान पर संग्रह किये गये कर अलग से उपलब्ध नहीं हैं और इसीलिए उसे उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

इस प्रकार, यह मालूम होता है कि कृषि का काम करने वालों और काश्तकारों पर कुल करों के मुकाबले केन्द्रीय करों का अनुपात बहुत थोड़ा है।

4. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1970-71 से शुरू होने वाले तीन वर्ष की अवधि में कृषि-क्षेत्र से प्राप्त प्रत्यक्ष करों और राष्ट्रीय आय के बीच अनुपात में सीमान्तक कमी आई है।

हस्तशिल्प-वस्तुओं का निर्यात

*472. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में भारत द्वारा निर्यात की गई हस्तशिल्प-वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह निर्यात कुल कितने मूल्य का था ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1973–74 के दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात (रत्न तथा आभूषण को छोड़कर)।

मद का नाम	मूल्य (लाख रु० में) (अनन्तिम)
1. ऊनी कालीन, गलीचे और दरियां जिनमें नमदे भी शामिल हैं	2352.72
2. धातु का कलात्मक सामान	1058.85
3. लकड़ी का सामान	571.02
4. हाथ से छपे वस्त्र तथा स्कार्फ	493.61
5. नकली आभूषण	228.13
6. शाल कलात्मक सामान के रूप में	28.10
7. जरी	103.51
8. हाथी दांत का सामान	27.43
9. सूती कालीन, गलीचे तथा दरियां आदि	142.29
10. कशीदाकारी का सामान	237.08
11. हस्तशिल्प की विविध वस्तयें	787.44
योग	6030.18

तमिलनाडु में पर्यटन विकास

*473. **श्री मुहम्मद शरीफ : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिल नाडु में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विकास के लिये कुल कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई; और

(ख) प्रत्येक योजना और परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा है। **[सभा-पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8261/74]**

पालम हवाई अड्डे पर उतरते समय विमानों के टायरों का फटना

*477. **श्री पी० के० देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पालम हवाई अड्डे पर उतरते समय कुछ विमानों के टायर फट गये थे;

(ख) यदि हां,तो क्या दोषपूर्ण टायरों के उपयोग क बारे में जिसस यात्रियों के जीवन को खतरा रहता है, कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी जांच के क्या निष्कर्ष रहे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1974 के दौरान पालम हवाई अड्डे पर केवल एक ऐसा वाक्या हुआ है। 28 मई, 1974 को पालम हवाई अड्डे पर अवतरण के दौरान इण्डियन एयरलाइंस के एक बोइंग–737 विमान के बाईं ओर के बाह्य मख्य पहिये का टायर फट गया था। विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था।

(ख) और (ग) इस घटना की जांच एक जांच-मंडल द्वारा की जा रही है तथा रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

न्यू सिटीजन बैंक आफ इंडिया के बैंक आफ बड़ौदा में विलय के परिणामस्वरूप इस बैंक के जमाकर्त्ताओं को अदायगी

*478. **श्री शंकर राव सामन्त** : क्या वित्त मंत्री न्यू सिटीजन बैंक आफ इण्डिया के बैंक आफ बड़ौदा में विलय से संबंधित 22 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4229 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलय की योजना के अन्तर्गत न्यू सिटीजन बैंक आफ इंडिया के जमाकर्त्ताओं को 12 वर्षों के अन्दर पूरा भुगतान किया जाना था; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें पूरी रकम की अदायगी क्यों नहीं की गयी है; और

(ग) उन्हें उनकी बकाया राशि की अंतिम किश्त कब तक मिलने की संभावना है और उन्हें किस सीमा तक भुगतान किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) न्यू सिटीजन बैंक आफ इण्डिया लि० को बैंक आफ बड़ौदा में शामिल करने की योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि न्यू सिटीजन बैंक आफ इण्डिया के जमाकर्त्ताओं को 12 वर्षों में पूरी रकमें चुका दी जायेंगी। इस योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि जबसे यह लागू होंगी तब से 12 वर्ष पूरे होने पर, बैंक आफ बड़ौदा, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, उन परिसम्पत्तियों का जो अभी प्राप्त की जानी हैं अन्तिम रूप से मूल्यांकन करेगा, तथा निवल अधिशेष की रकम को आनुपातिक रूप से जमाकर्त्ताओं में वितरित कर देगा। इसके अनुसार, बैंक आफ बड़ौदा ने अपनी अन्तिम मूल्यांकन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है और भारतीय रिजर्व बैंक अन्तिम रूप से जमाकर्त्ताओं को आनुपातिक अदायगी करने के संबंध में बैंक आफ बड़ौदा को सलाह देगा।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण सुविधा बन्द किए जाने के बारे में अखिल भारतीय निर्यात संगठनों द्वारा दिया गया ज्ञापन

*482. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा 12 जुलाई, 1974 स उसके साथ लेन देन करन वाले सभी लघु क्षेत्र एककों को नगद ऋण दना बन्द कर दने के बारे में अखिल भारतीय निर्माता संगठनों ने प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मुख्य अनुरोध किय हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) जी, हां। कुछ हफ्ते पहले सरकार को अखिल भारतीय निर्माता संगठन, नयी दिल्ली की लघु उद्योग प्रशाखा के अध्यक्ष से एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक द्वारा ऋण की सीमाओं को 12 जुलाई 1974 को लागू सीमाओं तक सीमित किये जाने का उल्लेख किया था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया था कि इससे लघु उद्योग क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा। उनका सुझाव यह था कि यदि ऋण की राशि को इस तरह सीमित करना अनिवार्य था तो उसे तीन वर्षों और उससे अधिक की अवधि में फैलाकर किया जाना चाहिये और यह पाबन्दी नये आवेदकों पर लागू नहीं होनी चाहिए।

भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया है कि नीति के तौर पर बैंक के कार्यालय ने विभिन्न मंडलों के प्रबन्धकों को यह परामर्श किया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके मंडल में ऋणों की कुल रकम 12 जुलाई के स्तर से अधिक न हो। इसका उद्देश्य यह था कि कुल मिलाकर मंडल स्तर पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच ऋण की रकमों का समायोजन उसी तरह किया जाए जिस तरह एक खाते स दूसरे खाते के बीच किया जाता है। इसका आशय यह नहीं था कि प्रत्येक खाते पर एक मुश्त पाबन्दी लगायी जाए। जब केन्द्रीय कार्यालय को यह बात मालूम हुई कि जो हिदायतें दी गयी हैं उनका कुछ कार्यालयों में सही अर्थ नहीं लगाया गया है तब तत्काल ही उक्त नीति की व्याख्या करते हुए व्यापक रूप से स्पष्टीकरण जारी कर दिये गये थे।

भारतीय स्टेट बैंक ने यह और सूचित किया है कि लघु उद्योगों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

1. जिन छोटे लेनदारों के लिये 2 लाख रुपय तक की सीमाय मंजूर की गयी हैं उनके खातों पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगायी गयी है।

2. 2 लाख और 10 लाख रुपये के बीच की ऋण सीमाओं के संबंध में यह हिदायतें दी गयी हैं ऋण के लिये प्राप्त अनुरोधों की कड़ी छान-बीन की जाए।

3. लघु उद्योग के क्षेत्र में जिन बड़े लेनदारों के लिये 10 लाख रुपयों से अधिक की सीमा तय की गयी है वे वास्तव में मध्यम दर्जे के उद्योग के अन्तर्गत आते हैं। इन लेनदारों के संबंध म ये हिदायतें दी गयी हैं कि जहां तक संभव हो उन्हें नयें ऋण न दिये जायें। इन लेनदारों के संबंध में भी विशेष मामलों पर विचार किया जा सकता है और इन पर कोई एक मुश्त पाबन्दी नहीं लगायी गयी है।

मेवों का आयात

***483. श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों का विकास करने की दृष्टि से वहां से मेवों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार का क्या स्वरूप होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा की वर्तमान कमी को देखते हुए उक्त मेवों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) अफगानिस्तान से मेवों के आयातों की अनुमति प्रति-वर्ष उस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्ध के अन्तर्गत दी जाती है। इन आयातों को उस देश को बराबर मूल्य के अनुगेय भारतीय माल के निर्यात द्वारा प्रति संतुलित करना अपेक्षित है। आगामी मेवा मौसम के दौरान मेवों के आयात की नीति को अगले महीने के मध्य तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है और तब उसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

विश्व बाजार में भारतीय चाय की बिक्री

***484. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या बहु-राष्ट्रीय निगम विश्व चाय बाजार में भारतीय चाय की बिक्री में रुकावटें डाल रहें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रुकावटों के होते हुए भी सरकार ने विश्व बाजार में चाय की बिक्री के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

(1) विभिन्न परम्परागत और नये बाजारों में भारतीय चाय के निर्यात की और अधिक संभावना पैदा करने के लिए चाय बोर्ड के लन्दन, न्यूयार्क, काहिरा, ब्रेसल्स और सिडनी स्थित कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्यकलाप।

(2) स्थानीय मिश्रणकर्त्ताओं/पैकरों के सहयोग से विदेशों में चुने हुए बाजारों में भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन।

(3) विदेशों में प्रचार के उपयुक्त माध्यमों द्वारा विज्ञापन।

(4) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(5) चाय के हित को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों और विशेषज्ञों को विदेशों से बुलाना और विदेश भेजना।

(6) पैकट बन्द और बल्कडेड की गई चाय के निर्यात के लिए सरकारी क्षेत्रों में चाय व्यापार निगम को सक्रिय बनाना ।

(7) अन्य अमादक पेयों के साथ एक पेय के रूप में चाय की खपत बढ़ाने के लिए आयातक देशों के स्थानीय चाय व्यापारियों और अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ मिलकर सामान्य संवर्धन करना ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की गई 'साइजिंग' मशीनें

*485. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्ज रायफ्स इंडिया लिमिटेड की ओर से लगभग 60 लाख रुपये के मूल्य की राज्य व्यापार निगम द्वारा लगभग सात वर्ष पूर्व आयात की गई उन छह 'साइजिंग' मशीनों का लाभप्रद ढंग से उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जो अभी भी राज्य व्यापार निगम के गोदाम में कबाड़ रूप में पड़ी हुई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : राज्य व्यापार निगम द्वारा 1965 में मैसर्ज रेयकल (इंडिया) लिमिटेड की ओर से, जोकि रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है, छह साइजिंग मशीनों का आयात किया गया था । चूंकि मैसर्ज रेयकल (इंडिया) लिमिटेड ने इन मशीनों की डिलीवरी नहीं ली, अतः राज्य व्यापार निगम ने 1972 में इन मशीनों को ऐसे एककों को बेच देने के लिए कदम उठाये जिनका 1968-69 और 1969-70 में उच्चतम निर्यात निष्पादन था । मैसर्ज राज्य रत्न सिल्क मिल्ज, बम्बई और मैसर्ज मधु वार्प निटिंग इन्डस्ट्रीज, बम्बई ने क्रमशः बम्बई तथा दिल्ली उच्चन्यायालयों में उन पार्टियों के चुने जाने के विरुद्ध याचिकाएं दायर की, जिन्हें मशीनें बिक्री के लिए आफर की जा रही थीं । बम्बई उच्च न्यायालय ने 8-3-1973 को 4 मशीनों की बिक्री पर व्यादेश रद्द कर दिया है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25-9-1974 को सभी मशीनों की बिक्री पर व्यादेश रद्द कर दिये हैं । अतः राज्य व्यापार निगम ने बिक्री के लिए चार मशीनें उच्चतम चार निर्यातिक एककों को आफर की हैं । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

गुजरात में पर्यटक केन्द्रों का विकास

*486. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य में पर्यटक आकर्षण के कुछ वर्तमान तथा नये केन्द्रों का विकास करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए वर्ष 1974-75 में कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) बनाये जाने वाले नये केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) साधनों के सीमित होने तथा पर्यटन विभाग के बजट में कटौती कर दिये जाने के कारण 1974-75 के दौरान गुजरात में केवल उन्हीं स्कीमों को पूरा करने के लिए कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है जोकि चौथी योजना से बच गई थीं। इन स्कीमों के अन्तर्गत पोरबन्दर में एक पर्यटक बंगले, गांधीनगर में एक युवा होस्टल तथा ससनगिर वन्यजीव शरणस्थल में एक फोरेस्टलाज का निर्माण करना है। इस प्रयोजन के लिये 1974-75 के लिये बजट प्राक्कलन में 7.26 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। पर्यटन विभाग द्वारा पांचवीं योजना के दौरान प्रारंभ की जाने वाली नयी स्कीमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम का, धन उपलब्ध होने की हालत में, पांचवीं योजना में अहमदाबाद में एक होटल तथा एक परिवहन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

चाय के निर्यात से आय

***487. श्री भान सिंह भौरा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में चाय के निर्यात से कितनी आय होने की आशा है;

(ख) क्या चाय उद्योग से संबंधित केन्द्रीय मजदूर संघों ने वर्तमान नीलाम पद्धति को जिससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश की चाय का उचित मूल्य प्राप्त करने से वंचित रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, पूणतया समाप्त करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) 174 करोड़ रु०

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

3309. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान कुल कितने मूल्य की और किन किन दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): 1973-74 के दौरान निर्यातित हस्तशिल्प मदों (रत्न तथा आभषणों से इतर) का कुल मूल्य 6030.18 लाख रु० था जिसका व्यौरा निम्नलिखित है :—

	मद का नाम	मूल्य (लाख रु० में) अनन्तिम
1.	ऊनी कालीन, गलीचे और दरियां जिनमें नमदे भी शामिल हैं।	2352.72
2.	धातु का कलात्मक सामान	1058.85
3.	लकड़ी का सामान	571.02

	मद का नाम	मूल्य (लाख रु० में) अनन्तिम
4.	हाथ की छपाई वाले वस्त्र तथा स्कार्फ	493.61
5.	नकली आभूषण	228.13
6.	शाल कलात्मक सामान के रूप में	28.10
7.	जरी	103.51
8.	हाथी दांत उत्पाद	27.43
9.	सूती कालीन, गलीचे और दरियां	142.29
10.	कशीदाकारी का माल	237.08
11.	हस्तशिल्प की विविध वस्तुएं	787.44
	योग	6030.18

मादक औषधियों के उत्पादन तथा प्रयोग को रोकने के लिए औषध संबंधी कानून

3310. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मादक औषधियों का प्रसार, उत्पादन बिक्री तथा प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए औषध सम्बन्धी कानूनों को कठोर बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) सरकार मादक (नार्कोटिक) एवं हानिकर औषधियों से संबंधित प्रवर्तमान कानूनों में संशोधन करने और उन्हें समेकित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य मादक औषधियों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर और अधिक कठोर नियंत्रण लागू करना तथा अपराधियों के लिये निवारक दंड की व्यवस्था करना है ।

रबड़ उत्पादकों को प्रोत्साहन

3311. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रबड़ उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने के लिये क्या प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रबड़ विकास कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि नियत की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) उत्पादन बढ़ाने के लिए रबड़ उपजकर्त्ताओं को निम्नोक्त प्रोत्साहन दिये जाते हैं :

(1) पुराने तथा कम उपज वाले रबड़ वृक्षों के स्थान पर घनी उपज वाली रोपण सामग्री से पुनरोर्पण करने के लिये उपदान प्रदान करना ।

(2) वर्तमान बागानों को विस्तृत कर के लाभकारी एकक बनाने तथा उनकी देखभाल करने के लिये ऋण प्रदान करना ।

(3) घनी उपज वाली रोपण सामग्री वितरित करना ।

(4) उरवर्क तथा फफूंदी नाशक रियायती दरों पर वितरित करना ।

(5) रबड़ रोलर खरीद कर अपने सदस्यों को वितरित करने के लिये सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करना या रबड़ साधित करने के लिए रोलर खरीदने हेतु सदस्यों को ऋण प्रदान करना ।

(6) रबड़ साधित करने के लिये धुआं-गृहों के निर्माण के लिये सहकारी समितियों/छोटे उपजकर्त्ताओं को उपदान प्रदान करना ।

(7) रबड़ का विपणन करने वाली विपणन समितियों को हिस्सा पूंजी तथा कार्यकारी पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

(8) रबड़ उगाने तथा साधित करने के सभी पहलुओं पर उपजकर्त्ताओं को नि:शुल्क तकनीकी परामर्श ।

(ख) 18.5 करोड़ रुपय ।

न्यू इन्डिया एश्योरेंस कम्पनी द्वारा मैसर्ज रतनसी मूलजी को अनियमित रूप से अग्रिम धन देने का समाचार

3312. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्ड मोहर एण्ड फिनले मिल्ज, बम्बई पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी द्वारा मैसर्ज रतनसी मूलजी को शेयर खरीदने के लिये अनियमित रूप से अग्रिम धन देने के बारे में सरकार को जानकारी दी गई है; और

(ख) क्या कम्पनी कार्य विभाग का विचार इन अनियमित तथा अस्वस्थ प्रक्रियाओं की जांच के आदेश देने तथा कम्पनियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बैंक राशि तथा बीमा राशि के प्रयोग की अनुमति न देने के लिए सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा बीमा कम्पनियों को निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) गोल्ड मोहर और फिनले मिल्ज, बम्बई के शेयर खरीदने के लिए न्यू इन्डिया एश्योरेंस कम्पनी ने मैसर्ज रतनसी मूलजी एण्ड कम्पनी को कोई पेशगी रकम नहीं दी थी । लेकिन उक्त कम्पनी ने मैसर्ज जेम्ज फिनले एण्ड कम्पनी लि०, ग्लासगो के पक्ष में मैसर्ज रतनसी मूलजी एण्ड कम्पनी की ओर से 24 सितम्बर, 1968 को 94.82 लाख रुपये की एक क्षतिपूर्ति पालिसी अवश्य जारी की थी जो पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध थी । इस क्षतिपूर्ति पालिसी को, उसके अन्तर्गत दिये गये दायित्वों को मैसर्ज रतनसी मूलजी द्वारा पूरा किये जाने पर, 1973 में नियत तारीख को रद्द कर दिया गया था ।

जारी की गई क्षतिपूर्ति पालिसी ऐसे जोखिम के लिए कम्पनी की बीमा करने की पालिसी के अनुकूल थी। राष्ट्रीयकरण के बाद, विविध बीमा कम्पनी की सहायक कम्पनियों ने विस्तृत समीक्षा किये जाने तक आस्थगित भुगतानों आदि के लिए शुद्ध वित्तीय गारंटी देना बन्द कर दिया है।

नेपाल को ट्रकों का निर्यात

3313. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार कर रही है कि नेपाल को ट्रकों के निर्यात के बारे में रोक लगा दी जाये; और

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) नेपाल को ट्रकों का निर्यात वार्षिक कोटा आवंटनों के अध्यधीन है और सरकार का इस सम्बन्ध में नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

खाद्यान वसूली अभियान पर रिजर्व बैंक ऋण प्रतिबन्ध

3315. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ऋण प्रतिबन्ध का खाद्यान वसूली अभियान पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को इस बीच कोई रियायतें दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी नहीं। इस समय जो इन्तजाम किये गये हैं उनमें सरकारी एजेंसियों द्वारा अनाज की वसूली करने के लिए पर्याप्त ऋण सीमाएं तय करने की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों का एक संघ बनाया है जिसका अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक है। ये ऋण-सीमाएं, अनाज वसूली से सम्बन्धित उपयुक्त एजेंसियों से सलाह-मशविरा करने के बाद हर फसल के शुरू में ठीक ठीक जायजा लेकर तय की जाती हैं।

(ख) और (ग) इस समय रिजर्व बैंक अनाज वसूली के लिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले 400 करोड़ से अधिक रकम के ऋण के बदले उन्हें जो ऋण देता है उस पर बैंक-दर पर ब्याज लेता है। वाणिज्यिक बैंक अनाज की वसूली के लिए दिये जाने वाले ऋण के बदले ऋण की निश्चित सीमा के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से जो ऋण लेते हैं उससे ऋण लेने वाले बैंकों की निवल नकदी और नकदी जैसे साधनों पर कोई उलटा असर नहीं पड़ता और इस प्रकार इस तरह को ऋणों के व्याज के संदर्भ में इन बैंको को थोड़ा सा लाभ दिया जाता है। हालांकि इस समय रिजर्व बैंक ने अनाज वसूली के लिए दिये जाने वाले ऋण की कम से कम व्याज-दर 12.5 प्रतिशत रखी है, लेकिन बैंक भारतीय खाद्य निगम से 11 प्रतिशत की दर से व्याज लेते हैं जबकि वे राज्य सरकारों तथा अनाज वसूली करने वाली अन्य एजेंसियों से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लेते हैं।

राज्य व्यापार निगम को ऊनी चीथड़े आयात करने के लिये लाइसेंस

3316. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी चीथड़े का आयात करने के लिये राज्य व्यापार निगम को नये लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) क्या कोई खेप इस आधार पर रोक ली गई है कि आयात विनियमों के अनुसार चीथड़े पूरी तरह कटे-फटे नहीं थे;

(ग) क्या इस बीच ऐसी खेपों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(घ) क्या समय पर चीथड़े न छुड़वाने के लिए पतन न्यास को कुछ अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना पड़ा था; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) यद्यपि, ऊनी चिथड़ों के आयात हेतु राज्य व्यापार निगम को हाल ही में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, परन्तु चिथड़ों के आयात पर कोई रोक नहीं है, जोकि शाडी ऊनी उद्योग के लिए कच्चा माल है और जिसका आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है ।

(ख) जी हां ।

(ग) रोकी गई खेपें, ऊनी चिथड़ों को विकृत करने के बाद छोड़ी जा रहीं हैं और उन्हें विकृत करने का कार्य राज्य व्यापार निगम द्वारा, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की समग्र निगरानी के अधीन, वस्त्र आयुक्त के अधिकारियों, पतनों पर आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक की देखरेख में किया जाना है।

(घ) नियमों के अन्तर्गत, विलम्ब शुल्क गोदी-दरों के अनुसार रियायत के चार दिन गुजर जाने के बाद पतन न्यास को देय होता है ।

(ङ) विलम्ब शुल्क मुक्त अवधि गुजर जाने के बाद 12.50 रु० प्रति मै० टन प्रति दिन की दर पर देय होता है, पर निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :

(1) जितनी अवधि के लिये माल सीमा शुल्क विभाग द्वारा विश्लेषणात्मक जांच के लिये रोका जाये, उस अवधि के लिये कोई वि म्ब शुल्क देय नहीं है ।

(2) आयात व्यापार नियंत्रण औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये माल जितनी अवधि के लिये रोका जाए और सीमा शुल्क कलक्टर उस आशय का प्रमाण दे दें तो उस अवधि के लिए विलम्ब शुल्क निम्नलिखित दरों पर देय है :

(क) मुक्त अवधि गुजर जाने के बाद पहले 60 दिनों के लिए सामान्य विलम्ब शुल्क का $\frac{1}{6}$ भाग ।

(ख) अगले 30 दिनों के लिये सामान्य विलम्ब शुल्क का $\frac{1}{3}$ भाग ।

(ग) अगले 30 दिनों के लिये सामान्य विलम्ब शुल्क का $\frac{1}{2}$ भाग ।

(घ) अगले 3 दिनों के लिये सामान्य विलम्ब शुल्क का $\frac{2}{3}$ भाग

(ङ) उसके बाद पूरा विलम्ब शुल्क ।

केरल में पर्यटन का विकास

3317. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत पर्यटन विकास संबंधी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और उनमें से कौन कौन सी योजनाएं चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई;

(ख) इस हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा योजना-वार अब तक कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) राज्य सरकार की पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में पर्यटन विकास संबंधी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं, उनमें से कौन-कौन सी योजनाएं केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत की हैं और योजना-वार इन योजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) कोवालम के समेकित विकास को जारी रखने के अलावा चौथी योजना के दौरान केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित पर्यटन स्कीमें इस प्रकार थीं—एरनाकुलम में एक बहुमंजिल होटल का निर्माण, त्रिवेन्द्रम में एक युवा होस्टल, बोलघाटी पलेस परिसर में कुटीरें, थेकाडी में एक रेस्टोरेंट तथा अतिरिक्त सुविधाएं, कोचीन व लेक पेरियार में लोंचों की व्यवस्था तथा केरल पर्यटन सप्ताह को सहायता अनुदान । इन में से कोवालम समुद्रतटीय बिहारस्थल के चालू विकास कार्य के अतिरिक्त त्रिवेन्द्रम में एक युवा होस्टल का निर्माण कार्य केन्द्रीय क्षेत्र में प्रारंभ की गई पर्यटन स्कीमों में सम्मिलित किया गया था ।

(ख) स्कीमों के लिये अनुमोदित परिव्यय तथा चौथी योजनावधि के दौरान उन पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

पर्यटन विभाग	अनुमोदित परिव्यय	किया गया व्यय
	(लाख रुपयों में)	
1. कोवालम समुद्रतटीय बिहारस्थल	86.58	31.81
2. त्रिवेन्द्रम में युवा होस्टल	2.85	0.94
भारत पर्यटन विकास निगम		
1. कोवालम होटल (4-स्टार)	115.00	73.77
2. कोवालम ग्रोव (कुटीरें)	20.00	39.31
योग	224.43	145.83

(ग) पांचवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में प्रारंभ किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पर्यटन स्कीमों में ये सम्मिलित हैं (क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करना तथा कोचीन में एक नये हवाई अड्डे का बनाना, (ख) वेली से कोवालम तक एक मेरीन ड्राईव का निर्माण; तथा (ग) पेरियर वन्यजीव शरणस्थल, कुनाराकम एवं एजूमलै का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करना। तथापि, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 65 लाख रुपये की अनुमानित लागत से त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विस्तार करने, कोवालम समुद्रतटीय बिहारस्थल का, जिसके लिये 360 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, विकास करने तथा त्रिवेन्द्रम में (2.85 लाख रुपये) युवा होस्टल को पूरा करने का प्रस्ताव है।

भारत बंगलादेश सीमा पर तस्करी

3318. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से तथा वहां को किन वस्तुओं की तस्करी की जा रही है;

(ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में तस्करी की कितने मूल्य की वस्तुयें वहां से पकड़ी गई; और

(ग) इन व्यक्तियों का तस्करी करने का तरीका क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बंगला देश से भारत में तीसरे देश के मूल की वस्तुएं जसे, लौंग, दालचीनी, कपूर, बालबेयरिंग, रसायन, घड़ियां, फाउंटेन पेन, ब्लेड, तथा संश्लिष्ट धागे तथा बंगलादेश मूल की वस्तुएं जैसे, कुकुट-उत्पाद, मछली, खाल तथा चर्म, पशुधन दालें, मिर्च, लहसुन, इमली, जूट, टाट के बोरे, मुद्रा आदि का मुख्यत: तस्कर-आयात होता है। भारत से बंगलादेश को तस्कर निर्यात किया जाने वाला माल मुख्यत: सूती-वस्त्र, बने बनाए कपड़े सूती धागा, बीड़ी-पत्तियां, कत्था, पान के पत्ते, ताजे फल, तेजपात, सरसों का तेल, नमक, कांच की चूड़ियां, लोहे के मेख, दवाइयां तथा अन्य कई किस्म की लेखन सामग्री और विलासिता की वस्तुएं आदि होता है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) तस्कर व्यापारिय द्वारा अपनाया जाने वाला को विशिष्ट तरीका सरकार की जानकारी में नहीं आया है। माल की तस्करी सर पर रख कर, साइकिल द्वारा, गाड़ियों से, देश नौकाओं से, व्यापारिक माल ले जाने वाले ट्रकों में छिपाकर अ र शरीर में छिपाकर की जाती ।

रबड़ उद्योग का विकास

3319. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रबड़ उद्योग के विकास के लिए कोई उपाय किये हैं;

(ख) क्या विस्तार कार्यों के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ अनुसन्धान कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अनुसन्धान कार्यक्रमों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) विस्ता कार्यों के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाने के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा निम्नोक्त नुसन्धान कार्यक्रम आरम्भ किए गये हैं ;

(1) चुग्रा में तकनीकी स ह तथा प्रशिक्षण दिया जाता है;

(2) विस्तार कार्यों के माध्य ईथरीय उद्दीपक के परिणाम लोक प्रिय बनाए जा हे हैं;

(3) फसल की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में अनुसंधान कार्यक्रमों पर आधारित खाद सम्बन्धी सिफारिशें की जाती हैं;

(4) कृषि प्रणालिय के बारे में गवेषणात्मक अनुसंधान किये जा रहे हैं;

(5) रबड़ बागान पर्यवेक्षण के लिये एक नवीकर पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है;

(6) सभी बीमारियों तथा नाशीकीट सम्बन्धी समस्याओं की, जिनसे फसल को नुकसान पहुंचता है, जांच की जाती है और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की जाती है; तथा

(7 पौध संरक्षण कार्यों की लागत घटाने के बारे में अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं और नई सिफारिशों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है ।

2. वर्ष 1973-74 के दौरान अनुसंधान कार्यक्रमों के लिये कुल 13,97,800 रु० मंजूर किये गये और वर्ष 1974-75 के लिये इस उद्देश्य हेतु 18,86,300 रु० की व्यवस्था मंजूर की जा चुकी है । ऐसे आबंटन राज्यवार नहीं किये जाते हैं ।

समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण का प्रदर्शनियों में भाग लेना

3320. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अगस्त, 1972 को स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जिसका मुख्यालय कोचीन में है, वर्ष 1973-74 के दौरान विदेशों में आयोजित किन्हीं मेलों या प्रदर्शनियों में भाग लिया है; अ र

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण ने किन देशों में भाग लिया था और भारतीय समुद्री उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में उसका क्या योगदान रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां ।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने विदेशों में कुल तेरह मेलों में भाग लिया-इटली में दो मेलों में, और जापान, फ्रांस, सिंगापुर, स्पेन, इंडोनेशिया, तंजानिया, न्यूजीलैंड, अल्जीरिया, कीनिया, पीरू तथा वैनेजुएला में ए एक मेले में भाग लिया । अन्य प्रचार उपायों के साथ साथ

इन मेलों में भाग लेने से विदेशों में भारतीय परम्परागत तथा गैर-परम्परागत समुद्री उत्पादों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक तथा व्यापक जानकारी उत्पन्न हुई है, जिसके फलस्वरूप निर्यातों तथा नये बाजारों के विकास और जमी हुई मछली, स्क्वीला टेल्स, डिब्बा बन्द मछली, फिलेट तथा मछली मील जैसे नये उत्पादों के लिए बाजारों के विकास में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

भारतीय व्यापार दल द्वारा दक्षिण पूर्व अफ्रीका का दौरा

3321. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशनों द्वारा तीन भारतीय व्यापार दल दक्षिण पूर्व अफ्रीका को भेजे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का प्रयोजन क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी नहीं । तथापि, फ़ेडरेशन ने पूर्व एशिया में कुछ देशों को और प्रशान्त महासागरीय देशों को दो बिक्री-सह-अध्ययन दल और सलाहकारों का एक दल अवश्य भेजे थे ।

(ख) इन दौरों का उद्देश्य अनेक उत्पादों और सेवाओं के लिये बाजार सम्भाव्यता का अध्ययन करना और यदि सम्भव हो तो मौके पर बिक्रियां करना था ।

प्रत्यक्ष करों की उगाही

3322. श्री डी० डी० देसाई :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में प्रत्यक्ष करों के रूप में कुल कितनी वसूली हुई;

(ख) वर्ष 1973-74 में आय-कर तथा निगम-कर के रूप में कितनी वसूली हुई;

(ग) पिछले वर्षों की तुलना में आय-कर एवं निगम-कर की वसूलियों में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) क्या वर्ष 1972-73 में प्रत्यक्ष करों से आय 1973-74 वर्ष की आय से अधिक थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वित्तीय वर्ष 1973-74 में प्रत्यक्ष करों के रूप में 1353.13 करोड़ रुपये की रकम वसूल हुई । ये आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1973-74 में आय-कर का शुद्ध बजट संग्रह 661.85 करोड़ रुपये और निगम-कर का शुद्ध बजट संग्रह 636.66 करोड़ रुपये था ।

(ग) वित्तीय वर्ष 1972-73 में हुई वसूलियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 1973-74 में आय-कर शीर्ष के अन्तर्गत हुई वसूलियों में 72.08 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और निगम-कर शीर्ष के अन्तर्गत हुई वसूलियों में 53.65 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

(घ) जी, नहीं ।

विदेशों को एयर इण्डिया की उड़ानें

3323. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया की विदशों को देशवार प्रति सप्ताह होने वाली उड़ानों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) क्या उन देशों को, जहां से भारत को बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं इन उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) परिचालित सेवाओं तथा ऐसे परिचालनों की आवृत्ति का लगातार पुनरालोकन किया जाता है ताकि हमारी हकदारी की सीमाओं के अन्दर पर्यटक, भारतीयता मूलक तथा व्यावसायिक यातायात की मांग के अनुसार आवृत्तियों को बढ़ाया/घटाया जा सके ।

विवरण

1 जुलाई 1974 से लागू समयावली के अनुसार एयर-इण्डिया द्वारा प्रति सप्ताह, देश-वार, विदेशों को परिचलित होने वाली उड़ानों की संख्या ।

देश	प्रति सप्ताह उड़ानें
1. यू०एस०ए०	7
2. यू०के०	9
3. फ्रांस	5
4. जर्मनी	5
5. इटली	5
6. स्विटजरलैंड	2
7. रूस	2
8. लेबनान	5
9. कुवैत	5
10. मिश्र	1
11. सउदी अरब	2

देश	प्रति सप्ताह उड़ाने
12. ईरान	2
13. दुबाई	3
14. अबु धाबी	2
15. दोहा	1
16. बहरीन	3
17. मस्कत	1
18. इथोपिया	2
19. केनिया	3
20. मारिशस	2
21. बंगला देश	
22. अदन	1
23. आस्ट्रेलिया	2
24. सिंगापुर	4
25. इंडोनेशिया	1
26. मलेशिया	1
27. थाइलैंड	6
28. हांगकां	6
29. जापान	6
कुल	96

दोहरे कराधान को रोकने हेतु कीनिया के अधिकारियों के साथ बातचीत

3324. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में दोहरे कराधान को रोकने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के बारे में कीनिया के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए वित्तीय अपवंचन का अनुमान क्या है; और

(ग) दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप अब क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां। भारत और केनिया के बीच दोहरे कराधान के निवारणार्थ और आमदनी पर करों के सम्बन्ध में राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए विस्तृत समझौता करने की दृष्टि से नई दिल्ली में 16 मई से 22 मई 1974 तक वार्ता हुई थी।

इस प्रकार के समझौतों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि दो देशों की आर्थिक विकास की प्रगति के लिये दोनों देशों के बीच परस्पर पूंजी, प्रौद्योगिकी और कार्मिकों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिले। इन समझौतों में, आय के विभिन्न श्रोतों के बारे में करों के अधिकार क्षेत्र के आवंटन अथवा विभाजन की व्यवस्था होती है, जिससे आय पर दोहरे कराधान का निवारण होता है। ऐसे अवसर का लाभ उठाकर यह व्यवस्था भी की जाती है कि इन करारों में ऐसी सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था भी रहे जिस से अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों में कर अपवंचन को रोकने में सहायता मिले।

(ख) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) मई 1974 में हुई वार्ता में काफी प्रगति तो हुई थी, परन्तु कुछ मुद्दे आगे विचार के लिए मुल्तवी रखे गए थे। वार्ता संभवतः फिर शुरु होगी।

बंगलादेश से अखबारी कागज का आयात

3325. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगलादेश संयुक्त वार्ता के परिणामस्वरूप अब भारत द्वारा अधिक अखबारी कागज का आयात किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो जो समझौता हुआ है उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समय चल रही अखबारी कागज की अत्यधिक कमी के मामले में इससे कहां तक राहत मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) अखबारी कागज उन वस्तुओं में से एक है जिन्हें बंगलादेश ने, दोनों देशों के बीच 28-9-73 को हुई सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए, सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है। अब तक 7000 मे० टन अखबारी कागज की सप्लाई के लिए संविदायें की जा चुकी हैं और चूंकि यह मात्रा बहुत बड़ी नहीं है अतः इससे स्थिति में मामूली राहत ही मिल पाएगी।

हिसाब खाता न दिखाने वाले दिल्ली के व्यापारियों के विरुद्ध शिकायतें

3326. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 में सरकार को दिल्ली के कुछ उन व्यापारियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं, जिन्होंने आय-कर और विक्रय-कर विभागों को अपने हिसाब खाते नहीं दिखाये हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों के माध्यम से सरकार को दी गई जानकारी के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है और सरकार द्वारा काले धन की कितनी राशि पकड़ी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) से (ग) दिल्ली के एक व्यापारी द्वारा आय-कर और बिक्री-कर के अपवंचन के बारे में एक शिकायत जून, 1974 में प्राप्त हुई है और उसे आवश्यक जांच-पड़ताल के लिए प्रवर्तन प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है। आय-कर अपवंचन के बारे में शिकायतें भारी संख्या में प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा, बिक्री-कर अपवंचन की कुछ शिकायतें दिल्ली प्रशासन को भी मिली हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर, जो व्यक्ति अपराधी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कानून के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

Payment of H. R. A. And C. C. A. to Government of India Press Employees working at Faridabad

3327. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether he had assured to concede the demands of the Central employees working at Faridabad in regard to the payment of City Compensatory Allowance and House Rent Allowance at the rates prevalent in Delhi and if so, the stage at which the matter stands;

(b) whether the Central Press employees had been paid the City Compensatory Allowance since the 1st September, 1966 at the rates prevailing in Delhi and if so, the basis therefor and the point at which the industrial Employees' index stood at that time; and

(c) the rates at which the City Compensatory and House Rent Allowances are being paid to the employees of the Nationalised Banks, State Bank of India and the Life Insurance Corporation in Faridabad and since when they have been getting the said allowances at these rates ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The representatives of the employees were assured that the matter would be looked into. The matter is accordingly receiving consideration.

(b) City Compensatory Allowance at Delhi rates has never been sanctioned/paid to the Central Government Press Employees at Faridabad from 1-9-1966 or thereafter. The All India Consumer Price Index number for industrial workers (1949=100) stood at 190 at the end of August, 1966.

(c) A statement giving the required information is attached. [**Placed in the Library.** *See* **No. LT.-8262/74.**]

Measures to Check Smuggling

3328. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have finalised any new anti-smuggling scheme; and

(b) whether Government propose to employ ex-army personnel for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. It is proposed to employ ex-servicemen for jobs where their experience or expertise would be of use.

Dead Accounts of Fixed and Current Deposits of Nationalised Banks

3329. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of money at present lying in the dead accounts of fixed and current deposits of the various nationalised banks, separately ?

The Minister of Finance (Shri Yashwant Rao Chavan): The amounts held by nationalised banks, as on 31st December, 1973, in fixed and current deposit accounts lying in-operative for ten years and above, as reported by the Reserve Bank of India, are set out in the Annexure.

Statement

Name of the nationalised bank	In fixed deposit accounts (in Lakhs of Rupees)	In current deposit accounts
1. Allahabad Bank	4.28	2.40
2. Bank of Baroda	1.77	6.12
3. Bank of India	2.39	14.33
4. Bank of Maharashtra	0.28	0.28
5. Canara Bank	0.92	2.65
6. Central Bank of India	12.99	26.05
7. Dena Bank	0.80	0.66
8. Indian Bank	0.37	4.84
9. Indian Overseas Bank	1.70	3.07
10. Punjab National Bank	7.65	13.37
11. Syndicate Bank	1.11	0.68
12. Union Bank of India	0.26	1.03
13. United Bank of India	2.76	10.66
14. United Commercial Bank	1.28	11.60
TOTAL	38.56	97.74

राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक ऋण का पुनर्नियतन

3330. श्री पी० गंगा देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक ऋणों का पुनर्नियतन करने का विचार है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत बनायेगा; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि बैंक के ग्राहकों (क्लायन्ट्स) को उत्तम ऋण सुविधायें दी जायें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से विभिन्न क्षेत्रों को बैंक ऋण देने के तरीकों में फेर बदल करके ऐसी नीति अ नायी जाती रही है कि सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैस कृषि, लघु उद्योग, छोटे व्यापारियों को जिनके बारे में बैंक पहले बहुत कम ध्यान देते थे, अपेक्षाकृत ज्यादा अनुपात में बैंक ऋण मिले। रिजर्व बैंक,

अपनी ऋण नीति विषयक उपायों की घोषणा करते समय तथा वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश जारी करते समय इस तरह के फेर बदल करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखता रहा है। विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने के मामले में जो फेरबदल किया गया है वह नीचे के आंकड़ों से पता चल सकता है :—

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का क्षेत्रवार वर्गीकरण

क्षेत्र	31 मार्च 1968 को बकाया रकम	जून 1973 के अन्तिम शुक्रवार को बकाया रकम
(1)	(2)	(3)
1. उद्योग		
(क) बड़े और दरमियाने दर्जे के	60.6	49.0
(ख) लघु उद्योग	6.9	11.8
2. कृषि	2.2	9.1
3. आन्तरिक व्यापार		
(क) थोक व्यापार	14.2	7.7
(ख) अनाज की वसूली	3.5	7.4
(ग) खुदरा व्यापार	1.5	2.7
4. प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्र	—	3.2
5. सभी अन्य क्षेत्र	11.1	9.1
	100.0	100.0

सस्ते कपड़े की बिक्री

3331. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया क्लाथ मरचेन्ट्स एसोसिएशन की फेडरेशन ने सस्ते किस्म के कपड़े की बिक्री के लिए कोई योजना सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण के संबंध में फैडरेशन आफ आल इंडिया मर्चेन्ट्स एसोसियेशन द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे :

(1) विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कपड़े के पनहा, बनावट व पीस लैंथ में उपयुक्त परिवर्तन करके प्रत्येक श्रेणी में कपड़े की मानक किस्मों का उत्पादन किया जायेगा ।

(2) अनावश्यक प्रोसैसिंग को निरुत्साहित किया जाएगा और अनियंत्रित कपड़े से अन्तर रखने के लिए कपड़े के किनारे पर एक उपयुक्त रंग का धागा लगाया जाएगा

(3) फेडरेशन, अर्ध-थोक स्तरीय वर्ग को नियंत्रित कपड़े का वितरण करने के लिए विभिन्न वस्त्र व्यापार संघों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा । उसके बाद कपड़े का वितरण अनुमोदित खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से किया जाएगा जिन्हें सिविल सप्लाई विभाग और समाज सेवा संगठनों की सहायता से स्थानीय वस्त्र व्यापार संघ द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है ।

(4) मिलों को 3 प्रतिशत अधिक कीमतों की स्टाम्प लगानी चाहिए और माल की सुपुर्दगी एफ०ओ०आर० गन्तव्य स्थान आधार पर करनी चाहिए । जब तक इस पर सहमति न हो जाएं, फेडरेशन 3 प्रतिशत का उपयोग भाड़ा समानीकरण निधि और शीर्ष निकाय के व्यय के लिए करेगी ।

(5) खुदरा विक्रेता को 9 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन की अनुमति दी जायेगी । मिल से निकलते समय की कीमतों और खुदरा कीमतों के बीच शेष मार्जिन अन्य माध्यमों के बीच वितरित होगा ।

(ग) कपड़े की क़िस्मों में कमी करने का प्रश्न विचाराधीन है । फैडरेशन के अन्य सुझावों को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है ।

कपड़ा उद्योग के विकास क लिए ईरान से सहायता

3332. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कपड़ा उद्योग के विकास के लिये ईरान सहायता देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जायेगी और उसकी शर्तें क्या होंगी; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) ये सवाल नहीं होते ।

अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों में जमा राशि में वृद्धि

3333. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि में हुई वृद्धि उत्साहजनक नहीं रही; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे लोग बैंकों में अधिक राशि जमा करें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 30 जून, 1974 को समाप्त हुए वर्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गयी रकमों में (जिसमें अन्त:बैंक की रकमें जमा शामिल नही हैं) पिछले 12 महीनों में हुई 20.4 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनता की बचत करने की क्षमता, अन्य तुल्य परिसंपत्तियों से होने वाली आय की दर, बचत का उपयोग करने के वैकल्पिक साधन, मुद्रा के फैलाव की दर, ऋण नीति आदि जैसे कई कारणों का जमा करायी जाने वाली रकमों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जमा करायी जाने वाली रकमें एकत्रित करने के काम में सहायता देने और बचत को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने 23 जुलाई, 1974 से जमा की कुछ श्रेणियों पर ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं।

तस्करी के आरोप में बंगलादेश द्वारा पकड़ी गई भारतीय नौकाएं

3334. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार ने तस्करी करते हुए खुलना में भारतीय नौकायें पकड़ी थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन गतिविधियों का संचालन करने वाले तस्करी-कर्ताओं के मुखियाओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

तस्करी विरोधी कार्य में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन

3335. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी विरोधी अभियान में अधिक सहयोग देने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सरकार को महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि सीमा शल्क विभाग द्वारा जब्त

किये गये माल की बिक्री से प्राप्त रकम उस हालत में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच बांटी जानी चाहिए जब संबंधित माल राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़ा गया हो। मामला विचाराधीन है।

गुजरात में रुई के लिए गोदाम की सुविधाएं

3336. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गोदाम की सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण 45 करोड़ रुपये की रुई खुले में पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) सरकार को यह विदित नहीं है कि गोदाम सुविधाओं के अभाव के कारण गुजरात में खुले में पड़ी रुई की सही मात्रा कितनी है। किन्तु गुजरात में अनबिकी पड़ी रूई की समस्या हल करने के लिये बम्बई तथा अहमदाबाद की मिलों के लिये 6-8-74 से भंडार-सीमा को डेढ़ महीने की खपत की मात्रा से बढ़ाकर औसतन दो महीनों की खपत की मात्रा तक कर दिया गया है भारतीय रूई निगम ने भी गुजरात में रूई की अतिरिक्त खरीद करने के लिए अपनी तत्परता प्रकट की है बशर्ते कि स्टाक-धारी सहकारी समितियों और भारतीय रूई निगम में कीमतों के बारे में समझौता हो जाये।

जवाहरातों और जेवरातों का निर्यात

3337. श्री भागीरथ भंवर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में अलग-अलग के जवाहरातों और जेवरातों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) क्या निर्यात में वृद्धि की दर घटती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1972-73 और 1973-74 के दौरान रत्न तथा आभूषण निर्यात व्यापार द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

1972-73	1973-74 (प्राक्कलित)
(करोड़ रु०)	(करोड़ रु०)
76.69	108.56

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Dearness Allowance of Class I Officers

3338. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) what factors the Central Government took into consideration while issuing orders for increase in the Dearness Allowance of Class I Officers as per recommendations of the Third Pay Commission;

(b) the total amount of money paid by the Central Government as D.A. to Class I Officers and

(c) the number of Class I Officers who will benefit as a result of the increase and the minimum pay upto which this benefit will accrue ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Third Pay Commission's recommendations on grant of dearness allowance to Central Government employees were accepted by Government with some improvements. The decisions apply equally to all classes of employees including Class I. The maximum amount of dearness allowance admissible on an 8-point increase in index is Rs. 27 p.m. Officers drawing pay above Rs. 900 draw this amount irrespective of their pay. It is admissible only to those Class I Officers who draw pay upto Rs. 2250. There is a further restriction that pay plus dearness allowance should not exceed Rs. 2400.

(b) Six instalments of dearness allowance have been sanctioned so far to Central Government employees including Class I Officers. The total annual cost of these instalments would be about Rs. 5 crores in so far as civilian Class I Officers are concerned.

(c) The number of civilian Class I Officers as on 31.3.1973 was estimated at 25,000. As stated above all these employees except those drawing pay above Rs. 2250 are eligible for dearness allowance. No minimum qualifying pay limit has been prescribed, but the minimum pay in the revised scales of pay for Class I Officers is generally Rs. 700.

केरल अखबारी कागज की योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से सहायता

3339. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल अखबारी कागज परियोजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से ऋण प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस परियोजना के कब तक पूरे होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की केरल अखबारी कागज परियोजना के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की सहायता नहीं मांगी गयी है ।

(ख) 80,000 मट्रिक टन की क्षमता वाली इस परियोजना पर 84.5 करोड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान है जिसमें लगभग 23 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के अनुसार इस परियोजना के 1978 तक पूरी हो जाने की आशा है

विश्व बैंक की ब्याज दर में वृद्धि

3340. श्री वनमाली पटनायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का अपनी ब्याज दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित वृद्धि कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ग) विश्व बैंक ने अपने ऋणों की ब्याज की दर $7\frac{1}{4}$ से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

(ख) भारत अधिकांश ऋण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से लेता है। इन ऋणों की शर्तें उदार होती हैं तथा इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संसार की मन्डियों में, जहां से विश्व बैंक अपने साधन जुटाता है, ब्याज की दरें बढ़ जाने के कारण बैंक द्वारा ऋणों की दर बढ़ा दिये जाने की संभावना पहले से ही थी। हमने, अन्य विकासशील देशों के साथ, थोड़ी सी वृद्धि करने पर जोर दिया था। लेकिन अन्ततोगत्वा जो दर तय की गयी है, वह अलग-अलग दृष्टि कोणों के बीच की है।

Loans advanced by a Nationalised Bank to three businessmen for Food and Fertilizer

3341. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have seen press reports regarding loans given by a nationalised bank to three businessmen to the tune of lakhs of rupees in Bihar Sherief for food and fertilizers in open violation of the orders of the head office;

(b) the reaction of Government thereto; and

(c) the action taken by Government against the persons found guilty in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) to (c) Government have seen the news item which appeared in the Hindi daily "Aryavart" dated the 13th June, 1974 alleging that one of the local nationalised banks in the Nalanda District has been giving advances to foodgrain and fertilizer dealers in violation of the directives of the Reserve Bank of India. Reserve Bank has, in this connection, reported that, according to the information available with it, none of the nationalised banks functioning in Nalanda District has granted advances to dealers against foodgrains from their branches in the district. Reserve Bank has also stated that no violation has been reported by its Regional Office regarding fertilizer advances on the basis of information collected from the banks concerned.

कागज के निर्यात पर प्रतिबन्ध

3342. श्री गजाधर माझी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नेपाल के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि विदेशों को कागज और स्टेशनरी के सामान पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां। नेपाल को संक्रमणकालीन उपाय के रूप में निर्यात करने के लिये, लिखाई तथा छपाई कागज की सीमित मात्रा रिलीज की गई है ताकि महामहिम की सरकार, नेपाल में इन वस्तुओं की भारी कमी को पूरा कर सके और भविष्य में अन्य स्रोतों से सप्लाईयां प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध कर सके। तथापि, इस बारे में नेपाल के साथ कोई करार नहीं हुआ है।

कर्नाटक में हथकरघा विकास निगम की स्थापना

3343. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य में हथकरघा उद्योग के संवर्धन हेतु एक हथकरघा विकास निगम स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके लिए राज्य को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि मंजूर की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नारियल जटा का निर्यात

3344. श्री० सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974–75 में और अधिक नारियल जटा के सामान के निर्यात में वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मुख्य आयातक देशों में कयर उद्योग के सम्मुख आने वाली विभिन्न समस्याओं का स्थल पर अध्ययन करने के लिये ब्रिटेन तथा सं०रा० अमरीका सहित पश्चिम यूरोपीय देशों में कयर तथा कयर उत्पादों के लिये बाजारों का पता लगाने हेतु एक बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित किया गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ बातचीत भी की जा रही है ताकि उनके द्वारा लगाये गये शुल्कों को घटा कर कयर उत्पादों के निर्यात बढ़ाये जा सकें । इन उपायों के अलावा निर्यातों को बढ़ाने के लिये प्रचार बढ़ाया जा रहा है । खाद्य तथा कृषि संगठन के हार्ड फाइबर संबंधी अन्तः सरकारी ग्रुप सिद्धान्त रूप में एक गवेषणा केन्द्र स्थापित करने के लिये सहमत हो गया है जिसकी एक शाखा भारत में तथा दूसरी शाखा श्रीलंका में होगी । उस संगठन ने कयर परियोजना सर्वेक्षण करने तथा विकसित देशों से विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने का भी विनिश्चय किया है । खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों का एक दल सर्वेक्षण करने तथा विकासशील देशों से भारत को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बारे में सिफारिश करने के लिये पहले ही भारत की यात्रा पर आ चुका है । इन उपायों के फलस्वरूप 1974–75 के पहले चार महीनों अर्थात् अप्रैल-जुलाई, 1974 के दौरान कयर उत्पादों के निर्यात 515.40 लाख रु० मूल्य के थे जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान ये 327.38 लाख रु० के थे ।

सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को दी गई सुविधाएं

3345. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को वे सुविधायें तथा लाभ उपलब्ध नहीं हैं जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के० आर० गणेश):(क) और (ग) सरकारी उद्यमों के वेतन-ढांचे को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन-ढांचे के साथ नहीं जोड़ा गया है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते समय समय पर नियुक्त किये जाने वाले वेतन आयोगों की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। दूसरी ओर, कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते उनके प्रबन्धकों द्वारा श्रमिक यूनियनों के साथ द्विपक्षीय बात-चीत कर के उद्योग एवं प्रदेश के आधार पर तय किये जाते हैं। अतः इन दोनों क्षेत्रों के वेतन-ढांचों और भत्तों की एक दूसरे के साथ पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी, सरकार का यही प्रयास रहता है कि जहां कहीं इन दोनों में कोई साम्य हो, वहां इनमें संशोधन भी समान रूप से ही किया जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी कर्णधार दल (स्टीयरिंग ग्रुप)

3346. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा तुरंत निर्यात विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देने हेतु इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के संबंध में बनाये गये कर्णधार दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रदिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसमें लगभग दो महीने और लग सकते हैं।

कम वजन वाले डिब्बों के बारे में सम्भावित कानूनी प्रतिबन्ध

3347. श्री वसन्त साठे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जुलाई, 1974 के एक स्थानीय समाचार पत्र में 'लाइकली लीगल कर्ब्स आन अन्डरवेइंग केन्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) संसद में विधान पेश करने का विचार है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पैकज बंद वस्तुओं का कम तोलना रोकने की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) प्रस्तावित विधान में यह व्यवस्था की जाएगी कि पैकजबंद रूप में बेची गई वस्तुओं की निवल मात्रा समग्र रूप में तोलने पर पैकज पर अंकित निवल मात्रा से कम नहीं होगी और हर पैकज में अन्तर भी अनुमत सीमा के भीतर ही होगा।

बांडों का जारी किया जाना

3349. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भिन्न अवधियों के लिए ऐसे बांड जारी करने का है जिनके पूंजीगत मूल्य पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव न पड़े; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) मुद्रा स्फीति से अप्रभावित रहने वाले बांडों को जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह सवाल नहीं होता ।

इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में वृद्धि

3350. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में वृद्धि करने के लिए पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग उद्योगों को ऋण देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा दिये जाने वाले ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े व्यापारियों द्वारा बैंक ऋण का कथित दुरुपयोग

3351. श्री वसंत साठे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बड़े व्यापारी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सहायता से धोखा देते हैं तथा सस्ती दर पर अधिक ऋण प्राप्त कर लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार को यह मालूम है कि कुछ क्षेत्रों में आम तौर पर यह चर्चा की जाती है कि कभी-कभी बड़ी-बड़ी पार्टियां बैंक ऋणों का दुरुपयोग करती हैं । जब कभी भी बैंक ऋणों के दुरुपयोग करने का कोई मामल बैंकों को पता चलता है या उन्हें बताया जाता है तो इस संबंध में बैंक उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही करते हैं । अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन दल की स्थापना इस उद्देश्य से की है कि बैंकों द्वारा दिये जान वाले ऋणों के संबंध में की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के मौजूदा तरीकों में और ज्यादा सुधार किया जा सके और उनके द्वारा ऋण दिये जाने के बाद की जाने वाली कार्रवाई आदि से संबंधित पहलुओं पर विचार किया जा सके ।

कपड़े के नियंत्रित तथा अनियंत्रित किस्मों के मूल्य

3352. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कपड़े की नियंत्रित तथा अनियंत्रित किस्मों के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार सूती कपड़ों के मूल्यों को वर्ष 1970–71 के मूल्यों के बराबर लाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 2 मई, 1968 से 31 मार्च, 1974 तक नियंत्रित कपड़े की कीमतों में किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई । 1 अप्रैल, 1974 से नियंत्रित कपड़े की एक्स-मिल कीमतों में मई, 1968 में निर्धारित कीमतों की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई है । साथ ही, 1 अप्रैल, 1974 संशोधित स्कीम के अन्तर्गत, अतिरिक्त 40 करोड़ वर्ग मीटर भी, जोकि अब तक बाजार कीमतों पर बेचा जाता रहा, कीमत नियंत्रण के अन्तर्गत कर दिया गया है ।

गत तीन वर्षों के दौरान अनियंत्रित कपड़े की कुछ किस्मों की कीमतों में प्रतिशत वृद्धि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

अनियंत्रित कपड़े की कुछ चुनी हुई किस्मों की कीमतों में प्रतिशत वृद्धि

(+) वृद्धि
(—) कमी

श्रेणी	1971 की तुलना में 1972 की कीमतें	1972 की तुलना में 1973 की कीमतें	1973 की तुलना में 1974 की कीमतें
मोटा	(+) 2.861	(—) 6.871	(+) 7.261
	(+) 9.43	(+) 6.35	(+) 49.12
मीडियम बी	(+) 4.701	(+) 2.871	(+) 35.381
	(+) 13.00	(+) 6.55	(+) 43.35
मीडियम ए	(+) 38.37	(+) 15.541	(+) 45.451
		(+) 16.66	(+) 50.00
फाइन	(—) 6.25	(+) 33.33	(+) 75.00
सुपर-फाइन	(+) 2.061	(+) 5.391	(+) 58.411
	(+) 21.61	(+) 68.05	(+) 95.23

Curtailment of Services due to Shortage of Fuel

3353. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to curtail or is compelled to curtail air services on certain routes because of shortage of fuel as a result of which its revenue is likely to come down;

(b) if so, the estimated decline in the revenue as a result thereof; and

(c) the effective steps taken or proposed to be taken to maintain the earnings ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) to (c) Consequent upon the recent increase in the price of aviation fuel, Indian Airlines has decided to phase out uneconomic aircraft like Viscounts and Dakotas. Air services to a number of cities have been discontinued and frequencies of services to some others have been reduced with effect from 18-3-1974.

Efforts are constantly under way to reduce operating costs and seek reduction of various fiscal levies on fuel as far as possible. Measures have also been taken to eliminate wasteful work practices and to economise in expenditure.

नेताजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर तथा सरोजिनी नगर में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा पत्थर के बाटों का प्रयोग किया जाना

3354. श्री भागीरथ भंवर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नेताजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर और सरोजिनी नगर की उचित मूल्य की दुकानों द्वारा खाद्य वस्तुओं को तोलने के लिये धातुओं के बाटों की बजाय पत्थर के बाटों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या माप तथा तोल के किसी खाद्य निरीक्षक द्वारा इस बात की जांच की गयी है कि ये पत्थर के बाट सही हैं तथा क्या सरकारी नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति है और उपभोक्ता को कितना ठगा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है कि सभी उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा केवल मानक बाटों का ही प्रयोग किया जाये और इस अभिप्राय से ऐसे कितने दुकानदारों पर मुकदमा चालया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उल्लिखित इलाकों में उचित दर दुकानों का निरीक्षण माप-तोल निरीक्षक द्वारा नियमित रूप से किया जाता है और वे दुकानें नियमित तोल के लिये माप-तोल विभाग द्वारा विधिवत् रूप में प्रमाणित तथा मुद्रांकित धातु के बाटों का ही प्रयोग कर रही हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चलाए गए मुकदमें

3355. श्री भागीरथ भंवर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति अध्यादेश में रखे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के संशोधित दंड उपबन्धों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने-कितने मुकदमें चलाये गये ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974, 22-6-74 को ही प्रख्यायित किया गया था और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के संशोधित दंड उपबन्धों के कार्यकरण का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है तथापि, संशोधित विधान के अधीन चलाये गये मुकदमों की संख्या, जैसे कि कतिपय राज्यों ने सूचना दी है इस प्रकार है :--

दिल्ली	274
उड़ीसा	29
आंध्रप्रदेश	223
हरियाणा	48

दादरा तथा नगर हवेली, अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह गोवा, दमन तथा दिउ, मिजोरम, लक्ष द्वीप, केरल तथा अरुणाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि इस संशोधित अधिनियम के अधीन उनके द्वारा कोई मुकदमे नहीं चलाये गये हैं।

Loan to Farmers by Branch of Bank of India in Bihar

3356. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is any branch of the Bank of India in the Champaran Police Station under the Hazaribagh District of Bihar;

(b) whether the farmers are not being given loans by it for purchase of fertilisers, seeds and other agricultural inputs; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) Bank of India has a branch at Chauparan (not Champaran) in Hazaribagh District of Bihar.

(b) The bank branch provides finance, inter alia, for various agricultural operations. As at the end of December, 1973 the branch sanctioned direct agricultural advances in 9 cases involving an amount of Rs. 28,000.

(c) Does not arise.

छोटे काफी उत्पादकों को हुई कठिनाइयां

3357. श्री वयालार रवि : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीज, खाद आदि के मूल्यों में भारी वृद्धि तथा उत्पाद के लिए निर्धारित कम मूल्यों के कारण छोटे काफी उत्पादकों को हुई भारी कठिनाइयों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो छोटे उत्पादकों की सहायता के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इस दिशा में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) श्रमिकों की मजदूरियों और कुछ अन्तर्निविष्ट साधनों की कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूल बिक्रियों के लिए काफी की रिजर्व कीमत, काफी उत्पादन लागत का अध्ययन होने तक, जो कि किया जा रहा है, बढ़ाकर 4.25 रु० प्रति प्वांइट कर दी गई है।

इंडियन एयरलाइंस को हुआ घाटा

3358. श्री राजदेव सिंह :
श्री मूलचन्द डागा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 में इण्डियन एयरलाइंस को हुए कुल वित्तीय घाटे का अन्तिम रूप से अनुमान लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे घाटे को रोकने के लिए क्या स्थायी उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) वर्ष 1973–74 के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष 1972–73 के अन्त में इण्डियन एयरलाइन्स को हुई कुल हानि लगभग 14.55 करोड़ रुपये थी।

(ग) परिचालन लागतों को कम करने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं और यथा संभव रूप से ईंधन पर विभिन्न वित्तीय करों को कम कराने के यत्न किये जा रहे हैं। अपव्ययी कार्य पद्धतियों को समाप्त करने और व्यय में मितव्ययिता लाने के उपाय भी किये गये हैं।

विदेश निर्मित कारों का खरीदा जाना

3359. श्री समर गुह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुत्पादक व्यय को रोकने और मितव्ययता के विचार से विदेश दूतावासों और विदेशी कंपनियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों, कंपनियों द्वारा विदेशों में बनी कारें खरीदने पर रोक लगाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रक्षा अथवा विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिये और/या भारत में आने वाले विदेशी महानुभावों के लिए प्रयोग को छोड़कर, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों अथवा सरकारी कंपनियों या निगमों द्वारा भी इस प्रकार की विदेशों में बनी कारों का खरीदा जाना बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो देशी कारों के प्रयोग के बारे में इस प्रकार की नीति लागू किये जाने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रयोग के लिये छोड़कर, जिन्हें महत्वपूर्ण नयाचार (प्रोटोकॉल) संबंधी कार्यों तथा विदेशी महानुभावों आदि के संबंध में अपने विशेष कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वाह के कारण छूट प्राप्त है, सरकार ने मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों अथवा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के प्रयोग के लिए विदेशों में बनी कारों का खरीदना पहले ही बंद कर दिया है।

(ग) तथा (घ) विदेश में निर्मित कारों को देश में आयात करने पर तथा उनकी बिक्री पर पर्याप्त प्रतिबंध है। मोटे तौर पर, वर्तमान प्रतिबंध नीचे दिये अनुसार हैं :-

(i) किसी भी स्रोत से देश में कारों का सामान्य आयात नहीं किया जाता।

(ii) एकमात्र वर्ग जिसे आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है, वह ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों के संबंध में है, जो छः महीनों से अधिक की अवधि के लिये देश के बाहर निवास कर चुके हैं और जिनके पास सीमाशुल्क-निकासी का परमिट है, परन्तु शर्त यह है कि वे देश में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्षों तक इन कारों की बिक्री नहीं कर सकते। यदि वे इन्हें 5 वर्षों के अन्दर बेचना चाहते हैं तो केवल राज्य व्यापार निगम को ही बेच सकते हैं।

(iii) ऐसे विदेशी राजनयिक भी जिन्हें अपने निजी प्रयोग के लिये कार लाने की सरकार द्वारा इजाजत दी जाती है, राज्य व्यापार निगम को छोड़कर भारत में किसी अन्य व्यक्ति को कारें नहीं बेच सकते। किन्तु देश छोड़ते समय वे इन कारों को अपने साथ वापस अवश्य ले जा सकते हैं।

(iv) राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी मिशनों आदि से प्राप्त आयातित कारों की बिक्री टेंडर आमंत्रित करके की जाती है।

क्रेता चैक योजना को लागू किया जाना

3360. श्री समर गुह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री चैक की भांति "विशेष क्रेता चैक" पद्धति शुरू करने का प्रस्ताव है जिससे दो हजार रुपयों से अधिक का माल किसी भी व्यापारी, फुटकर विक्रेता अथवा किसी वाणिज्यिक सौदे से खरीदा जा सके, और जो न्यायालय में भी वैध माना जाये;

(ख) क्या ऐसी विशेष चैक योजना लागू करने से काले धन का पता लगाने और ऐसे धन के परिचालन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) ऐसे विशेष क्रेता चैक पद्धति लागू करने के प्रस्ताव के गुण-दोषों पर विचार करने के लिये क्या सरकार का कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

धन की कमी के बारे में उद्योगों द्वारा किये गये अभ्यावेदन

3361. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की अत्यधिक कमी के बारे में उद्योगों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो किन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों ने अपने मामलों के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच की है कि इससे उद्योगों के विकास पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय किये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) कुछ वाणिज्य मण्डलों, उद्योगों के संघों और कुछ व्यक्तियों ने सरकार को लिखा है कि वर्तमान ऋण नीति के कारण उद्योगों के लिये साधनों में कमी हो गयी है ।

सरकार का विचार है कि कीमतों के बढ़ने की मौजूदा स्थिति में ऋण नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके और साथ ही आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की मांग और छोटे व्यक्तियों की ऋण संबंधी आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके ।

मुद्रा सप्लाई में वृद्धि

3362. श्री विश्वनाथ झुंझनवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयत्नों के बावजूद मई, 1974 में जनता में मुद्रा की सप्लाई कम होने के स्थान पर 112 करोड़ रुपये बढ़ी है ;

(ख) क्या पहले महीनों की तुलना में मई, 1974 में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि में अत्यधिक कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मंदी के महीने में इस स्थिति के उत्पन्न होने के क्या कारण थे और इसस मुद्रा स्फीति में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सबसे हाल में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो अन्तिम नहीं हैं, 26 अप्रैल, 1974 से 31 मई 1974 तक की अवधि में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 103 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थीं जबकि 1973 की इसी अवधि में 172 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ।

(ख) जी, नहीं । इसके विपरीत 26 अप्रैल से 31 मई, 1974 तक की अवधि में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास सभी अनुसूचित बैंकों की जमा रकमों में 60 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि 1974 के पहले चार महीनों में औसतन 35 करोड़ रुपये की मासिक की कमी हुई ।

(ग) पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में ढांचे में परिवर्तन होने और विशेष रूप से उद्योगीकरण की वृद्धि होने के कारण अधिक काम काज के दिन अप्रैल का महीना समाप्त होने के बाद भी चलते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मई, 1974 के महीने में मुद्रा उपलब्धि में क्यों वृद्धि हुई है । लेकिन मंदी के दिनों के अनुरूप रिजर्व बैंक के पास सभी अनुसूचित बैंकों की जमा रकमों में वृद्धि हुई है । जहां तक मुद्रा उपलब्धि के विस्तार का संबंध उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं से है इससे मुद्रास्फीति नहीं होती । सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा उत्पादन की वृद्धि को हानि पहुंचाये बिना मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि को रोकने और इस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को रोकन के लिये हर किस्म की कोशिश की जा रही है ।

आयात संपूर्ति लाइसस दिया जाना

3363. श्री राजदेव सिंह
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक ने निर्यात लाभों का शीघ्र भुगतान तथा आयात संपूर्ति लाइसेंसों की स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु एक सरल प्रक्रिया लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां ।

(ख) सरलीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति हकदारी का पूरा मूल्य तथा नकद सहायता का 85 प्रतिशत चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा प्रमाणित दावे की प्रारम्भिक जांच के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद विस्तृत जांच की जाती है। प्रारम्भिक जांच पर दी गई राशि तथा विस्तृत जांच के फलस्वरूप देय राशि के बीच यदि अन्तर हो तो वह लम्बित/भावी दावों में समायोजित कर दिया जाता है। योजना उन पंजीकृत निर्यातकों पर लागू होती है जो गत तीन वर्षों से निर्यात कार्य में लगे हुए हैं। इस सरलीकृत प्रक्रिया का ब्यौरा तथा उसकी मुख्य विशेषताएं पब्लिक नोटिस सं० 60-आई०टी०सी० (पी० एन०) 74 दिनांक 1 मई, 1974 में घोषित की गई थी। यही प्रक्रिया उन पंजीकृत निर्यातकों को नकद सहायता प्रदान करने के लिये लागू होती है जिनका गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष निर्यात व्यापार 2.5 लाख रुपये से कम नहीं रहा है; छोटे पैमाने के निर्यातकों के मामले में यह सीमा घटाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।

छपाई कागज को खरीदने के लिए काला धन

3364. श्री धामनकर
श्री वसन्त साठे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि काला धन रखने वाले व्यक्तियों के लिये छपाई का कागज एक अत्याधिक मांग वाली वस्तु बन गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) देश में कोयला, बिजली, कच्चा माल, रासायनिक पदार्थों की कमी तथा श्रमिक वर्ग में अशान्ति के कारण वर्ष 1973 में कागज के उत्पादन में गिरावट आई है। कागज की यह कमी लिखने और छपाई के कागज के मामले में अधिक तीव्र थी जिससे बाजार में कमी का वातावरण पैदा हो गया और ऐसी शिकायतें मिली कि कुछ बेईमान व्यक्ति व्यापारिक लेन-देनों पर अतिरिक्त पैसा वसूल कर रहे हैं।

काले-धन और कर-अपवंचन की समस्याओं से निपटने के लिये सरकार समय-समय पर कई उपाय करती रहती है। ये उपाय कागज व्यवसाय में विद्यमान काले-धन के संबंध में भी लागू होते हैं।

प्रशानिक तौर पर इस संबंध में गुप्त सूचना संग्रह और जांच पड़ताल तंत्र की वर्तमान व्यवस्था में वृद्धि और सुधार करने के उपाय किये जा रहे हैं और कर की चोरी को पकड़ने के लिये तलाशियां लेने, परिसम्पत्तियां और अन्य कागज आदि पकड़ने तथा इस्तगासे की कार्यवाही करने के उपायों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जहां तक विधि-विधान का प्रश्न है, वर्तमान वे व्यवस्थायें तो हैं हीं जिनमें अचल सम्पत्ति की बिक्री के समय न्यून मूल्य निर्धारण के मामलों में सम्पत्ति का अनिवार्य अभिग्रहण आदि, बेनामी तौर से सम्पत्ति रखने पर रोक और कृषि आय का आंशिक रूप से अन्य आय में एकीकरण शामिल हैं, साथ ही कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 1973 की व्यवस्था भी की गई है जिसमें कर-अपवंचन और काले-धन को रोकने के लिये अन्य कई उपाय निहित हैं और यह विधे क फिलहाल लोक सभा की एक प्रवर समिति के सामने हैं। इसके अलावा, क्योंकि छपाई के कागज की कमी से ऊपरी पैसे का लेन-देन पैदा होता है इस लिये इस कमी की समस्या को सुलझाने के लिये भी सरकार ने अन्य कई उपाय किये हैं, जिनमें कुछ ये हैं :—

लिखने और छापने के कागज के निर्यात को, निर्यात नियंत्रण आदेश की परिधि में लाना, सरकारी पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तकों के प्रकाशकों और निर्माताओं के बीच सफेद मुद्रण तथा लिखने के कागज के समीचीन वितरण के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर समितियों की स्थापना आदि, और आवश्यक जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी करना।

यूगोस्लाविया को वैगनों की सप्लाई

3365. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कारखानों में कुल कितने वैगनों का निर्माण होगा;

(ख) सरकार ने यूगोसलाविया तथा अन्य देशों को कितने वैगन सप्लाई किये हैं;

(ग) क्या सरकार ने वैगनों की कीमतों में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और यूगोस्लाविया सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपध्याय) : (क) वर्ष 1974-75 के दौरान 12,000 वैगन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) यूगोस्लाविया को अभी तक 670 वैगनों की सब एसेम्बलियां निर्यात की गई हैं जिन का सुपुर्दगी से पहले यूगोस्लाविया में अन्तिम रूप से संयोजन किया जाना है। इन में से 32 वैगन संयोजित किये जाने के बाद यूगोस्लाविया रेलवे को सुपुर्द किये जा चुके हैं

इनके अलावा, राज्य व्यापार निगम/परियोजना तथा उपस्कर निगम द्वारा अन्य देशों को 3630 वैगन सप्लाई किए जा चुके हैं।

(ग) तथा (घ) वैगनों की कीमत बढ़ाने के लिए यूगोस्लाविया के खरीदारों के साथ बातचीत चल रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

3366. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अखबारी कागज के मूल्यों में हाल ही में पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों ने अखबारी कागज के मूल्यों में कितनी वृद्धि की है जिनसे भारत अखबारी कागज आयात करता है; और

(ग) इस वृद्धि का देश की विदेशी मुद्रा स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अतिरिक्त व्यय किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) अखबारी कागज के विदेशी सप्लायरों द्वारा 1 अगस्त, 1974 से कीमतों में जो वृद्धि की गई है वह 262 रुपये से 284 रुपये प्रति टन (लागत बीमा भाड़ा सहित) तक है ।

(ग) इसमें वर्ष 1974-75 की विद्यमान संविदाओं के सम्बन्ध में 10,85,000 अमरीकी डालर का अनुमानित अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा । इस अतिरिक्त व्यय को देश के समग्र विदेशी मुद्रा स्रोतों से पूरा करना पड़ेगा । सप्लाई के कुछ भाग की व्यवस्था रुपया भुगतान क्षेत्रों से व्यापार कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी की गई है ।

ग्राम्य पर्यटन विकास के लिये योजना

3367. श्री जगन्नाथ मिश्र: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य पर्यटन विकास के लिये सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) और (ख) देश में पर्यटक रुचि के बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें रमणीक दृश्य स्थलों से लेकर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रुचि के स्थान हैं । ग्राम्य पर्यटन का विकास करने के लिये कोई विशेष स्कीमें नहीं हैं । तथापि, पर्यटन संबंधी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मोटे तौर पर पर्यटन के आधारभूत उपादानों को मजबूत करने का प्रस्ताव है जिनमें भारत के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारी संख्या में आकर्षित करने की दृष्टि से हमारी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदा के पर्यावरण में सुधार तथा अवकाश विहार स्थलों एवं अन्य जीव पर्यटन का विकास सम्मिलित है । पर्यटन विकास के लिये चुने गये केन्द्रों में से कई दूरस्थ स्थानों में पड़ते हैं इस लिये उनके विकास से इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा ।

राज्यों को वित्तीय सहायता देने के मापदंड

3368. श्री मधु दंडवते : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूखे से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी मापदंड में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) छठे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पिछली योजना को जिसके अनुसार राज्यों द्वारा सूखा व दूसरी देवी विपत्तियों

के सम्बन्ध में किये जाने वाले राहत-व्यय के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती थी, 1 अप्रैल, 1974 से खत्म कर दिया गया है, और राज्यों को यह सूचना दे दी गई है कि इस प्रयोजन के लिये उन्हें आगे से कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी। वित्त आयोग ने राज्यों को साधनों का अन्तरण करने की अपनी योजना में वार्षिक 50.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अब राज्यों को इस वार्षिक व्यवस्था का इस्तेमाल कर और अपने साधनों तथा व्यय में फिर से तालमेल बिठा कर देवी विपत्तियों पर होने वाले खर्च को पूरा करना होगा।

जे०के०के० ग्रुप से आयकर की वसूली

3369. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु कुमारपालयन जे० के० के० अंगप्पा ब्रदर्स से आयकर और जुर्माने की लगभग 65 लाख रुपये की बकाया राशि अभी तक वसूल नहीं की है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बकाया जुर्माने की राशि अदा न करने के कारण उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) (i) अपील में विवादग्रस्त और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा स्थगित 60.93 लाख रुपये की मांग,

(ii) 81,000 रु० प्रति तिमाही की किस्तों में वसूल की जा रही 12.80 लाख रुपये की मांग के अलावा, तमिल नाडु कुमारपालयन श्री जे०के०के० अंगप्पा और उनके भाई, अर्थात श्री जे०के०के० नटराजा, श्री जे० के० के० सुन्दरराजा और श्री जे० के०के० मुनिराजा की तरफ आयकर और दण्ड की बकाया मांग 30 जून, 1974 को 7.09 लाख रुपये की थी।

(ख) विभाग ने, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 226 (3) के अन्तर्गत उनके अन्य कर्जदारों की तरफ बकाया ऋणों की कुर्की और जिन प्रतिष्ठानों में चारों भाइयों का हित था, उनको आयकर सत्यापन प्रमाणपत्रों को जारी करने से इन्कार जैसे कठोर उपाय अपनायें, उसके कारण एक विस्तृत योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार 7.09 लाख रुपये की उक्त मांग चालू वर्ष में समाप्त हो जायेगी।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में युवा उद्यमियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता

3 70. श्री आर० एन० बर्मन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों की स्थापना करने हेतु किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी;

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान कुल कितनी सहायता दी गई और वर्ष 1974-75 के दौरान कितनी सहायता दिये जाने की संभावना है; और

(ग) पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के कितने औद्योगिक एककों को वर्ष 1973-74 के दौरन बैंकों से वित्तीय सहायता मिली है।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, जिनकी शाखाएं पश्चिम बंगाल में हैं, उस राज्य में औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिए उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता देते हैं।

(ख) और (ग) आंकड़े इकट्ठे करने की मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि युवा उद्यमकर्ताओं अथवा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों जैसी अलग अलग श्रेणियों को दिये जाने वाले अग्रिमों के बारे में विस्तृत रूप से आंकड़ों का संकलन किया जा सके। औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए इन श्रेणियों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण सामान्यत: "लघु उद्योग" के तरजीही क्षेत्र की श्रेणी के अन्तर्गत आयेंगे। दिसम्बर, 1973 के अन्त में, लघु उद्योगों के नाम जो 16,365 से भी अधिक इकाइयों में फैले हुए हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की रकम 57.35 करोड़ रुपये थी। इस क्षेत्र को 1974-75 में मिलने वाले सम्भावित अग्रिमों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालक

3371. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालकों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 की तुलना में उनकी वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार 1-3-1972 को बेरोजगार विमानचालकों की अनुमानित संख्या 218 थी, तथा यह संख्या 30-6-1973 को 241 और 1-1-1974 को 196 थी।

(ग) और (घ) बेरोजगार विमानचालकों को रोजगार दिलाने में हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उनकी सहायतार्थ किये गये कुछ उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर-इण्डिया दोनों को ही सलाह दी गई है कि जहां कहीं संभव हो बेरोजगार विमानचालकों को भू-कार्यों (ग्राउंड ड्यूटीज) के लिये नियुक्त किया जाये।

2. एयर-इण्डिया ने छ: बेरोजगार विमानचालकों को उड़ान परिचालन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था, किन्तु उनमें से दो इण्डियन एयरलाइंस में विमानचालक के रूप में नियुक्ति के लिए एयर-इण्डिया को छोड़कर चले गये हैं।

3. इण्डियन एयरलाइंस ने 28 विमानचालकों की भर्ती की है, जो प्रशिक्षण पा रहे हैं। पैनल में, जो 31 दिसम्बर, 1975 तक वैध है अभी 27 और विमानचालक हैं।

4. नागर विमानन विभाग में 109 बेरोजगार विमान चालकों का सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी के रूप में चयन किया जा चुका है

5. तीन बेरोजगार विमानचालकों को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र प्राधिकरण में एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लिया गया है ।

6. गत दो वर्षों में अननुसूचित परिचालकों द्वारा 24 विमानचालकों को नियुक्ति दी गई है ।

सोने की तस्करी रोकने के उपाय

3372. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया सर्राफा ऐसोसिएशन ने यह धमकी दी है कि यदि स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों पर अधिकतम सीमा सरकार द्वारा लागू कर दी गई तो सम्पूर्ण स्वर्ण चोरी छिपे देश से बाहर चला जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों की देश से बाहर होने वाली तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) देश से बाहर चोरी छिपे माल ले जाने को रोकने के लिए पत्तनों, हवाई अड्डों और भू-सीमा नाकों पर सतर्कता बरतने के अतिरिक्त, सरकार ने विभिन्न किस्म के विधायी और प्रशासनिक उपाय किये हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ब्याज की दरें बढ़ाना

3373. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सभी प्रकार के ऋणों पर ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका देश में लघु उद्योगों और विशेष रूप से विदेशी मुद्रा की बचत करने वाले उद्योगों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) दरों में कितनी वृद्धि की गई है तथा इसका भावी विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 27 जुलाई, 1974 से अपनी ब्याज-दरें बढ़ा दी है जिनका ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० –8263/74]** लेकिन विकास बैंक द्वारा निर्यात के लिये दिये गये जाने वाले ऋण की ब्याज दर में 20 अप्रैल को जो एक प्रतिशत की वृद्धि की गई थी उसमें 27 जुलाई 1974 से दुबारा कोई और संशोधन नहीं किया गया है ।

ब्याज––दर में जो वृद्धि की गई है वह बढ़ाई गई सभी ब्याज दरों के अनुरूप ही है । ब्याज की दर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है––अर्थ व्यवस्था में निवेश योग्य संसाधनों का अच्छी तरह आबंटन करना ।

बाजार के मौजूदा रुख को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि व्याज की दर बढ़ाये जाने से देश के भावी औद्योगिक विकास पर जिसमें लघु उद्योग भी शामिल है कोई ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

तस्करी को रोकने के उपाय

3374. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में भारत के पश्चिमी तट को 'सील' किये जाने के पश्चात से तस्करी द्वारा भारत लाया जा रहा कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया ;

(ख) क्या देश के पश्चिमी तट और विशेष रूप से मद्रास एवं पश्चिमी बंगाल तट को भी इसी प्रकार 'सील' करने का भी कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) देश के विस्तृत समुद्र तट को सील करना व्यवहार्य नहीं है । तथापि पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तटों पर सीमा शुल्क चुंगी-चौकियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं । इस संदर्भ में सरकार पश्चिमी समुद्र तट तथा तमिलनाडु समुद्रतट पर समुद्र तट रक्षा गस्तीनिवारक दलों, मार्ग रोक-थाम दलों और नगर निवारक दलों की स्थापना कर रही है । कतिपय कुख्यात क्षेत्रों में केन्द्रीय आरक्षण पुलिस की कम्पनियां तैनात की जा रही हैं । नौसेना की सहायता भी ली जा रही है । बेतार दूर-संचार व्यवस्था भी कायम की जा रही है । इसके अतिरिक्त कुछ लांच नौकाओं तथा उच्च गति वाली नावों को भी प्राप्त किया जा रहा है । निवारक कर्मचारियों के लिए हथियारों तथा अन्य उपकरणों को व्यवस्था की जा रही है ।

कनारा बैंक, सिंडीकेट बैंक और इंडियन बैंक में अधिकारियों, कलर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों के रिक्त पद

3375. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनारा बैंक, सिंडीकेट बैंक और इण्डियन बैंक में वर्ष 1972 और वर्ष 1973 में अधिकारियों, कलर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों के कितने पद खाली हुए;

(ख) उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे; और

(ग) इन पदों के लिए कितने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रार्थियों ने आवेदन पत्र दिये और कितने चुने गये ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०–8264/74]

रिजर्व बैंक में और राष्ट्रीयकृत बैंकों में कृषिकों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि

3376. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्डों में किसानों का और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधि है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बिना और विलम्ब किये उपरोक्त वर्गों के प्रतिनिधियों को नाम-निर्देशित करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के (निदेशकों के) केन्द्रीय बोर्ड में किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। फिर भी, रिजर्व बैंक के मौजूदा केन्द्रीय बोर्ड में तीन ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें कृषि से संबंधित क्षेत्र के एक या अधिक विषयों की विशेष जानकारी है।

जहां तक 14 राष्ट्रीकृत बैंकों का सवाल है, इन बैंकों के बोर्डों में, इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आठ व्यक्ति हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिए गए ऋण

3377. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1972-73 और 1973-74 के वर्षों में समाज के दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन्हें कोई रियायत दी जाती है और क्या उनके मामलों में शर्तों में कोई ढील दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आंकड़े प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो मौजूदा प्रबन्ध है, उसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े संकलित करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे छोटे ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले अग्रिम सामान्यतः, कृषि लघु उद्योग, सड़क और जल यातायात चालकों, छोटे कारोबार खुदरा व्यापार और व्यावसायिकों और आत्म नियोजित व्यक्तियों, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियों में आते हैं और डी० आई० आर० योजना, जो विशेष रूप से निर्धनों में से अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों के लिए है, के अन्तर्गत दिखाये जायेंगे। सरकारी क्षेत्र के बैंक, छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण देते समय, मार्जिन सिक्यूरिटी, गारण्टी, आदि की जरूरतों के सम्बन्ध में प्रायः लचीला और उदार रुख अपनाते हैं। इसके अलावा छोटे ऋणकर्ताओं से अग्रिमों पर लिये जाने वाले ब्याज की दरें भी अन्य ऋणकर्ताओं के लिये जाने वाले ब्याज की दरों से प्रायः कम होती हैं। विशेषरूप से तरजीही ब्याज–दर योजना के अन्तर्गत केवल 4% ब्याज लिया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किये गये अग्रिमों में से, दिसम्बर, 1972 और दिसम्बर, 1973 के अन्त में और डी० आई० आर० योजना के अन्तर्गत मार्च, 1974 के अन्त में बकाया अग्रिमों के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

	दिसम्बर, 1972		दिसम्बर, 1973	
	ऋण खातों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)	ऋण खातों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
(क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणी				
1. कृषि	12,45,045	429.57	17,88,933	547.38
2. लघु उद्योग/सड़क और जल परिवहन के छोटे संचालक	1,66,981	625.70	2,47,362	846.08
3. खुदरा व्यापारी	1,33,525	76.94	2,00,334	98.27
4. छोटा कारोबार	53,532	10.17	1,04,722	17.53
5. व्यावसायिक और आत्म नियोजित व्यक्ति	73,621	15.32	1,62,157	28.34

	मार्च, 1974 के अन्त में	
	ऋण खातों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
(ख) डी० आई० आर० योजना	2,56,380	10.84

कर्नाटक में पर्यटक केन्द्र

3378. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कर्नाटक राज्य के कौन-कौन से स्थान पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास के लिए चुने गये हैं ;

(ख) प्रत्येक स्थान के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजना के दौरान बादामी-पट्टादकलएहोल के पुरातत्वीय काम्पलेक्स तथा हाम्पी का विकास करने का प्रस्ताव है। बांदीपुर वन्य जीव शरणस्थल में आवास की व्यवस्था भी विचाराधीन है।

भारत पर्यटन विकास निगम का अपनी पांचवीं योजना के कार्यक्रम में मैसूर में एक होटल तथा एक परिवहन यूनिट स्थापित करने, बंगलौर में होटल अशोक का नवीकरण एवं विस्तार तथा वहां परिवहन यूनिट में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इन स्कीमों के लिए, धन उपलब्ध होने की हालत में, 155 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

व्यपगत पालिसियों को पुनर्जीवित करने की योजना

3379. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संक्षिप्त डाक्टरी रिपोर्ट के बिना व्यपगत पालिसियों को पुनर्जीवित करने का विशेष योजना के अच्छे परिणाम निकले हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित अवधि में कितनी पालिसियों को पुनर्जीवित किया गया है और उनसे प्रीमियम की कितनी धनराशि वसूल की गई है ;

(ग) क्या योजना की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन के लिए अन्तिम तिथि को 31 अक्टूबर, 1974 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या और अधिक पालिसीधारियों को अपनी व्यपगत पालिसियों को पुनर्जीवित करने की सुविधा प्रदान करने के लिये उद्देश्य से व्यपगत अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या 50,000 रुपये तक की पालिसी अथवा पालिसियों पर भी उक्त सुविधा प्रदान करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय म उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम ने हाल ही में व्यपगत पालिसियों को फिर से चालू करने के संबंध जो विशष रियायतें देने का प्रस्ताव किया था उनका उद्देश्य निगम के जमा खाते में असमायोजित पड़ी भारी रकमों को कम करना है। रियायतों के प्रभाव का अनुमान वर्ष समाप्त होने के बाद तब ही लगाया जा सकता है जब जमा रकमों के कम होने और उसके परिणामस्वरूप नवीकरण प्रीमियम आय में वृद्धि होने के बारे में सूचना उपलब्ध होगी।

(ख) इसमें अन्तर्ग्रस्त भारी अतिरिक्त कार्य को देखते हुए, इस प्रकार फिर से चालू की गई पालिसियों की संख्या तथा उनके संबंध में एकत्र की गई प्रीमियम की रकमों के बा में ब्यौरा इकट्ठा करने का जीवन बीमा निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं। रियायतें पहले ही 31-5-74 से 31-7-74 तक बढ़ा दी गई थी। इस के अलावा, बैंक दर में वृद्धि को देखते हुए, जीवन बीमा निगम के लिए प्रीमियम की बकाया रकमों पर $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत के व्याज की रियायती दर के प्रस्ताव को जारी रखना संभव नहीं है।

(घ) तथा (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों के वितरण में असमानताएं

3380. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों ने और विशेष रूप से पूर्वी भारत के राज्यों ने बम्बई में मुख्यालय वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों एवं अन्य वित्तीय लाभों के वितरण में असमानताओं के संबंध में शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों को वित्तीय लाभों के वितरण संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या वित्तीय लाभों के वितरण संबंधी सिद्धान्तों की पुनः जांच और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करने का विचार है ?

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) समय समय पर संसद में तथा संसद के बाहर इस आशय के सुझाव मिलते रहे हैं कि नई वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यालय बम्बई के बजाय किन्हीं अन्य स्थानों पर खोले जायें और विभिन्न राज्यों को अपने औद्योगिक विकास के लिए इन संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता में जो प्रादेशिक असमानता रहती है उसे भी दूर किया जाय।

लम्बी अवधि के लिए ऋण देने वाली जो पांच अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाएं आम तौर पर उद्योग को ऋण सहायता देती हैं उनमें से चार संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के मुख्य कार्यालय बम्बई में हैं और औद्योगिक वित्त निगम के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है। इस निगम की स्थापना 1971 में मुख्यत: इस उद्देश्य से की गई थी कि बीमार और बंद पड़े औद्योगिक एककों को सहायता दी जा सके। ऐसी बात नहीं है कि किसी संस्था का मुख्य कार्यालय किसी खास स्थान पर होने से ही किसी राज्य को ज्यादा वित्तीय सहायता मिलती है और अन्य राज्यों को कम। संस्थाएं सरकार की इस नीति से अवगत हैं कि उन्हें विभिन्न राज्यों को समान रूप से सहायता देनी है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं ने पिछड़े प्रदेशों और इलाकों के ऋणकर्ताओं को विशेष तौर पर कुछ रियायतें दी हैं। इस उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली कुल सहायता में से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों और प्रदेशों को अधिक हिस्सा मिले, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के परामर्श से इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहक कार्यक्रम जसे औद्योगिक संभावनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने और तकनीकी सलाह देने वाली संस्थाओं की व्यवस्था करने का कार्य करता रहा है और कर रहा है।

इन सभी संस्थाओं ने अपने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए समूचे भारत में, जहां आवश्यक है वहां अपने प्रादेशिक शाखा कार्यालय खोल रखे हैं।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि कोई संस्था किसी उद्योग को कितनी वित्तीय सहायता देती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिन औद्योगिक उपक्रमों को सहायता दी जाती है वे कहां स्थित हैं। जिन मामलों में आवश्यक होता है उनमें स्थान का नाम औद्योगिक लाईसेंस में दे दिया जाता है और अन्य मामलों में उद्यमकर्ता स्वयं स्थान तय करते हैं। ये संस्थाएं इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का भरसक प्रयास करती हैं कि किसी उपयुक्त परियोजना को संस्थागत वित्त की कमी के कारण कोई कठिनाई न हो।

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध I, II और III में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-8265/74]

(ग) जी, नहीं।

पर्यटक स्थलों के संबंध में प्रचार सामग्री रिलीज करना

3381. श्री सत पाल कपूर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस प्रयोजन के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटक महत्व के स्थलों के बारे में प्रचार सामग्री इस बीच 'रिलीज' कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वाहनों को अन्तर्राज्यीय परिवहन पर लगे प्रतिबन्ध हटाने का है जिससे पर्यटक एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से आ जा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) भारत के अधिकांश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने अपने क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय दोनों ही प्रकार के पर्यटन यातायात के प्रोत्साहन में काफी रुचि ले रहे हैं। इनमें से कई एक ने राज्य सरकार को पर्यटन संबंधी मामलों में परामर्श देने के लिए पर्यटन सलाहकार बोर्डों का गठन किया हुआ है। कुछ एक ने पर्यटन विकास निगमों की स्थापना भी की है तथा वे आवास आदि पर्यटन विषयक कई सुख-सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं।

(ख) इस संबंध में चार क्षेत्रीय, अर्थात् पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी एवं उत्तरी, पर्यटन सलाहकार समितियां हैं जिनके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत भारत के सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आ जाते हैं। संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय के निदेशक अपने क्षेत्र में समिति के संयोजक हैं। इन समितियों के सदस्य राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्री, राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के पर्यटन निदेशक क्षेत्रीय ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन और होटल एण्ड रेस्टोरेंट फेडरशन के प्रतिनिधि हैं। उक्त समितियां अपने अपने क्षेत्रों में पर्यटन की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और पर्यटनो की संख्या में वृद्धि करने के विचार से एक दूसरे की गतिविधियों का समन्वय और समर्थन करते हैं।

(ग) अनेक राज्य सरकारें अपने राज्यों में पर्यटक महत्व के स्थलों के बारे में पर्यटन साहित्य प्रकाशित करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित पर्यटन साहित्य मुख्यत: अन्तर्देशीय पर्यटकों के लिए होता है जबकि केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(घ) और (ड़) कुछ वर्ष पूर्व पर्यटन विभाग ने एक ही स्थल पर चुंगी कर लिए जाने के आधार पर पर्यटक टैक्सियों और वाहन के निर्बाध आवागमन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परमिट देने हेतु एक योजना बनाई थी ताकि प्रत्येक राज्य समस्त देश में 100 पर्यटक टैक्सियों और 25 पर्यटक वाहन बिना प्रति हस्ताक्षर के और एक ही स्थान पर चुंगी कर लिए जाने के आधार पर चलाने के लिए अखिल भारतीय परमिट दे सके। नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने विधि मंत्रालय की सहमति से आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की हैं। कुछ राज्य सरकारों ने उक्त योजना की स्वीकृति भेज दी हैं जबकि कुछ राज्यों ने अभी अपनी स्वीकृति नहीं भेजी। जब सभी राज्य सरकारें स्वीकृति दे देंगी तभी इस योजना को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना

3382. श्री पी० के० देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण सुविधायें देने में उपेक्षा का व्यवहार अपनाने के बारे में दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के प्रति निधि के संवाददाता सम्मेलन की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) और (ख) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने 23 जुलाई 1974 को समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को समाचार पत्रों के जरिये निगम की कार्यविधियों और उसके द्वारा किये गये कामों के बारे में जानकारी देना था। इस बैठक में उठाये गए सवालों में से एक सवाल यह था कि क्या बैंकों द्वारा उद्यमकर्ताओं को मिलने वाली

धन संबंधी सहायता की मंजूरी देने में देर लगती है। इस सवाल के जवाब में निगम के प्रवक्ता ने यह बताया था कि कभी कभी बैंकों में आवेदन पत्रों के ऊपर कार्यवाही करने में देर हो जाती है और इसकी वजह यह होती है कि आवेदक कच्चे माल, मशीनों की उपलब्धता, तैयार माल को बेचने के इन्तजाम आदि जैसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में ठीक ठीक सूचना नहीं देते हैं।

आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

3383. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा जून, 1974 से प्रत्येक राज्य में कितने छापे मारे गये हैं;

(ख) उनके परिणामस्वरूप कितने मूल्य का सामान और कितना धन पकड़ा गया; और

(ग) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) आंकड़े, आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्र के अनुसार रखे जाते हैं, राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। जून और जुलाई, 1974 के महीनों में जो तलाशियां ली गईं उनकी संख्या और उन में पकड़ी गई परिसंपत्तियों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

आय-कर आयुक्त का कार्यक्षेत्र	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परि-संपत्तियों का मूल्य
गुजरात	4	1,57,000
केरल	8	34,000
कानपुर	22	5,51,872
लखनऊ	5	13,21,265
मद्रास	12	13,33,817
पूना	23	1,88,470
पश्चिम बंगाल	4	5,24,125
पटियाला	37	17,00,308
बम्बई	9	36,39,136
मैसूर	9	5,70,280
दिल्ली	16	77,16,270
	149	1,77,36,543

इन तलाशियों में, उपर्युक्त परिसंपत्तियों के अलावा, अपराध-आरोपणीय लेखा-पुस्तकें तथा दस्तावेज भी पकड़े गये हैं।

(ग) सभी मामलों में पकड़ी गई वस्तुओं की छानबीन की जा रही है। जिन मामलों में नकदी और अन्य मूल्यवान वस्तुयें पकड़ी गई हैं, उनमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (5) के अधीन अघोषित आय का सरसरी तौर पर अनुमान लगाकर आदेश जारी करने तथा समुचित रकम आदि को रोक रखने की कार्यवाही शुरू की गई है। यथा आवश्यक मामलों

में, इस्तगासे की कार्यवाही करने तथा दन्ड लगाने की कार्यवाही करने के प्रश्न की जांच की जायेगी। सभी मामलों में कानून के अनुसार यथा-आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गुजरात में पर्यटक स्थलों का विकास

3384. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गुजरात में पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने पर्यटकों के आकर्षण के लिये कुछ क्षेत्रों का विकास करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला और पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त राज्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटक अभिरुचि के स्थानों का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जोकि उनके द्वारा प्रदान किये गए आकर्षणों से संबंधित है। उनके विकास का संबंध केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा निजी उद्यमों से है। पर्यटन महत्व के स्थानों में सरकार द्वारा सामान्य तौर पर दिये जाने वाले होटल उद्योग से संबंधित कतिपय प्रोत्साहन गुजरात में भी उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि विभाग ने गुजरात में पर्यटक स्थलों का ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, ऐसे स्थान सुप्रसिद्ध हैं। अत: वन्य जीव पर्यटन के विकास के लिए तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सस्सनगिर के महत्व को जानते हुए विभाग ने इस शरण-स्थान में आवास तथा परिवहन सुविधायें प्रदान की हैं।

इसी प्रकार, साबरमती आश्रम के महत्व को अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से ध्यान में रखते हुए, वहां एक पर्यटक बंगले के निर्माण के अलावा एक सोन-एट-लुमियेर स्पेक्टेकल (ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन) का आयोजन किया गया है। गुजरात में केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में ली गयी पर्यटन स्कीमों का एक विवरण संलग्न है।

चालू वित्तीय वर्ष में पोरबंदर में एक पर्यटक बंगले का, गांधीनगर में एक युवा होस्टल का तथा सस्सनगिर में एक वन लाज का निर्माण-कार्य, जोकि चौथी योजना की पीछे से चली आ रही स्कीमें हैं और जिनके लिए 1974–75 के बजट प्राक्कलनों में 7.26 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, पूरा किया जायेगा। भारत पर्यटन विकास निगम का, निधियां उपलब्ध होने की अवस्था में पांचवीं योजना के दौरान अहमदाबाद में एक होटल तथा एक परिवहन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

दूसरी पंचवर्षीय योजना

भाग—I

	रुपये
1. अहमदाबाद में पर्यटक ब्यूरो	5,046

तीसरी पंचवर्षीय योजना

भाग —I

1. लोथल में पानी की सप्लाई	1,07,310
2. सस्सन में विश्राम गृह का सुधार	68,860
3. केशोद विमान क्षेत्र तथा सस्सन के बीच तथा सस्सन से गिर तक पर्यटन सुविधायें	62,031

भाग —II

1. पोरबंदर में निम्न आय वर्गीय विश्राम गृह	33,188
2. चोरवाड़ में अवकाश गृह	50,000
3. नलसरोवर में कैफेटीरिया	25,000
4. लोथल में कैंटीन व विश्राम कक्ष	98,820
	4,45,209

वार्षिक योजना 1966-67

1. लोथल में पानी की सप्लाई (पीछे से चली आ रही स्कीम)	1,000
2. लोथल में कैंटीन-व-विश्राम कक्ष (पीछे से चली आ रही स्कीम)	31,000
3. सस्सन गिर में फौरेस्ट बंगले का सुधार	3,000
	45,000

वार्षिक योजना 1967-68

1. लोथल में पानी की सप्लाई की स्कीम (पीछे से चली आ रही स्कीम)	5,000
2. लोथल में कैंटीन-व-विश्राम कक्ष (पीछे से चली आ रही स्कीम)	10,000
3. लोथल में कैफेटीरिया तक पहुंच मार्ग	30,000
4. साबरमती में पर्यटक बंगला (पीछे से चली आ रही स्कीम)	6,000
	51,000

वार्षिक योजना 1968-69

1. साबरमती में पर्यटक बंगला	73,000

चौथी पंचवर्षीय योजना

1. साबरमती में पर्यटक बंगले का निर्माण	3,63,000
2. साबरमती आश्रम में सोन-एट-लुमियेर प्रदर्शन का आयोजन	12,00,000
3. गिर वन में विश्राम गृह (निर्माणाधीन)	8,10,568
4. गांधी नगर में युवा होस्टल	3,24,446
5. पोरबंदर में पर्यटक बंगला (निर्माणाधीन)	3,46,946
6. गिर वन्य जीव शरण-स्थान में दो मिनी बसों की व्यवस्था	82,000
	31,26,960

औद्योगिक विकास के लिये एकाधिकार गृहों को बैंक ऋण

3385. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 से 1974 के वर्षों में औद्योगिक विकास के लिये एकाधिकार गृहों को कुल कितनी राशि का बैंक ऋण दिया गया; और

(ख) इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय बैंकों द्वारा लघु औद्योगिक विकास एककों तथा बेरोजगार युवकों को कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) बैंक आमतौर से केवल कार्यचालन पूंजी ऋण देते हैं जिसकी कई प्रकार की ऋण सीमायें होती हैं और उस सीमा तक सभी प्रकार के कारोबार के लिये समय-समय पर धन लिया जा सकता है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 75 औद्योगिक घरानों को दिए गए ऋणों की बकाया रकम नीचे दी गयी है :—

राष्ट्रीयकृत बैंक

को	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 75 बड़े औद्योगिक घरानों को दिये गये ऋणों की कुल बकाया रकम । (करोड़ रुपयों में)
30-6-1972	522.68(17.7)
29-6-1973	568.79(16.3)

स्टेट बैंक आफ इंडिया ग्रुप

को	स्टेट बैंक आफ इंडिया ग्रुप द्वारा 75 बड़े औद्योगिक घरानों को दिये गये ऋणों की कुल बकाया रकम । (करोड़ रुपयों में)
31-12-1972	280.64(22.0)
31-12-1973	304.97(19.00)

30 जून, 1974 को ऋणों की स्थिति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

पाद टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सभी ऋण कर्ताओं को दिये गये कुल ऋणों से सहायता के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की कुल बकाया रकम के आंकड़े जिस रूप में और जिस सीमा तक के बैंकों को प्राप्त है, इस प्रकार है :—

	दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार को कुल बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)	
	1972	1973
राष्ट्रीयकृत बैंक	316.48	449.75
	(10.4)	(11.8)
स्टेट बैंक आफ इंडिया ग्रुप	254.84	317.03
	(15.5)	(16.4)

30 जून, 1974 को ऋणों की स्थिति के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में छोटे ऋण कर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों के आंकड़े संकलित करने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार "कृषि", "लघु उद्योग", व्यावसायिक और आत्मनियोजित व्यक्ति "सड़क और जल परिवहन चालक", "छोटे व्यवसाय और खुदरा व्यापार" आदि जैसे स्थूल वर्गों में आंकड़े संकलित करने की अवस्था । बेरोजगार युवकों को दिए जाने वाले ऋणों के आंकड़े अधिकतर "व्यावसायिक और आत्मनियोजित व्यक्तियों" के वर्ग के अन्तर्गत आयेंगे । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा "व्यावसायिक और आत्मनियोजित व्यक्तियों" को दिये गये ऋणों की बकाया रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार को कुल बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)	
	1972	1973
राष्ट्रीयकृत बैंक	14.24	25.59
	(0.46)	(0.66)
स्टेट बैंक आफ इंडिया ग्रुप	1.08	2.74
	(0.06)	(0.14)

पाद टिप्पणी:—कोष्ठों में दिये गये आंकड़े सभी ऋणकर्ताओं को दिये गये कुल ऋणों से सहायता के प्रतिशत को प्रकट करते हैं ।

राउरकेला कलकत्ता के लिए नियमित विमान सेवा

3386. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राउरकला–कलकत्ता क्षेत्र के लिय नियमित विमान सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या राउरकला क लिये विमान सेवा पिछले कुछ महीनों से रद्द है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि तथा इण्डियन एयरलाइंस द्वारा अलाभप्रद परिचालन लागतों के कारण

वाइकाउंट एवं डकोटा विमानों को अपनी सेवाओं से हटाने के निर्णय के परिणामस्वरूप कई नगरों के लिये की जाने वाली विमान सेवाएं रद्द कर दी गई हैं; इनमें रूरकेला भी शामिल है। निकट भविष्य में रूरकेला व कलकत्ता के बीच विमान सेवाओं के पुनः प्रारंभ किये जाने की कोई संभावना नहीं है।

उड़ीसा की निर्यात संभाव्यताओं की जांच

3387. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी समिति अथवा किसी विशेषज्ञ ने उड़ीसा की निर्यात संभाव्यताओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा से निर्यात की मदें क्या क्या हैं और उड़ीसा को गत तीन वर्षों में निर्यात से कितनी आय हुई; और

(ग) क्या निर्यात योग्य, वस्तुओं की दृष्टि से बालासोर जिले का सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो वहां की निर्यात योग्य मदें क्या क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां, 1969–70 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने उड़ीसा राज्य का निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण किया था।

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार भारी निर्यात संभाव्यताओं वाली वस्तुओं में ये शामिल हैं : लोह अयस्क, लोह मैंगनीज, लौह सिलिकोन, मैंगनीज, काजू, तेलरहित चावल की भूसी तथा समुद्री उत्पाद। गैर-परम्परागत मदों में ये उत्पाद अभिज्ञात किये गये हैं : इस्पात के पाइप और ट्यूबें, तार तथा केबल, ताप-सह ईंटें, ढले लोहे के उत्पाद आदि।

गत तीन वर्षों में हुई उड़ीसा की निर्यात आय बताना संभव नहीं है क्योंकि निर्यात के आँकड़े राज्य वार संकलित तथा प्रकाशित नहीं किये जाते।

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किये गए निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण में पूरा उड़ीसा राज्य कवर किया गया था जिसमें बालासोर जिला भी शामिल है। इस जिले की निर्यात योग्य प्रमुख मदों म तेल रहित चावल की भूसो तथा समुद्री उत्पाद शामिल है।

एयर इण्डिया द्वारा जम्बो जेट विमानों की खरीद

3388. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा 1974–75 के दौरान कोई जम्बो जेट विमान खरीदे जा रहे हैं, और यदि हां, तो उन पर कितनी राशि व्यय होगी;

(ख) क्या पहले खरीदे गये जहाजों से कोई लाभ हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एयर-इण्डिया ने अपने पांचवें बोइंग-747 विमान के, जिसकी डिलिवरी 1975 के अन्त म होगी, क्रय का एक प्रस्ताव पेश किया है।

(ख) और (ग) विविध कारणों क परिणामस्वरूप, जिनमें बढ़ती हुई परिचालन लागत भी शामिल है, एयर-इण्डिया को गत कुछ वर्षों में हानि हुई है। 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले

वर्ष के लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, बोइंग–747 एक कार्य कुशल और विश्वसनीय विमान प्रमाणित हुआ है और यात्रियों को भी अच्छा जंचता है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटक स्थलों का विकास

3389. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी पर्यटक एजेंसियों और पर्यटकों ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के गत तीन वर्षों के कार्यों की सराहना की है; और

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान निगम ने पर्यटकों को आकर्षित करने क क्या उपाय किये और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में उनकी स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां । विदेशी पर्यटक अभिकरणों व पर्यटकों दोनों ही ने भारत पर्यटन विकास निगम की सेवाओं की बड़ी सराहना की है ।

(ख) 1968 से भारत पर्यटन विकास निगम ने महाबलीपुरम और कोबालम के समुद्रतटों पर आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास किया है । वे दिल्ली, अहमदाबाद और शालीमार गार्डन (श्रीनगर) में पर्यटन विभाग की ओर से ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनों का परिचालन भी कर रहे हैं । इनके अलावा भारत पर्यटन विकास निगम ने 6 नये होटल, 2 मोटल, 10 रेस्टोरेंट स्थापित किए हैं और 15 महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर परिवहन यूनिटों की भी स्थापना की है । हवाई अड्डों पर दो नयी शुल्क-मुक्त दुकानें और बनायी गयी हैं । भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए आकर्षण/सुविधायें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

3390. श्री एस०एन० सिंह देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान जिन विदेशी कम्पनियों ने अपने पूंजी-आधार का भारतीकरण किया है उनके नाम और संख्या क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): उन 51 विदेशी कम्पनियों की सूची सभा पटल पर रख दी गयी है जिनमें विदेशियों के शेयर अधिक हैं तथा जिन्हें अपने कुछ शेयर भारतीयों को भी बचने की अनुमति दी गयी है ।

विवरण

उन विदेशी कम्पनियों की सूची जिन में विदेशियों के शेयर अधिक हैं तथा जिन्हें अपने पूंजी आधार का भारतीयकरण करने की अनुमति दी गयी है ।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
1.	सीट टायर्स आफ इंडिया लि०
2.	बस्टोवेल इंडिया लि०

3. जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०
4. एटलस कोपको इंडिया लि०
5. ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लि०
6. नीडल इण्डस्ट्रीज इंडिया लि०
7. फिलिप्स इंडिया लि०
8. इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०
9. एल्फ्रेड हर्बर्ट इंडिया लि०
10. जे० स्टोन एण्ड कम्पनी लि०
11. मालिस आफ इंडिया लि०
12. जर्मन रैमैडीस लि०
13. विटकार्प प्राइवेट लि०
14. बाटा इंडिया लि०
15. मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लि०
16. डब्ल्यू०जी० फोर्ज एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लि०
17. गुडईयर इंडिया लि०
18. इंडियन ऐल्यूमिनियम कम्पनी लि०
19. विडीया इंडिया लि०
20. फैन्नर कोककिल लि०
21. गेस्ट कीन विलियम्स लि०
22. इण्टरनेशनल कमवशन इंडिया लि०
23. माकुम टी कम्पनी इंडिया लि०
24. नामडंग टी कम्पनी इंडिया लि०
25. कानसोलीडेटेड नूमैटिक टूल कम्पनी इंडिया लि०
26. ओटिस इलेबेटर कम्पनी इंडिया लि०
27. विलियम गुडएकर ऐण्ड सन्स (इंडिया) लि०
28. ओरिण्टल कारपेट मैनूफैक्र्स (इंडिया) लि०
29. बी०सी०एल० (प्रा०) लि०
30. एथर्टन वैस्ट ऐण्ड कम्पनी लि०
31. टिनप्लैट कम्पनी आफ इंडिया लि०
32. कोल्स क्रेन्स आफ इंडिया लि०
33. डोज ऐण्ड सिमूर (इंडिया) प्रा० लि०
34. सिमसन ऐण्ड मैकानेची लि०
35. जैनसन ऐण्ड निकलसन (इंडिया) लि०
36. जार्ज विल्स ऐण्ड सन्स (इंडिया) लि०
37. एस० क० एफ० बाल वियरिंग कम्पनी प्रा० लि०

(अब इस शफको इंडिया वियरिंग कम्पनी लि०—के नाम से पुकारा जाता है)

38. मूलर ऐण्ड पिप्स इंडिया लि०
39. इंडिया टोबैको कम्पनी लि०

40. ऐसो स्टैंडर्ड रिफाईनिंग कम्पनी आफ इंडिया लि०
41. साइमन कारब्स लि०
42. ट्यूब इन्वैस्टमेंट्स लि०
43. थामसन प्रेस (इंडिया) लि०
44. ए० बोके राबर्टस ऐण्ड कम्पनी (इंडिया) लि०
45. टायरसोल्स कन्सैशनरीस प्रा० लि०
46. ए०सी०ई०सी० इंडिया प्रा०लि०
47. इंडियन टैक ऐण्ड नेल कम्पनी, लि०
48. नेलसन ट्रेडिंग कारपोरेशन प्रा०लि०
49. ब्रिटिश मैटल कारपोरेशन इंडिया (प्रा०)लि०
50. फ्रेंच डाइस ऐण्ड कैमिकल्स इंडिया प्रा०लि०
51. हिन्दुस्तान फेरोडो लि०

पूर्वोत्तर प्रदेश के राज्यों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं

3391. श्री ए०के०एम० इसहाक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों ने हाल ही में पूर्वोत्तर प्रदेश के राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पर्यटक महत्व के स्थानों में अधिक रुचि प्रदर्शित की है;

(ख) क्या सरकार इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सैक्टर में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रबन्ध कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में विदेशियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों के कारण, यह बताना संभव नहीं है कि इस क्षेत्र के राज्यों का भ्रमण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की रूचि बढ़ रही है ।

(ख) और (ग) पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य केवल उक्त क्षेत्र में पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों के हटा लेने के बाद ही शुरु किया जा सकेगा । तथापि, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटकों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। इनमें पर्यटक ब्यूरो की स्थापना तथा आवास एवं परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था भी सम्मिलित है ।

पूर्वोत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

3392. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वोत्तर प्रदेश राज्यों के किन किन स्थानों का सरकार द्वारा केन्द्रीय सैक्टर में विकास किया जाना है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना के विकास के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) दार्जिलिंग में वर्तमान पर्यटक बंगले का विस्तार एवं एक युवा होस्टल को पूरा करने, तथा गोहाटी में एक पर्यटक बंगले एवं जल्दापारा व काजीरंगा में एक एक फारेस्ट लाज के निर्माण का कार्य, जिसे पर्यटन विभाग ने चौथी योजना में प्रारंभ किया था, चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रगति पर है। पिछली रही हुई स्कीमों के लिए 1974–75 के बजट प्राक्कलनों में 17.71 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। पांचवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में प्रारंभ की जाने वाली अन्य स्कीमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम की पांचवीं योजना में सिलीगुड़ी व गोहाटी दोनों में 50 कमरों का एक एक मोटल का निर्माण कार्य प्रारंभ करने, सिलीगुड़ी में एक परिवहन यूनिट की स्थापना करने, कलकत्ता में कर-मुक्त दुकान तथा परिवहन यूनिट का विस्तार करने की योजना है। निगम दमदम (कलकत्ता) में 150 कमरों वाले एयरपोर्ट होटल का भी निर्माण कर रही है जिसे कि चौथी योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। उपरोक्त प्रत्येक स्कीम के लिये प्रस्तावित परिव्यय निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	पांचवीं योजना में व्यवस्था (लाख रुपयों में)
1.	सिलिगुड़ी में मोटल	45.00
2.	गोहाटी में मोटल	45.00
3.	सिलिगुड़ी में परिवहन यूनिट	2.00
4.	कलकत्ता में कर-मुक्त दुकान का विस्तार	10.00
5.	कलकत्ता में परिवहन यूनिट का विस्तार	20.00
6.	दमदम में एयरपोर्ट होटल	113.00*

(*31 मार्च 1974 तक कुल मिलाकर हुआ व्यय 137.00 लाख रुपये)

राजगिर (बिहार) में पर्यटकों के लिए आवासन

3393. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राजगिर में पर्यटकों के लिए कोई आवासन अथवा पर्यटक होस्टल अथवा भारतीय पर्यटन विकास निगम का कोई होटल नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस स्थान का सर्वेक्षण करने और एक समय पर कम से कम 200 व्यक्तियों के लिए उचित आवासन का निर्माण करने का है जिससे शरद् ऋतु में उस स्थान पर जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों और मध्य वर्ग के पर्यटकों को स्थान मिल सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम पटना में 50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पर्यटक स्वागत केन्द्र व मोटल बना रहा है । फिलहाल राजगिर में होटल बनाने का कोई प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है । परन्तु बिहार सरकार के पर्यटन विभाग का राजगिर में एक 60 कमरों वाला पर्यटक बंगला है, जिसका राज्य सरकार उसमें 60 कमरे और जोड़ कर विस्तार करने का विचार कर रही है ।

निधि उपलब्ध होने तथा व्यवहार्यता अध्ययन हो चुकने की स्थिति में केन्द्रीय पर्यटन विभाग का पांचवीं योजना अवधि में 4.25 लाख रुपये की अनुमानित लागत से राजगिर में एक कैफेटीरिया बनाने का प्रस्ताव है ।

पंजाब नैशनल बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा पौंग बांध विस्थापितों में से की गई भर्ती

3394. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों ने वर्ष 1972 और 1973 में पौंग बांध विस्थापितों से अधिकाधिक धन जमा कराने के लिये विशेष कर्मचारियों की भर्ती की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने लोगों की भर्ती की गई और यह भर्ती बैंकों द्वारा किन वेतन-मानों और शर्तों पर की गई;

(ग) क्या इस प्रकार भर्ती किए गए लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें स्थायी पदों पर नियुक्त कर लिया जायेगा;

(घ) क्या उनमें से कुछ की इस बीच छंटनी कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी छंटनी किये जाने के क्या कारण हैं और क्या संबद्ध बैंकों द्वारा इन छंटनीशुदा लोगों को भविष्य में होने वाली भर्ती के समय प्राथमिकता दी जायेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त की गयी रिपोर्टों से यह पता चलता है कि पौंग बांध क्षेत्र के विस्थापितों से जमा की रकमें जुटाने के लिये पंजाब नेशनल बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने निम्नलिखित निर्धारित वेतन और भत्तों के वेतनमान में अस्थायी कर्मचारी रखे थे :

पंजाब नैशनल बैंक	**स्टेट बैंक आफ इण्डिया**
लिपिक =8	क्षेत्र संदेशवाहक=8
अधीनस्थ कर्मचारी=10	(अधीनस्थ कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों पर)

(ग) दोनों बैंकों ने यह सूचना दी है कि इन कर्मचारियों को स्थायी पदों पर रखने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(घ) और (ङ) पंजाब नेशनल बैंक ने यह और बताया है कि जुलाई, 1972 में अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संघ के साथ एक समझौता किया गया था जिसके अनुसार यह बात तय की

गई कि बैंक में अस्थायी लिपिकों को रखने की मौजूदा व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और वर्तमान अस्थायी लिपिकों को भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाये। तदनुसार पौंग बांध क्षेत्र में अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे पात्र लिपिक-कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया था। उपर्युक्त 8 व्यक्तियों में से एक ही व्यक्ति परीक्षा/इंटरव्यू में सफल हो सका। उस के संबंध में स्वीकृति पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है। परन्तु अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं की गई है। जहां तक अधीनस्थ कर्मचारियों का सम्बन्ध है सभी 10 व्यक्तियों कि सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं; परन्तु, खाली पदों तथा नियुक्ति के लिए योग्यता की शर्तों के अनुसार उन्हें अस्थायी पदों पर रखा जा सकता है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया ने यह सूचित किया है कि तीन क्षेत्र संदेशवाहकों को जिस अवधि के लिए नियुक्त किया गया था उसके पूरे होने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। इनमें से पांच अभी भी अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं जब कभी भी इस क्षेत्र की शाखाओं में पद खाली होंगे तो इन क्षेत्र संदेशवाहकों को उस केडर में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में जाने के लिए अनुमति दी जाएगी।

देश में राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या

3395. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के बैंकों में जमा कुल राशि कितनी है;

(ग) गैर-अनुसूचित बैंकों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किस प्रकार का नियंत्रण किया जाता है; और

(घ) गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या कम करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जानकारी अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक, दोनों प्रकार के बैंकों पर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन, अधिनियम 1949 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत नियन्त्रण रखता है।

(घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 42 के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक के लिए कानूनी आवश्यकता यह है कि उस बैंक के पास न्यूनतम चुकता पूंजी तथा प्रारक्षित निधि की रकम 5 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए और उसके बारे में रिजर्व बैंक का यह समाधान होना चाहिए कि बैंक का कारोबार इस ढंग से चलाया जा रहा है जिससे जमाकर्त्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जब सम्बन्धित कानूनी उपबन्धों की आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं तब रिजर्व बैंक आफ इंडिया उनके नामों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने पर विचार करता है।

विवरण

वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणीवार संख्या और उनकी जमा रकमें

बैंकों की श्रेणी	बैंकों की संख्या	रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जून 1974 के अन्तिम शुक्रवार को अन्त: बैंक जमा रकमों को छोड़ कर जमा की रकमें (करोड़ रुपयों में)
(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		
(1) स्टेट बैंक ग्रुप	8	3007.84
(2) राष्ट्रीयकृत बैंक	14	5927.02
(3) विदेशी बैंक	11	796.54
(4) अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	38	919.30
जोड़	71	10650.70
(ख) गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	9	17.67

आयातित माल

3396. श्री शंकरर व सावन्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और जुलाई, 1974 तक आयात किये गये चावल, चीनी सीमेंट, इस्पात और बोरियों का मूल्य कितना है; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इनकी अपने देश में ही कमी है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) 1972-73 तथा 1973-74 (फरवरी, 1974 तक) के दौरान आयात किए गये चावल, चीनी, सीमेंट, लोहा व इस्पात तथा पटसन की बोरियों व टाट के मूल्य आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वस्तु	1972-73	1973-74 अनन्तिम	(फरवरी-1974)
	करोड़ रु०		करोड़ रु०
चावल	11		6
चीनी	—		नगण्य
सीमेंट	—		—
लोहा तथा इस्पात	217		218
पटसन की बोरियां तथा टाट	नगण्य		नगण्य

फरवरी, 74 के बाद के आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) बोरियां भारत में निर्यात की सुस्थापित वस्तुओं में से एक हैं। अन्य वस्तुओं का निर्यात प्रधानत: आयात आवश्यकताओं के भुगतान के लिए करने दिया जाता है जो हाल ही में तेल को कीमतों में वृद्धि के पश्चात बहुत बढ़ गई हैं।

पर्यटन केन्द्रों का विकास

3397. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में किन किन पर्यटन केन्द्रों का और विकास किया जाना है और किन पर्यटन केन्द्रों को नये सिरे से शुरू किया जाना है; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितना धन खर्च होने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) और (ख) पर्यटन से संबंधित पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चौथी योजना में अपनाए गए पर्यटन विकास के ढांचे को चालू रखने का प्रस्ताव किया गया है तथा इसमें पर्यटन के आधारभूत उपादानों के विकास पर विशेष बल दिया गया है; जिसमें भारत को लक्ष्य बनाकर आने वाले पर्यटक यातायात को काफी मात्रा में आकर्षित करने के लिए पर्यावरण का सुधार, तथा अवकाश गृहों एवं पुरातत्विक केन्द्रों का विकास भी सम्मिलित है। उन स्कीमों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे पूंजी निवेश पर तुरन्त लाभांश प्राप्त होगा तथा जिनसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना होगी।

1974-75 के दौरान केवल उन्हीं स्कीमों को पूरा करने के लिए हाथ में लिया जा रहा है जो चौथी योजना से चली आ रही हैं। पीछे से चली आ रही इन स्कीमों के लिए 1974-75 के बजट प्राक्कलनों में 120 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

केरल को वित्तीय सहायता

3398. श्री मुरासोली मारन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में अधिकारियों का एक दल केरल सरकार की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने हेतु केरल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या संविधान के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत ऐसा किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) केवल सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में, राज्य सरकार, योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के बीच अफसरों तथा मंत्रियों के स्तर पर विचार विमर्श किया गया था। राज्य सरकार को यह परामर्श दिया गया था कि वह अपनी वार्षिक आयोजना के 63.26 करोड़ रुपये के व्यय के लिए खर्च में किफायत करके, करों की बकाया रकमों तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की अधिक से अधिक वसूली करके और नये कर लगाकर और अधिक धन जुटायें।

(ग) तथा (घ) राज्यों की अयोजनाओं के लिए साधनों का ठीक ठीक अनुमान लगाने के विचार से केन्द्र और राज्यों के बीच इस तरह का विचार-विमर्श समय-समय पर परस्पर सहमति से किया जाता है और ऐसा करना सभी के हित में होता है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रार्थियों को सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्त करना

3399. श्री ए० एस० कस्तुरे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने उनके मंत्रालय को कहा था कि केन्द्र में अवर सचिव से संयुक्त सचिव तक के पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र अधिकारियों के नाम विशेष रूप से प्रायोजित किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम व्यौरों द्वारा नियंत्रित 'इन्डस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल' के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र अधिकारियों के नामों की उनकी पात्रता के अनुरूप निश्चित स्तरों पर इन नियुक्तियों के लिये सिफारिश की गई है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र अधिकारियों को केन्द्र में विभिन्न प्रवर प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति के अवसरों से वंचित न किया जाये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) सरकार ने सचिवालय के प्रवर पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का चयन क्षेत्र विस्तृत करने का निर्णय किया है । इस निर्णय के अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए सभी केन्द्रीय सेवाओं के उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारियों के दावों पर विचार किया जा रहा है । अतः प्रवर सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिये औद्योगिक प्रबन्ध समूह के उपयुक्त अधिकारियों के नाम भी प्रस्तावित करने का निर्णय किया गया है । औद्योगिक प्रबन्ध समूह के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अधिकारियों के दावों पर भी यथोचित विचार किया जायेगा ।

बिहार में पर्यटक केन्द्रों का विकास

3400. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री बिहार में अहिल्यास्थान और गौतम कुंड का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के प्रस्ताव के बारे में 2 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1421 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहिल्यास्थान, गौतम कुंड, बिसौल, बिस्फी और राजबालीगढ़ के ऐतिहासिक और पर्यटक केन्द्रों में पर्यटन के विकास के संबंध में कोई निर्णय करने के लिए उस पर किये जाने वाले व्यय और विभिन्न रूपों में होने वाली आय का कोई निर्धारण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या पर्यटन के उपरोक्त केन्द्रों के विकास के लिये बिहार राज्य सरकार के साथ कोई सम्पर्क स्थापित किया गया है अथवा किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने इस क्षेत्र में किसी धनविनियोजन के प्रभाव का कोई अध्ययन प्रारंभ नहीं किया

है। फिलहाल पर्यटन विभाग उन्हीं क्षेत्रों में पर्यटन के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिनमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा देश के लिए विदेशी मद्रा अर्जित करने की संभावित क्षमता है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि फिलहाल इन स्थानों का विकास करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जब्त किए गए करेंसी नोट

3401. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अब तक कुल कितनी राशि के करेंसी नोट जब्त किये गये; और

(ख) क्या और करेंसी नोट जब्त करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इससे कहां तक मुद्रास्फीति रुकेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 के अन्तर्गत मजदूरी और वेतन भोगियों के वेतन में होने वाली वृद्धि और महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि की आधी रकम को रोके रखने (इंपाउन्ड) की प्रक्रिया केवल इसी महीने से शुरू हुई है। हालांकि इस उपाय से जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में होने वाली वृद्धि कम हो जायेगी लेकिन इसके अन्तर्गत करेंसी नोटों को जब्त करने का कोई भी विचार नहीं है।

कम काम काज के दिन शुरू होने के समय से 2 अगस्त, 1974 तक जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 214 करोड़ रुपये की कमी कुछ अन्य कारणों से हुई थी।

(ख) कुछ किस्मों की आमदनियों और आमदनी में होने वाली वृद्धियों को कुछ समय के लिए रोके रखने के लिए सरकार द्वारा अब तक अपनाये गये पाय केवल अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 और अनिवार्य जमा योजना आयकर दाता) अध्यादेश, 1974 । इन प्रस्तावों के स्वरूप और इनसे मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव के बारे में 31 जुलाई, 1974 को इस सदन में दिये गये मेरे भाषण में पहले ही बताया जा चुका है।

भारतीय रुई निगम का कार्यकरण

3402. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में भारतीय रूई निगम के कायकरण की जांच की है;

(ख) क्या इस निगम के कुछ बड़े कर्मचारियों ने करोड़ों रुपये की राशि का गोल माल किया है ; और

(ग) क्या इसके लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार ने इस बारे कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) निगम के कार्यकरण की कोई औपचारिक जांच नहीं हुई है।

(ख) अब तक सरकार की जानकारी में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काफी के मूल्य में वृद्धि

3403. श्री वरके जार्ज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काफी के उत्पादकों को काफी के मूल्य में उचित वृद्धि करने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड द्वारा लागू योजनाओं के अनुसार छोटे उत्पादकों को उर्वरकों और कीटनाशक पदार्थों का विक्रय राजसहायता देकर किये जाने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार रोबुस्ता पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) श्रमिकों की मजदूरियों और कुछ अन्तर्निविष्ट साधनों की कीमत में वृद्धि को देखते हुए काफी की पूल बिक्रियों के लिये रिजर्व कीमत, काफी उत्पादन लागत का अध्ययन होने तक, बढ़ाकर 4.25 रु० प्रति प्वाइंट कर दी गई है।

(ख) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका के साथ व्यापार समझौता

3404. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के साथ एक व्यापार सहयोग समझौते पर हाल ही में बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते के अन्तर्गत व्यापार का मुख्य ढांचा क्या होगा और उसके अन्तर्गत कितने व्यापार का आदान-प्रदान किया जायेगा; और

(ग) भारत सरकार के कहने पर इस समझौते में किन किन मुख्य प्रस्तावों को शामिल किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किसी व्यापार सहयोग करार पर वार्ता नहीं हुई है । तथापि, आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में एक भारत अमरीका संयुक्त आयोग स्थापित करने की प्रस्थापना है जो अन्य बातों के साथ साथ, व्यापार के क्षेत्र में अधिक घनिष्ठ सहयोग हेतु क्षेत्रों का पता लगाएगा और उपायों का सुझाव देगा ।

ऋणों पर रोक लगाने सम्बन्धी नीति में छूट देने के बारे में भारतीय वाणिज्य संघ, कलकत्ता द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

3405. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य संघ, कलकत्ता द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया था जिसमें ऋणों पर रोक लगाने सम्बन्धी नीति में कुछ छूट देने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में क्या क्या बातें लिखी गई हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य संघ ने भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार को भेजे गये अपने 18 जुलाई 1974 के अभ्यावेदन में और बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया था कि उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को उनकी जरूरतों के अनुसार पूरा पूरा ऋण दिया जाए, नये एककों और निर्माणावस्था की नई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त ऋण दिया जाए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हुण्डी बाजार की नई योजना के अन्तर्गत फिर से चुनाई गई हुण्डियों की बकाया रकमों को कम करने के लिए किए गये फैसले पर फिर से विचार किया जाए और लोगों को बचत के लिए प्रेरित करने के लिए जमा कराई जाने वाली रकमों की ब्याज दर बढ़ाई जाए ।

(ग) सरकार का यह विचार है कि मौजूदा नीति से, जिसमें एक ओर तो ऋण वितरित करने पर रोक लगाना तथा दूसरी ओर उत्पादन, वितरण, नये उद्यमों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और निर्यात की आवश्यकताओं के अनुसार काफी ऋण देने की सुनिश्चित व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है, इससे मौजूदा स्थिति की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति हो जाती है और यह जारी रहनी चाहिए । जहां तक जमा कराई जाने वाली रकमों के ब्याज का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 जुलाई, 1974 से कुछ श्रेणियों की जमा रकमों पर ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं ।

देश में निर्मित ट्रैक्टरों पर उत्पादनशुल्क

3406. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्री द्वारा देश में निर्मित ट्रैक्टरों पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क को खत्म करने अथवा कम करने के लिए कोई प्रस्ताव किया गया था ;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर०गणेश) : (क) से (ग) देशी ट्रैक्टरों पर उत्पादन शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में कृषि मंत्रालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसका कृषि मंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया था । यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि इस प्रकार की छूट देना न्यायसंगत नहीं था ।

श्रीराम नन्दराम और नन्दराम झाबुरमल के आयकर का निर्धारण

3407. श्री अनादि चरण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीराम नन्दराम और नन्दराम झाबुरमल समूह पर करों के निर्धारण की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल के सेन्ट्रल सर्किल कमिश्नर द्वारा विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) क्या इस समूह के झाबुरमल अग्रवाल ने अपने परिवार सहित हाल ही में अपनी आस्तियों को विदेशों में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से पूरे विश्व का दौरा किया था; और

(ग) करों का निर्धारण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उसके विश्व दौरे से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) श्री झाबुरमल अग्रवाल अपनी पत्नी, पुत्री, पुत्र, साले, साले की पत्नी और मामा के साथ यूरोपीय देशों की यात्रा पर गये थे। वे 2 जून 1974 को बम्बई से हवाई जहाज की उड़ान सं० ए० आइ-115 से गये थे।

जहां तक परिसम्पतियों को विदेशों में अन्तरित करने और कर-निर्धारण की प्रक्रिया में विलम्ब का प्रश्न है, तत्सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के निष्पत्ति बजट

3408. श्री अरविंद एम० पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग अपने कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को दिखाते हुए निष्पत्ति बजटों को तैयार नहीं कर रहे हैं; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार संबंधित मंत्रालयों/विभागों को निष्पत्ति बजट तैयार करने हेतु कहने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 14 मंत्रालयों/विभागों ने 1974-75 के लिए परफार्मेंस बजट बनाया है जिसमें उन्होंने अपने-अपने कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया है।

(ख) विकास के कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी मंत्रालयों को 1975-76 के लिए परफार्मेंस बजट तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।

वनस्पति संकट

3409. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों ने वनस्पति संकट के लिये राज्य व्यापार निगम को जिम्मेदार ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) कुछ समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं। परन्तु जांच किये जाने पर इन्हें सिद्ध नहीं किया गया।

अयस्कों का निर्यात

3410. श्री के० लकप्पा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर मिनरल्ज लिमिटेड को अयस्कों का सीधे निर्यात करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम इसके निर्यात में बाधा डाल रहा है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग) मैसूर मिनरल्ज लि० द्वारा अयस्क के निर्यात करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है सिवाय इसके कि उन्हें वे खनिज, जो खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत हैं, उपरोक्त निगम के माध्यम से निर्यात करने पड़ते हैं।

Complaints received against Regional Office of L.I.C. at Bhopal

3411. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints in regard to irregularities at Bhopal, Regional Office of L.I.C; and

(b) if so, the nature thereof and action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) & (b) a letter has recently been received from the Hon'ble M. P. in which he has referred to certain irregularities being committed by an officer of this Division. A report is being obtained from the L. I. C.

जमाखोरी से पकड़ा गया अनाज तथा अन्य वस्तुएं

3412. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मंत्री जमाखोरों से पकड़ी गई वस्तुओं को सुरक्षित ढंग से रखने के लिए प्रबन्ध करने के बारे में 26 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 698 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 और 1974 में भारतीय रक्षा अधिनियम तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों से राज्यवार अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं कितनी मात्रा में पकड़ी गई ;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि पकड़ी गई वस्तुओं की मात्रा बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापे

3413. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री "आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापे" के बारे में 26 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मामले पर अब तक क्या विशेष कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उन कम्पनियों के कुछ कर्मचारी जिन पर छापे मारे गये थे मारुति लिमिटेड हरियाणा के साथ किसी प्रकार से सम्बद्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जिस किसी मामले में बहुमूल्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं, उनमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत आदेश जारी करने की कार्यवाही शुरू की गई है और इन मामलों में आगे जांच पड़ताल जारी है ।

(ख) तथा (ग) बहुत सी कम्पनियों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं । उनके कार्मिक दल में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हैं, और यह पता लगाने में काफी समय लगेगा तथा काफी प्रयत्न करना पड़ेगा कि उनमें से किस किस ने मारुति लिमिटेड के शेयर ले रखे हैं । अभी तक श्री बी० सी०

जिन्दल का एक मामला सरकार की जानकारी में आया है, जिनके घर की तलाशी इस अवधि में ली गई थी। श्री जिन्दल 14-10-1971 से 19-10-1972 तक की अवधि में मैसर्ज मारुति लिमिटेड के एक निदेशक थे।

Export of Lichi and Bananas

3414. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which lichis and bananas are exported; and

(b) the amount of foreign exchange earned from export of these fruits during 1973-74 ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhaya): (a) & (b) The item "Lichi" is not separately classified in the "Revised Indian Trade Classification" and as such information about its export is not available. Bananas are mainly exported to Gulf Countries, Nepal, and U. K. Bananas exported during 1973-74 (upto Jan.'74) has been of the value of Rs. 15,000 only.

Complaint against Danapur Branch of State Bank

3415. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether written complaint against the Danapur Branch of the State Bank has been sent to the agent and the Regional Manager of the bank on the 24th April, 1974; and

(b) if so, the nature of the complaint and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) & (b) The State Bank of India has reported that, on receipt of a complaint making certain allegations against the Head Cashier and other employees of its Danapur branch, the Agent of that branch had verbally cautioned the officials concerned. The State Bank of India has further reported that its Patna Local Head Office also receied, early in August 1974, a copy of the same complaint which had been forwarded by Shri Ramavatar Shastri. The main allegation in the complaint was that these employees had been harassing the persons who came to the bank for transacting business and had also been demanding money from them. The State Bank of India has further reported that its Patna Local Head Office has entrusted the complaint to the Chief Vigilance Officer for investigation.

Godown of M.M. T. C. in Jaipur

3416. Shri M. C .Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to open a godown of Minerals and Metals Trading Corporation in Jaipur;

(b) whether any officer of the Corporation has visited Jaipur for the purpose; and

(c) if so, when and the broad outlines of the report given by him ?

The Minister of Commerce (Porf. D. P. Chattopadhyaya): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) An officer of M.M.T.C. visited Jaipur in May, 1974. In the light of assessment of the requirements of non-ferrous metals, steel etc. of the units in and around Jaipur, it is proposed to open a depot in Jaipur in due course of time.

National Tourism Board

3417. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the date on which the National Tourism Board was set up together with its composition and functions;

(b) whether the Board has not so far been delegated any executive and financial powers; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which this will be done ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi): (a) National Tourism Board was constituted on 25th May, 1972. Minister for Toursim & Civil Aviation is the Chairman of the Board and the Minister of State for Tourism & Civil Aviation its Vice-Chairman. The Board has 10 official and 6 non-official members. The Board was set up in the background of increasing activity in the field of Tourism and the need to mobilise governmental and non-governmental talent so as to suggest means for planned development of tourism. Its functions are, therefore, entirely advisory and relate to discussion and examination of plans concerned with the development and promotion of tourism.

(b) Since the Board is an advisory body, it has not been delegated any executive and financial powers.

(c) Does not arise.

नकली रेशम बुनाई उद्योग

3418. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली रेशम उद्योग के सरकार से यह मांग की है कि कृत्रिम रेशा धागे पर नियंत्रण लागू किया जाये तथा इसका वितरण उद्योग को इसकी एसोसियेशन के द्वारा कराया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि ऐसा निर्णय लिया गया तो इसके परिणामस्वरूप बुनकरों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सरकार उपयुक्त कानूनी उपायों पर विचार कर रही है । इसका उद्देश्य बुनकरों के लिए न्यायोचित कीमतों पर नकली रेशम के धागे की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करना है ।

पूर्व योरोप के देशों को व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल

3419. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री वेकारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 के अन्तिम सप्ताह में और जून, 1974 के प्रथम सप्ताह में वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री ए० सी० जार्ज के नेतृत्व में भारत के एक सरकारी व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व योरोप के कुछ देशों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया था और उनके द्वारा की गई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) हंगरी, चकोस्लोवाकिया और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के विदेश व्यापार उपमंडियों द्वारा दिये गये निमन्त्रण पर वाणिज्य उपमंत्री श्री ए० सी० जार्ज दो अधिकारियों के साथ 23 मई से 1 जून 1974 तक इन देशों की यात्रा पर गये ।

प्रतिनिधिमंडल ने इस यात्रा के अवसर पर इन देशों के साथ चालू वर्ष की व्यापार योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में भी समीक्षा की ।

इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार की दीर्घवधि संभाव्यताओं और व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों के आगे विस्तार के बारे में भी बातचीत की गई ।

ऋण देने पर लगाए गए प्रतिबन्ध में ढील देने के बारे में इण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा किया गया अनुरोध

3420. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि ऋण देने पर लगाये गये प्रतिबन्ध में तुरन्त ढील दी जाये और बैंकों द्वारा उद्योगों को अग्रिम राशि दिये जाने की अनुमति दी जाये ताकि गन्ना उत्पादकों को भुगतान किया जा सके जो बहुत ज्यादा जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हां ।

(ख) चीनी के लिए दिये जाने वाले ऋण रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लागू चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों के अधीन रहते हैं । इन उपायों के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया है कि अलग-अलग पार्टियों को दिये जा सकने वाले ऋणों की अधिकतम सीमा कितनी होगी, किस न्यूनतम दर पर ब्याज लगाया जायेगा और न्यूनतम मार्जिन की दर क्या होगी । चीनी उद्योग के लिये ऋण व्यवस्था करने के काम में तेजी लाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने नवम्बर, 1973 में बैंकों को यह अनुमति दे दी थी कि वे रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही चीनी की मिलों के लिए नियमित सीमाओं के अन्तर्गत पैराई के पहले के दो मौसमों में मंजूर की गई रकमों की अधिकतम बकाया राशि के बराबर चीनी के स्टाक पर 1973-74 के मौसम के लिये ऋणों की रकम मंजूर कर दें । बैंको को यह भी अनुमति दी गई थी कि वे जहां आवश्यक समझें, रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति लेकर ऊंची रकमों के ऋण भी मंजूर करें । बैंकों को यह अनुमति भी दी गई थी कि वे हुण्डी बाजार की नई योजना के अनुसार, चीनी मिलों को दी गई कुल नकद ऋण सुविधा के अन्तर्गत चीनी मिलों के लिए हुण्डियां भुनाने की उचित सीमाएं मंजूर कर सकते हैं । इसके अलावा गन्ना उत्पादकों को उनकी देय रकमों का तुरन्त भुगतान कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बैंको को दो अलग अलग खाते अर्थात "गन्ना मूल्य देय खाता" और "सामान्य खाता" रखने के लिए कहा गया है, ताकि चीनी मिलों द्वारा ली गई रकमों को अलग अलग किया जा सके; क्योंकि गन्ना मूल्य देय खाता से ली गई रकमों से केवल गन्ना सप्लाई करने वालों को ही अदायगी की जाती है ।

अखिल भारतीय कृत्रिम रेशम निर्माता एसोसिएशन द्वारा कारखानों का बंद किया जाना

3421. श्री झारखण्डे राय : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कृत्रिम रेशम निर्माता एसोसिएशन ने अपने कारखाने बन्द करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) कृत्रिम रेशम निर्माता एसोसिएशन की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने सरकार को सूचित किया था कि 12-7-74 को अखिल भारतीय व्यापक हड़ताल का आह्वान किया गया है और वे उस दिन जुलूस निकालेंगे। 12-7-74 को वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के सामने समिति के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने वस्त्र आयुक्त को एक ज्ञापन दिया जिसमें उनकी निम्नलिखित शिकायतें रखी गई थी :—

(1) हालांकि टैरिफ आयोग ने 1970 में सिफारिश की थी लेकिन वह अभी तक अमल में नहीं लाई गई ;

(2) विस्कोज फिलामेंटयार्न के कतिनों और बुनकरों के बीच हुआ स्वैच्छिक समझौता 31-12-73 को समाप्त हो चुका है लेकिन और आगे कोई समझौता नहीं हुआ;

(3) सरकार कितनों को खुलेआम अवप्रेरित करती रही है;

(4) नायलन यार्न की कीमतों और वितरण से संबंधित स्वैच्छिक समझौता एक तरफा है;

(ख) तथा (ग) विस्कोज रेशे/फिलामेंट यार्न की उचित बिक्री कीमतों के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशें कच्चे माल बिजली, ईंधन तथा मजूरी और श्रम की कीमतें बढ़ जाने से पुरानी पड़ गई है। सिफारिशों को अद्यतन बनाया जा रहा है और इन अद्यतन कीमतें लागू करने के लिये शीघ्र ही उपयुक्त संविधिक उपाय किए जा रहे हैं।

शत्रु सम्पत्तियों के मामले को बंगला देश के साथ निपटाना

3422. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने के पश्चात उसके साथ शत्रु संपत्तियों के मामले पर बातचीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ने शत्रु संपत्तियों के लिये अनुग्रह-पूर्वक क्षतिपूर्ति के विचाराधीन आवेदन पत्रों की संवीक्षा के लिए गठित समिति के सदस्य कौन कौन हैं;

(घ) मंजूर किए जा चुके आवेदन पत्रों और विचाराधीन आवेदन पत्रों की नवीनतम संख्या क्या है;

(ङ) क्या उक्त आवेदन पत्रों के निपटान के लिये कोई समय अवधि नियत की गई है;

(च) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में 'शत्रु संपत्तियों' के लिए अनुग्रह-पूर्वक क्षतिपूर्ति देने हेतु नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ज) क्या कलकत्ता में स्थापित संवीक्षा समिति के स्थान के बारे में समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे दावेदारों के लिये, जो पर्याप्त लिखित साक्ष्य प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ है, इस प्रकार के दावों की शीघ्रपूर्वक जांच पड़ताल करने के लिये एक पैनल गठित किया गया जिसमें ये शामिल हैं (1) शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, बम्बई (2) औद्योगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता के एक जज और (3) पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता का भू-अभिलेख अधिकारी (सेवा निवृत्त)।

(घ) पैनल द्वारा अभी तक 143 दावों की संवीक्षा की गई है और भूमि तथा भवनों से संबंधित लगभग 1100 दावे पैनल के विचार के लिये लम्बित पड़े हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) तथा (छ) जी हां, लगभग 120 नये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(ज) तथा (झ) जी नहीं। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा प्रत्येक दावेदार से कहा गया है कि वे अपने दावों की पुष्टि के लिये समक्ष्य तथा अपने गवाह पैनल के समक्ष पेश करें।

सरकारी व्यय में मितव्ययिता

3423. श्री मार्त्तण्ड सिंह :
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी–मई, 1974 की अवधि के दौरान सरकारी व्यय में कोई मितव्ययिता बरती गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा व्यय के प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कितना धन बचाया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—8266/74]**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

3424. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने के बारे में सभी राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार किया है;

(ख) यदि हां, तो पत्र व्यवहार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को भत्ता राज्य सरकारों द्वारा मंजूरी दिये जाने पर दिया जायेगा और यदि हां, तो क्या ऐसा पहले भी किया गया है और यदि नहीं तो अब उस प्रथा का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 1974 से देय अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित आदेशों को जारी करने से पूर्व, राज्य सरकारों को प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करा दिया गया था।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की मंजूरी देने के बारे में राज्य सरकारों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण देने पर लगाये गये प्रतिबन्ध का छोटे उद्यमकर्ताओं पर प्रभाव

3425. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा छोटे उद्यमकर्ताओं को ऋण देने पर लगाये गये प्रतिबन्ध का उनके विकास पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या आल इंडिया मिल्स संगठन की लघु तथा सहायक उद्योग परिषद् के चैयरमैन ने इस संबंध में उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त प्रतिबन्ध में ढील देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) कुछ हफ्ते पहले सरकार को अखिल भारतीय निर्माता संगठन, नयी दिल्ली की लघु उद्योग प्रशाखा के अध्यक्ष से एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक द्वारा ऋण की सीमाओं को 12 जुलाई 1974 को लागू सीमाओं तक सीमित किये जाने का उल्लेख किया था । उन्होंने यह मत व्यक्त किया था कि इससे लघु उद्योग क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा । उनका सुझाव यह था कि यदि ऋण की राशि को इस तरह सीमित करना अनिवार्य था तो उसे तीन वर्षों और उससे अधिक की अवधि में फैलाकर किया जाना चाहिए और यह पाबन्दी नये आवेदकों पर लागू नहीं होनी चाहिए ।

भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया है कि नीति के तौर पर बैंक के कार्यालय ने विभिन्न मंडलों के प्रबन्धकों को यह परामर्श किया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके मंडल में ऋणों की कुल रकम 12 जुलाई के स्तर से अधिक न हो । इसका उद्देश्य यह था कि कुल मिला कर मंडल स्तर पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच ऋण की रकमों का समायोजन उसी तरह किया जाए जिस तरह एक खाते से दूसरे खाते के बीच किया जाता है । इसका आशय यह नहीं था कि प्रत्येक खाते पर एक मुश्त पाबन्दी लगायी जाये । जब केन्द्रीय कार्यालय को यह बात मालूम हुई कि जो हिदायतें दी गयी हैं उनका कुछ कार्यालयों में सही-अर्थ नहीं लगाया गया है तब तत्काल ही उक्त नीति की व्याख्या करते हुए व्यापक रूप से स्पष्टीकरण जारी कर दिये गये थे ।

भारतीय स्टेट बैंक ने यह और सूचित किया है कि लघु उद्योगों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) जिन छोटे लेनदारों के लिए 2 लाख रुपये तक की सीमायें मंजूर की गयी हैं उनके खातों पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगायी गयी है ।

(2) 2 लाख और 10 लाख रुपये के बीच की ऋण सीमाओं के संबंध में यह हिदायतें दी गयी हैं कि ऋण के लिये प्राप्त अनुरोधों की कड़ी छान-बीन की जाये ।

(3) लघु उद्योग के क्षेत्र में जिन बड़े लेनदारों के लिये 10 लाख रुपयों से अधिक की सीमा तय की गयी है वे वास्तव में मध्यम दर्जे के उद्योग के अन्तर्गत आते हैं ।

इन लेनदारों के संबंध में ये हिदायतें दी गयी हैं कि जहां तक संभव हो उन्हें नये ऋण न दिये जायें। इन लेनदारों के संबंध में भी विशेष मामलों पर विचार किया जा सकता है और इन पर कोई एक मुश्त पाबन्दी नहीं लगायी गयी है।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना

3426. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कितनी नई शाखायें खोली गई; और

(ख) इन बैंकों द्वारा उस राज्य में इतनी कम शाखायें खोले जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकरण के बाद 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, गुजरात में विशेष रूप से उसके ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जैसा कि अनुबन्ध में दिये गए आंकड़ों से पता चल जाएगा अपनी शाखाओं का काफी विस्तार किया है।

(ख) सवाल ही नहीं होता।

विवरण

गुजरात में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में वृद्धि

		19 जुलाई, 1969 को					30 जून, 1974 को					30 जून, 1974 से 19 जून, 1969 तक की वृद्धि का प्रतिशत				
	बैंक समूह	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	महानगरी	जोड़	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	महानगरी	जोड़	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	महानगरी	जोड़
1	स्टेट बैंक समूह	78	93	17	17	205	139	133	40	43	355	78.2	48.0	135,3	152.9	73.2
2	राष्ट्रीयकृत बैंक	155	195	101	98	549	438	312	176	144	1070	182.6	60.0	74.3	46.9	94.9
3	अन्य बैंक	—	—	—	4	4	—	—	3	8	11	—	—	—	100.0	175.0
8	जोड़	233	288	118	119	758	577	445	219	195	1436	147.6	54.5	85.6	63.9	89.4

चाय कम्पनियों द्वारा आयकर का अपवंचन

3427. श्री पी० गंगादेव :

श्री अनादि चरण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में चाय भण्डारक (टी वेयरहाउसमेन) और चाय भण्डारण कम्पनियां (टी वेयरहाउसिंग कम्पनियां) वास्तविक आय अथवा लाभ का 20 प्रतिशत भाग लेखों में दिखा कर आयकर का अपवंचन करती रही हैं;

(ख) क्या इसके कारण बहुत सी कम्पनियां समय समय पर प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन करती रही हैं; और

(ग) कलकत्ता में स्थित चाय भण्डारण कम्पनियों की संख्या एवं नाम क्या हैं और उन्होंने गत तीन वर्षों में कितने कर अदा किये और उपरोक्त अवधि में उनके द्वारा कितने चाय 'चेस्ट' हैण्डल किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एक्सचेंज नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कदाचारों को रोकने के लिए कार्यवाही

3428. श्री के० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एक्सचेंज नियंत्रण विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा विदेशी मुद्रा के लेन-देन में की गई धोखा-धड़ी को रोकने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) गत तीन वर्षों में इस संबध में कितनी गिरफ्तारियां की गई; और

(ग) ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं ।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) एक्सचेंज नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली धोखा-धड़ी की रोकथाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो नहीं बल्कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया कर रहा है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो केवल अपराध हो जाने के बाद ही मामले की जांच पड़ताल करता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में एक गिरफ्तारी की गयी है ।

(ग) जांच के लिये दो मामले बकाया हैं ।

योजना तथा गैर-योजना व्यय की जांच करने के लिए अध्ययन दल की नियुक्ति

3429. श्री पी०के० देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बचत करने को ध्यान में रखते हुए योजना तथा गैर-योजना व्यय की जांच करने हेतु अध्ययन दल की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के निष्कर्ष क्या हैं तथा अध्ययन दलों द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने सचिवों के दो दलों को सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के 1974–75 के 'आयोजनागत' और 'गैर-आयोजनागत' बजटों की समीक्षा करने के लिये कहा था ताकि मुद्रा के मौजूदा फैलाव की स्थिति में वे सरकारी खर्चे में यथासंभव किफायत करने के बारे में सुझाव दे सकें ।

(ख) इन दलों की रिपोर्टों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार के 'आयोजनागत' और 'गैर-आयोजनागत', बजटों में लगभग 200 करोड़ रुपये की कटौती की जा रही है। लेकिन, केन्द्रीय आयोजना के मूल क्षेत्रों की कुछ अनिवार्य योजनाओं के लिये कुल मिलाकर लगभग 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त रकम की आवश्यकता होगी जिसके विषय में मूल्यों के बढ़ जाने के कारण बजट तैयार करते समय कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका था। खर्चों में और आगे कमी करने के लिये और जांच की जा रही है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटक सुविधाओं में सुधार करने के बारे में प्रस्ताव

3430. श्री मोहम्मद शरीफ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 में उन्हें क्या नई सुविधायें प्रदान की जायेंगी तथा उनके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य स्कीमों के अलावा होटलों, मोटलों के निर्माण, होटलों तथा यात्री लाजों के नवीकरण तथा विस्तार और परिवहन यूनिटों की स्थापना एवं विस्तार के लिए 1974-75 के लिए निगम के बजट अनुमानों में 400 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था का स्कीमवार विभाजन दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-8267/74]**

(ग) 1974-75 के दौरान पूरी होने वाली नई प्रायोजनाओं से 15 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है।

अखबारी कागज का आयात

3431. श्री पी० गंगादेव :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से अखबारी कागज का आयात करने के लिये हाल ही में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान कितना अखबारी कागज आयात किया जायेगा ?

वणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) अखबारी कागज के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम ने 1-4-74 से पांच संविदायें संपन्न की हैं।

(ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार लगभग 1.5 लाख मे० टन।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से खनिजों का निर्यात

3432. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से और अधिक खनिजों का निर्यात करने का है; और

(ख) इस समय देश में किन-किन खनिजों का निर्यात गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार की यह नीति है कि देश के आयात तथा निर्यात व्यापार में राज्य अभिकरणों के योगदान को बढ़ाया जाए तथा तदनुसार सरकार मार्गीकरण के लिये विभिन्न वस्तुओं की उपयुक्तता के सम्बंध में उनका अध्ययन करती रही है और जैसे ही जब संभव पाया जायेगा, खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से और खनिजों को मार्गीकृत करेगी ।

(ख) जिन महत्वपूर्ण छोटे खनिजों का निर्यात गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा करने दिया जाता है, उनमें कुछ ये हैं :—वेराइट्रिस, बाक्साइट, बेंटोनाइट/क्रोम अयस्क तथा सांद्रण, फेल्स-पार, जिप्सम, काइअनाइट, मैगनेटाइट, स्टीयटाइट और ग्रेनाइट आदि ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच 15 जून से 10 अगस्त, 1974 के बीच हुआ पत्र-व्यवहार

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरदार स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री, के श्री अजीज अहमद, रक्षा तथा विदेश रा य मंत्री, पाकिस्तान सरकार, को दिनांक 15 जून, 1974 के पत्र की एक प्रति ।

(2) श्री अजीज अहमद, रक्षा तथा विदेश राज्य मंत्री, पाकिस्तान सरकार, के सरदार स्वर्णसिंह, विदेश मंत्री, भारत सरकार, को दिनांक 9 जुलाई, 1974 के पत्र की एक प्रति ।

(3) सरदार स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री के श्री अजीज अहमद, रक्षा तथा विदेश राज्य मंत्री, पाकिस्तान सरकार, को दिनांक, 2 अगस्त, 1974 के पत्र की एक प्रति ।

(4) श्री अजीज अहमद, रक्षा तथा विदेश राज्य मंत्री, पाकिस्तान सरकार, के सरदार स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री, भारत सरकार को दिनांक 10 अगस्त, 1974 के पत्र की एक प्रति ।

(5) सरदार स्वर्णसिंह, विदेश मंत्री के श्री अजीज अहमद, रक्षा तथा विदेश राज्य मंत्री पाकिस्तान सरकार, को दिनांक 20 अगस्त, 1974 के पत्र की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०–8258/74]

निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०–8259/74**]

राज्य सभा से संदेश
Messages from Rajya Sabha

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है।

(एक) कि राज्य सभा 19 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 1974 से, जो लोक सभा द्वारा 7 अगस्त, 1974 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि राज्य सभा 22 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1974 से जो लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 1974 को पास किया गया था बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 22 अगस्त, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके द्वारा बालक दत्तक विधेयक, 1972 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 92वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाया गया है।

विधेयक पर अनुमति
Assent to Bill

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1974 सभा पटल पर रखता हूं :

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1974-75
Supplementary Demands for Grants (General), 1974-75

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1974–75 के बजट (सामान्य) संबंधी अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
Business of the House

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं 26 अगस्त, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित सरकारी कार्य लिये जाने की घोषणा करता हूं :—

(1) संविधान (34वां संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार तथा पास करना ।

(2) शनिवार 24 अगस्त, 1974 की कार्यवाही से शेष सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार करना ।

(3) (क) एलकोंक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार तथा पास करना ।

(ख) प्रैस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में विचार तथा पास करना ।

(ग) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार तथा पास करना ।

(4) (क) वर्ष 1974–75 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(ख) वर्ष 1974–75 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (गुजरात) पर चर्चा तथा मतदान ।

(ग) वर्ष 1974–75 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (पाण्डिचेरी) पर चर्चा तथा मतदान ।

(घ) वर्ष 1974–75 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(5) तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 पर आगे विचार करना तथा पास करना ।

Mr. Speaker : Earlier I gave the permission to one or two members by mistake ... Formerly, the Calling Attention used to be for 10-15 minutes. It was the rule that a member can ask the question; but he cannot make a speech.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इसीलिए हमने नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाने बन्द कर दिए हैं (व्यवधान) ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Now the members have become more alert and active.

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब श्री संजीव रेड्डी अध्यक्ष थे, तब ध्यान आकर्षण सूचना में दस नाम तक शामिल किये गये थे । इसके बाद हम पांच नाम शामिल करने के लिये सहमत हुए । अब हम इस अवसर से भी क्यों वंचित रह जायें **(व्यवधान)** ।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : तमिलनाडु में गत 15 अगस्त, 1974 से पूर्व फिल्म उद्योग में गम्भीर संकट आ गया है । तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण केन्द्र है । राज्य सरकार ने प्रदर्शन कर में 10 गुना से 12 गुना वृद्धि कर फिल्म उद्योग में अभूतपूर्व संकट पैदा किया है ।

15 अगस्त, 1974 से लगभग 1500–2000 सिनेमाघर बन्द हो गये हैं। लगभग 500 फिल्म वितरकों ने अपना व्यापार बन्द कर दिया है और इस उद्योग में लगे 2 लाख से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की आशंका हो गई है। केन्द्रीय सरकार तथा माननीय मंत्री के मानवता के आधार पर फिल्म निर्माताओं फिल्म वितरकों और थियेटरों के मालिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिये। यदि वर्तमान संकट को रोका नहीं गया तो राज्य में रोजगार की स्थिति बहुत गम्भीर हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य के फिल्म उद्योग की रक्षा करनी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) हम चाहते हैं कि रेल मंत्री रेल कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में वक्तव्य दें तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री एयर इंडिया के विमान चालकों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य दें।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों द्वारा एक नागा युवती से किये गये बलात्कार के बारे में मेरे पास कोहिमा के उपायुक्त के राजनयिक सहायक की हस्ताक्षर युक्त फाटोस्टैट प्रति है। मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री से एक वक्तव्य देने का अनुरोध करुंगा। माननीय गृह मंत्री केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों को संरक्षण दे रहे हैं।

Shri Janeswer Mishra (Allahabad): There has been a press report that the poor people in Osmanabad Talluka are digging the graves and are doing business in bones. The matter relates directly to the Home Ministry. The Home Minister should make a statement in this regard sometime next week.

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : पंजाब विधान सभा सदस्य और स्टेट ट्रक आपरेटरस यूनियन के प्रधान श्री दिलबाग सिंह ने पटियाला जिले में लोहारू के निकट हरियाना क्षेत्र में लगभग 1500 ट्रक रोके जाने पर प्रधान मंत्री से तीव्र विरोध प्रकट किया है। इन ट्रकों को लगभग सुबह 10 बजे रोका गया था और इसके बाद पंजाब में रजिस्टर किसी भी ट्रक को इस स्थान से आगे नहीं जाने दिया गया। गृह मंत्री को इस समय इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए अन्यथा दोनों राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न होने की संभावना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं नियम 193 के अन्तर्गत विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। बांकुरा और पुरलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में चावल 4 रुपये किलो बिक रहा है। वहां भूख से 50 व्यक्तियों के मरने का समाचार है। कलकत्ते के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार से स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी कि सांविधिक राशन क्षेत्रों में चावल के कोटे में 250 ग्राम की कटौती की जायेगी। मिट्टी के तेल की एक बोतल के लिये हजारों व्यक्तियों को लाइन में खड़ा देखा जा सकता है। माननीय मंत्री को विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति और विभिन्न राज्यों की मिट्टी के तेल की सप्लाई के बारे में चर्चा की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्री एल० एन० मिश्र द्वारा 1972 के चनाव में किये गये कदाचार के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह चुनाव से संबंधित मामला है। इसके लिये चुनाव आयोग है और ऐसे मामलों को सभा में न उठाने के बारे में अनेक विनिर्णय दिये जा चुके हैं। आप इस प्रकार मंत्री महोदय के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव नहीं ला सकते। आप इस बारे में नियमित प्रक्रिया का पालन करें।

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के दस चैक जे०के० सिन्थेटिक कम्पनी, कानपुर द्वारा जारी किये गये हैं (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री इस बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध किया जाना चाहिये कि वह यह बताये कि क्या यह आरोप सच हैं अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस मामले में नोटिस देना चाहिए और यह मामला नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत उठाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यहां भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण दिया जा रहा है । भ्रष्ट व्यक्ति यहां सर्वोपरि हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ।

मैंने इस बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि श्री एल०एन० मिश्र एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और प्रधान मंत्री उनको संरक्षण देने के लिये विद्यमान हैं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर आगामी सप्ताह विचार करने की अनुमति दे जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें । मैं आपको आगे बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । इस संबंध में नियमित निन्दा प्रस्ताव लाया जाना चाहिये । अचानक ही माननीय सदस्य उठ पड़ते हैं और आरोप लगाना आरम्भ कर देते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बारे में 22 दिन पूर्व नोटिस दिया गया था ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I want to know whether the Government have the right of not taking any action on the motion brought against some Minister ?

अध्यक्ष महोदय : आपको हर बार इस तरह उठना नहीं चाहिये । आप यह पूछ सकते हैं कि इस मामले में कितना समय लगेगा ? यदि आप किसी मामले में जांच की बात करते हैं तो आप जांच की प्रतीक्षा करें अथवा आप उस बारे में उत्तर की प्रतीक्षा करें अथवा उस मामले के उत्तर में विलम्ब होने की शिकायत करें । इस संबंध में किसी की निन्दा करना अनुचित है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि हम मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं तो क्या सरकार उस संबंध में अगले दिन जानकारी नहीं देगी ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे आरोप लिखित दस्तावेजों पर आधारित हैं । उक्त सब आरोप कपूर आयोग के प्रतिवेदन में हैं ।

श्री समर गुह : एवरीमैन साप्ताहिक में चैक की फोटोस्टैट कापी के साथ एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि श्री जगन्नाथ मिश्र ने श्री एल०एन० मिश्र की ओर से...

अध्यक्ष महोदय : यह आरोप एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हैं, जो सदन में उपस्थित नहीं है ।

श्री समर गुह : कानपुर के मैसर्ज जे० के० सिन्थैटिक्स द्वारा कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल तथा 9 अन्य प्रिंसिपलों को 25,000 रुपये के चैक भेजे गये थे ताकि वे चुनाव में श्री मिश्र की सहायता कर सकें । परन्तु श्री राम विनोद सिंह ने चैक वापस भेज दिया । उसकी रसीद भी मौजूद है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि अगले सप्ताह खनन तथा निर्यात कार्यों के दुरुपयोग और खान तथा धातु व्यापार निगम के कृत्यों के मामले को कार्यसूची में रखा जाए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chhatra) : I suggest that discussion should be held on the affairs of the Indian Institute of Foreign Trade. Employees are resorting to relay fast since 14th August.

Shri Chandika Prasad (Balia): Sir, I request the hon. Minister, through you, to give a statement on the conditions of the agricultural labourers in U.P. particularly in Balia.

Atrocities are being committed on Harijans there. Discussion should also be held in regard to the atrocities on Harijans.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): It has appeared in the Press today that thousands of trucks of Punjab have been detained and more are likely to be detained. The President of the Punjab Truck Operators Union has sent a telegram to the Prime Minister for intervention. Vegetables and fruits are loaded in these trucks. I, therefore, request you to ask the hon. Minister to give a statement in this regard.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मेरा निवेदन है कि अस्पृश्यता अपराध (संशोधन) विधेयक पर अगले सप्ताह चर्चा की जाये । श्री समर गुह तथा श्री चन्द्रिका प्रसाद ने भी ऐसे ही सुझाव दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस बारे में चर्चा का निर्णय किया है ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It has appeared in the Press that Barauni Thermal Power Station is likely to be closed down for want of coal. Only four thousand tonnes of coal has remained in the stock. If the coal supply to the Plant is not regularised, the whole of Bihar will go without electricity in few days. I request you to ask the hon. Minister of Railways, Irrigation and Power and Steel and Mines to give a statement jointly on this issue.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा अनुरोध है कि हम इस प्रकार यहां पर जो प्रश्न उठाते हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये और अगले सप्ताह संबंधित मंत्री को उन पर वक्तव्य देना चाहिये अन्यथा यहां पर कोई मामला उठाने का कोई लाभ नहीं है । 14 अगस्त को मैंने गुजरात में भयंकर सूखे की स्थिति का मामला उठाया था । मैंने गृहमंत्री तथा कृषि मंत्री से अनुरोध किया था कि व इस बारे में वक्तव्य दें । परन्तु सरकार की ओर से अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया ।

इस सत्र के पहले सप्ताह में विदेश मंत्री के नाम से एक प्रस्ताव था परन्तु अगले सप्ताह इस बारे में चर्चा के लिये कोई समय नहीं रखा गया । यदि पूर्ण चर्चा के लिये समय नहीं है तो विदेश मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देने चाहियें । मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री भारत-अमरीकी सम्बंधों के बारे में एक वक्तव्य दें । जनसंख्या नियंत्रण के बारे में स्वास्थ्य मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : लन्दन के 'आबजरवर' में एक समाचार छपा है जिसमें श्री आर०आर० कपूर, जो कि अनेक होटलों तथा चाय बागान के मालिक हैं, का नाम लिया गया है । मैंने वित्त विधेयक के तृतीय वाचन के समय पर इस मामले को उठाया था, अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई उत्तर नहीं आया है । इस व्यक्ति ने विदेशी मुद्रा विनियमों का

उल्लंघन करके लाखों रुपये बाहर भेजे हैं। इस प्रकार इसने अनेक विदेशी कम्पनियों में इक्विटी शेयर खरीदे हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और, इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जानी चाहिए।

क्वार्टरमास्टर जनरल सरकार को पदोन्नत करके ल्यूटीनैन्ट-जनरल राले को पदोन्नत कर दिया गया है। इसी कारण श्री सिरकार ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ यह अन्याय किया गया है। हालांकि भारत-पाक-युद्ध के दौरान उन्होंने बंगलादेश में अच्छा काम किया था। रक्षा मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मारुति और श्री एल०एन० मिश्र पर लगे आरोपों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : हम सभा में शिवसेना द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों पर किये गये अत्याचारों के बारे में चर्चा कर रह थे. . . शिवसेना ने पुनः अत्याचार करने आरम्भ कर दिये हैं, महाराष्ट्र विधानमंडल में कल इस बारे में चर्चा हुई थी और राज्य के गृहमंत्रियों ने एक वक्तव्य दिया था। इन्होंने कहा कि शिवसेना तस्करी विरोधी अभियान चला रही है। यह बहुत ही शर्मनाक वक्तव्य है। तस्करी विरोधी अभियान के नाम पर वास्तव में महाराष्ट्र सरकार भाषायी अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों में शिवसेना का साथ दे रही है। इसमें देश की अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। अतः अगले सप्ताह मंत्री महोदय को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये। मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि बम्बई में भाषायी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं किये जायेंगे।

Shri Madhu Limaye (Banka): The Social Welfare Board in Uttar Pradesh has reduced the pay of its 25 employees and their pay has been withheld. The hon. Education Minister should give a statement in this regard next week.

On the 16th instant the police resorted to lathi charge and firing on the boys in Masaul, district Begusarai, Bihar. A boy was killed in that firing. The hon. Home Minister should give a statement in regard to that incident.

I suggest that discussion on either the allegation levelled against S/Shri Mishra or Devkant or about Maruti should be held next week. The concerned Ministers should also clarify their position.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The house has not been taken into confidence about the talks which are being held with Sheikh Abdula. We are daily reading that Central Government is going to accept pre-1953 position in Kashmir. The Hon. Home Minister should give a statement in this regard.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) ; Discussion should be held next week on the issue of Kachativu. The House should be taken into confidence in this regard.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं श्री मधुलिमये का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे चुनावक्षेत्र का मामला उठाया है। मैंने एक जानकारी ज्ञात करने के लिये एक सप्ताह पूर्व एक तार एक भूतपूर्व मंत्री को दिया था जो कि अभी तक उनको नहीं मिला है। बिहार में इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल बहुत संख्या में है। हम चाहते हैं कि इन बलों के व्यक्तियों को वहां से वापस बुलाया जाये क्योंकि वे बिहार के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं।

15 अगस्त को विद्यार्थी आन्दोलन के समर्थन में मेनझोल में एक जुलूस निकाला गया था, कुछ विद्यार्थियों को जबरदस्ती परीक्षा केन्द्र में ले जाया गया और उनको पाठ्य पुस्तकों की सहायता से पर्चे

देने को कहा गया। इस पर विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या ने विरोध किया। इस पर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें एक विद्यार्थी मारा गया। यह कहना गलत है कि पुलिस पर पत्थर फैंके गये थे। एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी ने शव पर कपड़ा डालने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनसे मारपीट की और उनको गिरफ्तार कर लिया। इस सेनानी से 'ताम्र पत्र' जो उन्हें कुछ समय पूर्व दिया गया था, वापस कर दिया है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच की जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Marwa) : There is an acute shortage of kerosene oil in the Country. People in cities like Bombay have to stand in queue for six to seven hours for kerosene oil. Discussion should be held on this subject

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : विदेश विभाग संबंधी चर्चा का मामला कार्य मंत्रणा समिति में उठाया गया था। अधिकांश दलों के नेताओं का विचार था कि इसके लिए समय निकालना कठिन है। यदि सदस्य चाहते हैं तो इस पर कार्य मंत्रणा समिति में पुनः विचार किया जा सकता है।

अस्पृश्यता (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के लिए कांग्रेस दल के कुछ सदस्य भी मुझ से मिले हैं। यदि आगामी सप्ताह अध्य देशों का स्थान लेने वालों विधेयकों का कार्य पूरा कर लिया जाये तो मुझे खुशी होगी। 26 तारीख को संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। अतः किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए समय निकालना कठिन होगा।

जहां तक अस्पृश्यता के प्रश्न का संबंध है इसमें तीन मामले हैं। एक तो विधेयक पर चर्चा का प्रश्न है, दूसरा हरिजनों पर अत्याचारों का तथा तीसरा प्रश्न अनुसूचित जातियों सम्बंधी आयु के प्रतिवेदन पर चर्चा का प्रश्न है। अब प्रश्न यह है कि प्राथमिकता किसको दी जाये। हम आपस में परामर्श कर इस बात का निर्णय करेंगे।

माननीय सदस्यों ने जो अन्य सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कुछ ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये जिससे महत्वपूर्ण मामलों पर सभा तथा सरकार का ध्यान दिलाया जा सके। श्री रामावतार शास्त्री ने बरौनी ताप बिजलीघर का मामला उठाया है। इस पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री के० रघुरामैया : आमतौर पर बार-बार एक ही मामले को उठाया जाता है। मैं जो कुछ मंत्रियों को लिखता हूं, वे उस पर ध्यान देते हैं। परन्तु अनेक मसले होते हैं इसलिये कुछ समय लगता है।

Shri Madhu Limaye : I raise on a point of order. Last week I raised the matter pertaining to National Book Trust etc. What the minister of Parliamentary Affairs has done in this regard ?

श्री के० रघुरामैया : प्रत्येक शुक्रवार को अनेक सुझाव दिये जाते हैं। पहले ही अनेक नई प्रक्रियायें अपनाई गई और मैं इस बारे में भी कार्य मंत्रणा समिति में विचार करूंगा।

अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक—(जारी)
ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL—CONTD.

खण्ड 4—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेंगे ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मेरा संशोधन यह है कि 'मे' शब्द के बजाय 'शैल' शब्द का प्रयोग किया जाये । 'शेल' शब्द के प्रयोग से अनेक त्रुटिया दूर हो जायेंगी । इन त्रुटियों के कारण अपराधी छूट जाते हैं अथवा उनको बहुत कम दण्ड मिलता है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैंने एक चिट भेजी है । क्या मैं इस संशोधन तथा विधेयक पर बोल सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तृतीय वाचन के समय ही बोल सकते हैं ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : माननीय सदस्य ने त्रुटियों का उल्लेख किया है । कई अन्य सदस्यों ने भी इस बारे में कहा है । कानून में कुछ परिस्थितियों में उदार दृष्टिकोण अपनाने की बात है । इसको त्रुटि नहीं कहा जा सकता । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर जोर न दें ।

श्री डी० के० पंडा : यदि मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस को विवेक दिया जाता है तो कोई भी मद नहीं पकड़ी जायेगी । 'मे' शब्द को हटाया ही जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय जी स्पष्टीकरण यहां पर देंगे व न्यायलयों को मान्य होगे; मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नह है, 'मे' और 'शैल' में क्या अन्तर है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): 'मे' के प्रयोग से न्यायालय कुछ स्वविवे से कार्यवाही कर सकते हैं । परन्तु बात यह है कि ये मोटर गाड़ियां, जहाज, परिवहन के साधन मालिकों की बिना अनुमति या बिना बताये प्रयोग में लाये जा सकते हैं । ऐसी स्थिति में यदि 'मे' के स्थान 'शैल' शब्द का प्रयोग किया गया तो मोटर गाड़ियों आदि का जब्त किया जाना अनिवार्य हो जायेगा । इसमें ऐसी स्थि पैदा हो जाएगी जो हम नहीं चाहते ।

तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40, 46, 47, 78 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 40, 46, 47, 78 were then put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 4 विधे क का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर): मैं संशोधन संख्या 79 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri R. R. Sharma : When amendment to C. R. P. C. was introduced here, it was decided that there will be two categories of magistrate *viz.* Executive and Judicial and Executive Magistrate will not be entrusted with any judicial work. But in this case powers have been given to the Collector under clause 5. I have moved an amendment that judicial magistrate should replace the Collector. The collectors have no time to attend to judicial matters. Moreover they do not have sufficient knowledge about judicial matters. Therefore many amendment should be accepted.

श्री डी० के० पंडा : मैंने खण्ड 5 (बी) (2) को हटाये जाने के लिये संशोधन दिया है, यह व्यवस्था ठीक नहीं है कि यदि मजिस्ट्रेट जमाखोर के ब्यान से संतुष्ट हैं तो कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। इस व्यवस्था से जमाखोर विधि के पंजे से छूट जायेगा। इस लिये मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को इसमें से निकाल दिया जाये ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि हम यह कहते हैं कि केवल जुडिश्यल मजिस्ट्रेट को ही अनुमति दी जायेगी और कलक्टर को नहीं तो कलक्टर मामलों को निपटा नहीं सकेगा। इससे बहुत कठिनाई पैदा हो जायेगी। कलक्टर काफी वरिष्ठ अधिकारी होता है और उनको न्यायियक शक्तियां प्राप्त होती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 79 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendment No. 1 & 79 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "खण्ड 5" विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6

श्री राम रतन शर्मा : मैं संशोधन संख्या 2, 3, 4, 5, 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): मैं संशोधन संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा): मैं संशोधन संख्या 85 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri R. R. Sharma : The hon'ble Minister had stated while introducing the amending Bill that shortage of essential commodities and hoarding has necessitated this Bill. But it is ridiculous that there is provision regarding imposition of a sentence of imprisonment for a term of less than three months in such cases. Can we call it a stringent measure ? If they want to take

stringent measure then why should there be any saving clause. I request the hon'ble Minister to kindly reconsider this provision. There should not be any undue haste otherwise black marketeers and hoarders will use their influence and take the advantage of such provisions. In view of this I request that my amendments may kindly be accepted.

Shri Ramavtar Shastri : There cannot be two opinions about the fact that blackmarketing hoarding and other similar activities are no less than treason. They should be awarded some punishment which is provided for treason. But unfortunately such criminals go scot free in the name of democracy in this country. I appreciate the provision that such culprits will not be released on bail but such provisions should be enforced vigorously so that there elements do not take advantage of helplessness of the people. In this connection I would suggest that minimum sentence of three months provided in this clause should be raised. I would have been glad if capital punishment is provided for such crimes *viz.* profiteering, black marketing in foodgrains, adultration. So the minimum sentence should be raised to 6 months and increase the same in the following cases progressively. I therefore, request that these amendments may be accepted. There should be no loopholes in these provisions so that criminals may not take advantage of the same. These people are taking advantage of natural clamities such as flood, draught etc. Government should launch a campaign for dehoarding of foodgrains so that the same could be distributed equatably at reasonable rates. It has been observed that after seizure of stocks Government officials take long time to release the same and people have to starve. Therefore a provision should be made to see that seized stocks are distributed among the people who are facing shortages.

श्री बी० आर० शुक्ल : इस समय देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। इस विधेयक में एक ओर अधिकतम दंड को 5 वर्ष से बढ़ा कर 7 वर्ष कर दिया गया परन्तु न्यूनतम दंड केवल 3 महीने रखा है। फिर इसमें यह भी लिखा है कि विशेष कारणों में तीन महीने से भी कम दंड दिया जा सकता है। मुझे इस प्रकार की व्यवस्था उचित नहीं दिखाई देती। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि पहली बार आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाये तो कम से कम छह महीने की सजा दी जानी चाहिये। यदि वह अपराधी पुनः वही अपराध करता है तो उसे कम से कम एक वर्ष का दंड दिया जाना चाहिये। इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन है कि अपराधी ने कम नुक्सान पहुंचाया है या अधिक अतः मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाए।

जब कभी भी भारत रक्षा नियमों का कोई उल्लंघन होता है तो उसमें यह व्यवस्था की गई है "कि यह किसी उचित अथवा कानूनी बहाने के बिना" होना चाहिये। मेरा संशोधन खंड 6 में जोड़ लिया जाना चाहिए ताकि बेकसूर लोगों को जो किन्हीं परिस्थितियों में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिये अपराधी हो सकते हैं, दंडित न किया जा सके।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर): मेरा संशोधन खंड 6 के परन्तुक को हटाना है। कोई भी कानून हो उसे जनता का सहायक होना चाहिए। यहां पर यह प्रश्न है कि आवश्यक वस्तुओं को किस प्रकार जनता के बीच उचित मूल्यों पर वितरित किया जाये। यदि अतीत का अनुभव देखा जाये तो हमें पता चलेगा कि इन उपबन्धों से जमाखोरों तथा अपराधियों के मन में कोई डर उत्पन्न नहीं होता। दंडावधि को पांच वर्षों से बढ़ाकर 7 वर्ष तथा 3 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करके इस परन्तुक से सारी बात पर पानी पड़ गया है। इस परन्तुक के अन्तर्गत एक घंटे या न्यायालय के उठने तक का दंड दिया जा सकता है। जब तक प्रभावशाली वितरण पद्धति नहीं बनाई जाती, ठीक वसूली नहीं की जाती तथा युवकों तथा विद्यार्थियों द्वारा चलाया जा रहा छुपी वस्तुओं को बाहर निकालने संबंधी अभियान

को प्रोत्साहन नहीं मिलता तब तक यह संशोधन कोई विशेष महत्व नहीं रखता। जब तक जमाखोरों के मन में भय उत्पन्न नहीं किया जाता, जब त यह परन्तुक नहीं हटाया जाता तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

श्री बी० वी नायक (कनारा): वाणिज्य मंत्रालय की फाइलों में सिर्फ यह कहा गया है कि विधि आयोग ने अपने 47वें प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि इस अधिनिय में कुछ संशोधन किये जायें। इसमें कोई और ब्यौरे नहीं दिये गये हैं। अतः पिछले दो महीनों से निरन्तर पूरा विधेयक मंत्रालय के विचाराधीन हैं। आप कानून को कड़े से कड़ा बना सकते हैं। दंड बढ़ा देने से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आर्थिक अपराधों को आर्थिक आधार पर निपटाया जाना चाहिए। जो भी जब्त किया जाये, उपबन्ध अनिवार्य होने चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा): इस विधेयक का उद्देश्य दंड उपबन्धों को अधिक कठोर बनाना है। लेकिन गहराई से देखने पर यह विश्वास हो जायेगा कि विधेयक का प्रभाव विपरीत होगा।

सरकार ने कारावास की अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी है। किन्तु इसमें भी परन्तुक है। यहां अधिक कठोर होने का प्रयास किया गया है किन्तु न्यायालय को स्वविवेक शक्ति दी गई है। न्यायालय दंड को कम कर सकता है। दंड को कम करने के लिये विधि आयोग ने न्यायालय को कोई स्वविवेक शक्ति नहीं दी है।

दूसरे मुख्य अधिनियम में दूसरी बार अपराध करने वाले व्यक्ति को कम से कम एक महीने का कारावास देने के बारे में न्यायालय को कोई स्वविवेक शक्ति नहीं दी गई थी। अब सरकार यह संशोधन कर रही है। क्योंकि दोबारा दोषसिद्धि होने पर भी न्यायालय को एक महीने से कम का दण्ड देने का अधिकार होगा। अब भी सरकार दावा करती है कि कठोर दण्ड की व्यवस्था की जा रही है। सब से अधिक खतरनाक खण्ड 2 (ख) का उपबन्ध है जिसमें कहा गया है "सामान्य जनता या व्यक्ति को कोई विशेष हानि हुई हो"। इस उपबन्ध से सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम को असंवैधानिक बना रही है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।

नैतिक आधार पर भी अपराधों का, समाज-विरोधी अपराध, एक नया वर्ग उत्पन्न हो जायेगा जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है। इस समय सामाजिक तथा आर्थिक अपराधों को प्रथम कोटि के अपराधों में रखा जाना चाहिए। ये संशोधन विधि आयोग की सिफारिशों की भावना के विरुद्ध हैं और उन्होंने पूरे मामले को कमजोर बना दिया है। सरकार ने इस विधेयक में ऐसा पुट डाल दिया है जो इस विधेयक की धारा 3 के अधीन उपबन्ध को असंवैधानिक बना देगा। यह बुनियादी तौर पर गलत है।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): माननीय सदस्यों द्वारा सरकारी वितरण व्यवस्था और अन्य बातों का उल्लेख किया गया है। मैंने जनता द्वारा विरोध की बात की थी जो उसे आर्थिक अपराधों के विरुद्ध करना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि मूल अधिनियम को किस प्रकार कठोर बनाया जाए और इसे अधिक प्रभावी बनाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: तीन बज चुके हैं और अब हमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर विचार करना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैंने माननीय सदस्यों के साथ बातचीत की है। मेरा प्रस्ताव यह है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर 3.30 बजे से विचार आरम्भ किया जाये तब तक इस पर चर्चा जारी रखी जाये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : If it is not finished by 3.30 p.m. ?

श्री के० रघुरामैया : तब इस पर अगले दिन विचार किया जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): कुछ सदस्य विधयकों को पुरःस्थापित करेंगे। क्या 3.30 बजे हम में से जो सदस्य उपस्थित नहीं होंगे क्या वे अपने सहयोगियों को विधेयक पुरःस्थापित करने का प्राधिकार दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक मामले के लिए कुछ नियम होते हैं और आपको यह पहले भेजना चाहिए (**व्यवधान**) संसदीय कार्य मंत्री के साथ सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। कोई भी मामला सदन की समति से ही किया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): इस विधेयक को आधे घंटे के अन्दर किस तरह पारित किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी सन्देह है कि इस विधेयक को आधे घंटे में किस तरह निपटाया जा सकता है। इस विधेयक पर चर्चा पूरी तरह से और दायित्व के साथ की जानी चाहिए।

विधेयक पुरःस्थापित
Bills Introduced

संविधान संशोधन विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 101, 102 आदि का संशोधन

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was Adopted

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 101 और 190 का संशोधन

डा० कर्णीसिंह (बीकानेर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

डा० कर्णीसिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 54 और 71 का संशोधन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

Shri Atal Bihari Vajpayee : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

अष्टम अनुसूची का संशोधन

श्री नारायण चन्द पराशर (कांगड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री नारायण चन्द पराशर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

नवम अनुसूची का संशोधन

श्री अर्जुन सेठी (मद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक
Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill

धारा 17 और द्वितीय अनुसूची का संशोधन

श्री मधु दण्डवते (राजापुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

श्री मधुदण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर आगे विचार करेंगे ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : जब हम ने देश में पहली बार वयस्क मताधिकार दिया तो देश के ही नहीं देश से बाहर भी लोगों का कहना था कि यह क्रान्तिकारी कदम है और भारतीय लोकतंत्र यहां बना नहीं रह सकता, परन्तु गत 26 वर्ष के अनुभव से सिद्ध हो गया है कि हमारा कदम ठीक दिशा में उठा था और यह प्रयोग सफल रहा है ।

सरकार और कांग्रेस दल इसी कारण दिन-प्रतिदिन सुदृढ़ होते जा रहे हैं क्योंकि उनमें नये विचारों और परिवर्तनों को बढ़ावा मिलता रहता है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार युवा पीढ़ी को भी देश की गतिविधियों में शामिल करे ताकि प्रजातंत्रीय मान्यताओं में नया रक्त प्रवाहित किया जा सके। हमें इस तेजी से बदलते युग की मांग मान कर मताधिकार की आयु 18 वर्ष तक कर देनी चाहिए चाहे हमें अनुच्छेद 19 और मूल अधिकारों आदि में परिवर्तन ही क्यों न करना पड़े।

Shri P. M. Mehta (Bhavnagar) : Sir, I support this Bill. Today our youth is despondent and disgruntled. They feel they have no future at all and they feel that they have no place in society today. We find our country week today only because the youth has been neglected.

[**श्री वसंत साठे पीठासीन हुये**
Shri Vasant Sathe in the Chair]

Lowering the voting age is the demand of the day and our Party wholeheartedly supports it.

It is wrong to say that the Youth at 18 is immature, and therefore cannot take right decisions. We will have to admit that the Youth of today is miles ahead of the Youth of yesterday and the gap between generations no longer exist today. The Youth today is much maturer than yesterday. I, therefore, request Government to accept this Bill and lower the voting age to 18 accordingly.

Shri Mool Chand Daga (Pali) : We have entered the atomic age now and man has reached the moon also. Therefore, we should also shed old attitudes and think in terms of allowing Youth of 18 to participate in franchise. We should, therefore affect this change as early as possible. Otherwise, the Youth will compel us to do so.

I, therefore, request Government to accept this Bill indeference to this popular demand.

डा० कर्णीसिंह (बीकानेर) : मुझे पूर्व वक्ताओं द्वारा व्यक्त भावनाओं के विपरीत विचार व्यक्त करने के लिए क्षमा करें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो छात्र स्कूल कालेजों में अध्ययनरत हैं, वे इस राजनीति में शक्ति गवाएं। अतः मैं इस विधेयक के विरुद्ध हूं और मताधिकार की 21 वर्ष की वर्तमान आयु के ही पक्ष में हूं और मैं नहीं चाहता कि हम भी ब्रिटेन जैसे देशों का अंधानुकरण करें।

अतः मैं संविधान में कोई संशोधन नहीं चाहता हूं।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : Sir, I support this Bill and want the voting age to be lowered as for all other intents and purposes the Youth of 18 is considered to be adult and responsible. Today's Youth is responsible enough and they are responsive to political and social changes in the country.

Today's Youth feels resentful and they feel dissatisfied towards the present political, economic and social set-up of the country. They should, therefore, get an opportunity to participate in the policy making and administrative set up of the country.

I feel that by accepting this Bill, we would be able to canalise the energy of the Youth in the right direction.

Shri Sat Pal Kapoor (Patiala) : I congratulate Dr. Pandeya for introducing this Bill and I support it wholeheartedly for we want the Youth of the country also to be involved in present-day problems.

*श्री ई० आर० कृष्णन (सेलम) : मैं डा० पाण्डेय के इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और समझता हूं कि सभी सदस्यों को इसे समर्थन देना चाहिए।

कांग्रेस के 1969 में हुए विभाजन के बाद देश की युवा पीढ़ी में नई कांग्रेस के क्रान्तिकारी कार्यों से काफी उत्साह था और उसे पश्चिम बंगाल तथा केरल में जीतने में भी उसका काफी योगदान था। परन्तु मताधिकार-आयु कम न करके उसमें क्षोभ की भावना आ गई है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हाल के चुनावों से स्पष्ट है।

कितना विरोधाभास है कि साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता और हिन्दू विवाह अधिनियम जैसी विधियों में 18 वर्षीय युवक-युवतियों को तो वयस्क मान लिया गया है परन्तु फिर भी उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया है जबकि विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों ने भी इसकी सिफारिश की है।

गुजरात राज्य में छात्र असंतोष व्यापक है जबकि बिहार में भी उनका आंदोलन कई मास से चल रहा है और आशंका है कि यह असंतोष अन्य राज्यों में भी फैलेगा। अतः सरकार को विधान द्वारा उनकी शक्ति का रचनात्मक ढंग से उपयोग करना चाहिए। आश्चर्य है कि जीवन की अन्तिम सीढ़ी पर खड़े लोगों को तो यह अधिकार प्राप्त है परन्तु जीवन की प्रथम सीढ़ी पर खड़े हुए युवक युवत्तियों को इससे वंचित रखा गया है। मेरे विचार में यह अधिकार मिल जाने पर युवा पीढ़ी अधिक जिम्मेदारी का रुख अपनाएगी।

देश की 20 प्रतिशत जनसंख्या को इस अधिकार से वंचित रखना भारतीय लोकतंत्र पर कलंक है।

आशा है कि सरकार शीघ्र ही अपना विधेयक लाकर मताधिकार की आयु कम करेगी और डा० पाण्डेय के तर्क का नहीं तो कम से कम भूतपूर्व कुलपति और शिक्षा मंत्री, डा० राव की भावनाओं का आदर करेगी।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): This Bill intends to bring about two changes—one in the fundamental rights and the other seeking amendment of Art. 326. Regarding the first part of the Bill, I am opposed to it as the Constitution framers had not done so after lending much thought.

Regarding amendment of Art. 326, this can be done easily and I am also in favour of this Government may take its own time in view of the enormous work involved, but they should do it positively.

Shri R.R. Sharma (Banda) : Sir, Dr. Karni Singh has termed the Youth of 18 years as 'immature' But Art. 326 mentions 'Adult franchise' first and only later qualifies 'Adult' as the persons who has achieved 21 years of age. But in law the Youth of 18 years is considered to be adult. Moreover the Youth of 1947 is not what the Youth of 1974 is. The Youth of 1974 is much more maturer than yesterday. Since the Youth at 18 gets all other legal and social rights, they cannot be deprived of their right to vote.

I, therefore, appeal to Government to accept this Bill.

Shri B.R. Shukla (Bahraich) : Sir, I am constrained to oppose this Bill. Experience in life is the essence of maturity and it is lacking in the Youth, particularly at an early age of 18 years.

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in tamil.

I oppose this because I feel that the Youth may have wisdom, idealism etc. but they are essentially emotional rash and hot-blooded and therefore I warn that we should think a hundred times before giving any such right to the Youth.

If we continue to follow wrong practices and traditions the whole country will have to bear the consequences.

We should not be led by the sentiments and think over this matter seriously. This matter has been considered in this House several times. Let the students have the experience of life in college for three years and then we should put same responsibility on them.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : We have been making this demand for the last twenty years. A youngman of eighteen is eligible for marriage and is also eligible for recruitment in the Army but he is not considered eligible for casting vote. Actually our constitution makers have copied the constitution from countries which have cold climate. Now even in those countries eighteen years of age has been fixed for casting vote. It has been said that knife, pistol or other weapons are used in the University elections. This is correct. But these weapons are also used in many cases in the elections for Parliament also. So this is no excuse for not reducing the age of voting.

Now a tendency has developed to ask the people of various spheres not to participate in the politics. If this is allowed to continue, this whole structure of democracy will be ruined. So we should allow maximum number of people to participate in our political structure. We should enlarge its sphere. In this way we can develop and strengthen our democracy. Young people of our country are now demanding the right of vote and I request you, Sir, to give them this right. We should adopt liberal attitude in this respect. Prior to 1947 under the leadership of Gandhiji the young people were encouraged to participate in politics and take active part in liberating the country. Now we are asking them not to participate in politics. This is not a sound attitude. Let there young people come in politics with young ideas. With these words I request Government to reduce the age of voting from 21 to 18 years.

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : We are passing through atomic age. We should not divert the attention of our students to other spheres than studies. Let our student became scientists and let them earn a good name in other spheres. They should be asked to devote their time and attention towards studies. I feel that young boys and girls are not very anxious to get the right to vote. Several technical and medical colleges have been opened. Let these young boys and girls study there. I request the opposition parties not to divert their attention to other spheres.

I feel the age of 21 is the proper age for voting. It should not be reduced. We should provide an opportunity to young people to become engineers, doctors and scientists.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri Garhval) : It is true that young people of 18 have right to vote to-day but it is also true that they exercise their influence on relatives, neighbourers and many others. In this progressive age, a youngman of eighteen is mature enough to cast should his vote properly. We should not deny them then this right. The voting age should be reduced from 21 to 18 years.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : The hon. Member has introduced this Bill with good intentions. I may say that our education system is defective. It needs changes. We are not serving proper discipline and also education in boys of the age group of six to twelve. As a result the indiscipline is rampant amongst students. So in view of this, the Government should carefully consider the question of reducing the voting age. I would like to draw the attention of the Government to another discrepancy. If a youngman of 21 can cast his vote why he is not allowed to contest the election. This discrepancy should also be removed.

Proper guidance should be provided to the students so that they may canalise their energy for the development of the country and not for destructions or sabotage. For their, proper education system will have to be evolved.

I will request Government through you to consider pros and cons of the issue before arriving at a decision.

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा): आज यदि मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करने की कोई कर सकता है तो कल दूसरा व्यक्ति इसी आयु को घटा कर 16 अथवा 14 वर्ष करने की बात कह सकता है। प्रश्न यह है कि इसके पीछे सिद्धांत क्या है। हमारा देश चाहता है कि हमारे युवकों में जिम्मेदारी की भावना आये तथा उनमें काम करने की लग्न उत्पन्न हो। इसके लिए हमें अपने युवकों को शिक्षित करना होगा।

विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की आयु भी 18 वर्ष है 17 वर्ष की कम आयु वाले युवक को मैट्रीकुलेशन की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। यह अवस्था वास्तव में सीखने की अवस्था है। इस अवस्था में युवकों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे वे आगे चलकर देश की सेवा कर सकें तथा अपने परिवार के लिये जीविका कमा सकें। परन्तु यदि उस समय उन्हें राजनीति में डाल दिया जाये तो वास्तव में हम ऐसा करके देश की सेवा नहीं करेंगे। अत: मेरा निवेदन है कि मतदान की आयु को घटाने की बजाय उसको बढ़ा दिया जाये ताकि वह राष्ट्र निभाने के मूल तरीकों को सीख जायें और अपने जीविका कमाने योग्य भी हो जायें। मतदान की आयु को घटाकर हम युवकों को उन्हें उसका भविष्य बनाने के अवसर से वंचित कर देंगे। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है। मैं महसूस करता हूं कि ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिये कि जब हम किसी व्यक्ति की जीविका का साधन नहीं होगा उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इससे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हो जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने राजनीति का अपना भविष्य बनाता है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अत: मेरा सुझाव है कि केवल उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके पास अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए जीवित अर्जित करने के साधन हों। इससे भ्रष्टाचार समाप्त करने में सहायता मिलेगी। हमें नारेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए और कोई ठोस कार्य करना चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Shri Mahajan just said that Corruption will increase if voting age is reduced. I want to know that now when this has not been done....

Shri Vikram Mahajan : I was of the view that in case the age is reduced to 18, the students will divert their attention towards politics. Regarding corruption, I had said that let the youth first look after their livelihood and think of elections afterwards. (*Interruptions*)

Shri Ramavatar Shastri : Some Members are of the views that it will increase corruption. It is not correct to say that the students are not mature at that age. Many of us have participated in the freedom struggle between the age of 10 and 18. We were firm in our decision that the country must get freedom.

Shri Vikram Mahajan : Do you know the age for voting in Russia ?

Shri Ramavatar Shastri : So far as I know it is 18 years.

Shri Vikram Mahajan : It is 25 years.

श्री० सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचरी) : रूस में और अन्य बहुत से देशों में मतदान की आयु 18 वर्ष है।

Shri Ramavatar Shastri : Young people played a notable part in our independence struggle. There is no reason why voting right should not be given to the young boys and girls of 18 so that they can also make their contribution in the development of the country.

At the time of elections young people canvassed for votes for different candidates. When they could do so why could they not have the right to vote ? Now the young generation will not sit quiet. It will fight for its right.

Young people have played a praiseworthy part in fighting against corruption, land reforms in the villages but they have been denied the right to vote which is not proper. The present Bill is an appropriate one and it has been brought at an appropriate time. There is no difference of opinion among young people on the question of getting voting right whether they have sympathy for one political party or the other. Now the time has come when the right to vote should be given to all young people who have attained the age of 18 years.

I support the Bill and request Government to accept it. In case there is any difficulty in doing so the hon. Minister should give an assurance to bring forward a Bill for reducing the voting age from 21 to 18 either in this session or in the next session.

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर): मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में दोनों ओर से दिये गये तर्कों से सहमत नहीं हूं। यह तर्क चित नहीं है कि समाजवादी देशों में यदि मतदान की आयु 18 वर्ष है तो हमारे देश में भी मतदान की आयु 18 वर्ष ही होनी चाहिए।

1970-71 की जनगणना से विदित होता है कि देश की एक तिहाई जनसंख्या की आयु 15 वर्ष से कम है तथा आधी से अधिक जनसंख्या की आयु 20 वर्ष से कम है। अत: यदि हम देश में बहुमत की सरकार स्थापित करना चाहते हैं तो हमें बहुमत को मतदान का अधिकार देना होगा। यदि ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। इस बारे में यही मूल तर्क है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि सरकार इस विधेयक को अवश्य स्वीकार करे क्योंकि यदि बहुमत को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता तो हमारा जनतन्त्र सही अर्थों में जनतन्त्र नहीं होगा। इस सम्बन्ध में दो विचार नहीं हो सकते। यदि हम वास्तविक अर्थ में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो हमें मतदान की आयु 18 वर्ष करनी होगी।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम): यह कहा गया है कि कुछ पश्चिमी देशों में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। जलवायु तथा अन्य स्थितियों के कारण पश्चिमी देशों में हमारे देश की तुलना में बुद्धि अधिक समय में परिपक्कव होती है। जब पश्चिमी देश मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष करने पर विचार कर सकते हैं तो भारत में ऐसा न करने की बात समझ में नहीं आती।

ऐसा कौनसा दल है जो अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता है कि वह अपने उद्देश्य के लिये युवकों को नहीं भड़काता है। यदि युवकों के साथ कोई अन्याय होता है तो युवक अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। अत: युवकों को मतदान का अधिकार देना स्वस्थ जनतन्त्र के कार्य में उपयोगी सिद्ध होगा।

यदि हम अल्प प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो मतदाताओं की संख्या में 400 लाख की वृद्धि होगी जो बहुत अधिक नहीं है। सार्वजनिक मत भी इसके पक्ष में है। इन 400 लाख में 200 लाख लड़कियां होंगी। यदि देश की 200 लाख लड़कियां देश के कानून को प्रभावित कर सकें तो यह बहुत अच्छा होगा। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

*श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : यह विधेयक बहुत उचित समय पर लाया गया है। यह कहा गया है कि 18 वर्ष की आयु में अधिकांश युवक अपने अध्ययन में लगे रहते हैं अतः उन्हें इस आयु में राजनीति में घसीटना उचित नहीं होगा। ऐसा सोचना न्यायोचित नहीं होगा कि राजनीति में रुचि लेने पर युवक अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करेंगे। उन्हें मतदान का अधिकार देना राजनीति में उनका प्रवेश नहीं होगा। अतः मताधकिार देते समय शिक्षा के पक्ष पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे देश में मुशकिल से 30 प्रतिशत लोग शिक्षत हैं। अतः मताधिकार देते समय शिक्षा के पहलु पर इतना अधिक जोर नहीं दिया जाना चहिए। इस बारे में एक आपत्ति यह भी उठाई गई है कि किसी व्यक्ति को मताधिकार देते समय यह भी देखना चहिए कि उसे आय अथवा जीविका के कुछ साधन अवश्य हों। इस सम्बन्ध में मैं यह पूछूंगा कि हमारे देश में लोगों के लिए जीविका के साधनों की किस आयु तक व्यवस्था की जाती है ?

यह कहने में कोई तर्त नहीं है कि जिस व्यक्ति के जीविकोपार्जन के साधन नहीं हैं वह भ्रष्ट या बईमान हो जायेगा। मेरा विश्वास है कि हमारे देश में अत्याधिक भ्रष्ट व्यक्ति वे हैं जो पूर्णतया समृद्ध हैं।

श्री रामावतार शास्त्री ने अभी ठीक ही कहा है कि देश को दासता के चुंगल से मुक्त कराने के लिये जिन व्यक्तियों ने जान की बाजी लगा दी उनमें से अधिकांश व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाये थे।

अतः यदि हमारे देश के युवक 18 वर्ष की आयु के होने से पूर्व ही स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेकर जेल और मृत्यु का सामना कर सकते हैं और यदि उन्हें आज भी 18 वर्ष की आयु में रक्षा सेनाओं में भर्ती के लिए योग्य समझा जाता है तो उन्हें इस आयु में मताधिकार से वंचित करने में कोई औचित्य नहीं है। हमारे देश में अधिकांश महिलाएं 18 वर्ष की आयु में मां बन जाती हैं। यदि वे इस आयु में बच्चों का पालन पोषण करने का भारी उत्तरदायित्व संभाल सकती हैं तो वे राज्य विधान सभाओं या संसद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का उत्तरदायित्व भी वहन कर सकती हैं। यदि 18 वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियों को मताधिकार दे दिया जाता है तो वे अपना उत्तरदायित्व समझने लगेंगी और उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से बर्ताव करेंगी।

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : There are two aspects of this Bill. First, sub-clause (h) should be inserted in Article 19 and secondly Article 326 should be amended to reduce the voting age to 18 years. First of all, I want to say something about clause 2. This matter came up when the constitution was being framed. The constitution makers were of the opinion not to keep this clause in Fundamental Rights. I think there should be no change in this respect.

Some of the hon. Members have said that when a person can marry at the age of 18, why should he not get the right to vote at this age. I may remind them that a demand is being made that the age of marriage should be increased upto 25 or 21 years. It will be better if hon. Members do not give this argument.

Prof. Mavalankar and Dr. V.K.R.V. Rao have said that voting age of college students should be reduced to 18. If the right to vote is given to the boys and girls of the age of 18, it will be applicable to all including those who are not studying in colleges.

---

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

**Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.*

Mr. Chairman : They have said about adult franchise. To whom you will consider "adult" ?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : In Article 326 of the constitution, the word "adult" has been used and the age of 21 has also been mentioned there. Dr. Pandeya has said that according to the Indian Majority Act, a person who has attained the age of 18 is a major, then why is he not given the right to vote ? I agree. But as I have said....

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति मत देने के लिए वयस्क है। अन्य कार्यों के लिए वयस्क व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है। इसमें क्या तर्क है।

श्री नीतीराज सिंह चौधरी : मेरा केवल इतना ही कहना है कि संविधान के प्रणेताओं ने मतदान के लिए 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को ही वयस्क माना था।

सभापति महोदय : श्री मावलंकर, अन्य कार्यों के लिए तो 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति वयस्क है लेकिन मतदान के लिए वह वयस्क नहीं है।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : There will be more than 5 crore additional voters if the voting age is reduced from 21 to 18. Since there is a polling station for every 800 voters, we shall require more than 40 thousand additional polling stations. More than two lakh persons will be required for duty in there polling stations and similarly more persons will be needed for security purposes.

All these arrangements are to be made by the states. We have sought the opinion of the State Governments in this respect. Their replies are awaited.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : It is not proper to leave such an important matter to the State Governments.

Mr. Chairman : They are seeking opinion of the State Governments.

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या हम यह समझें कि भारत सरकार इस बात के पक्ष में है और राज्य सरकारों की राय मांगी गई है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : जांच करने पर पाया गया कि इस मामले में काफी खर्चा होगा और राज्य सरकारों से पूछा गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): मंत्री महोदय ने अनुच्छेद 326 का सहारा लिया है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि चुनाव की तारीख से पहले की तारीख होनी चाहिए। विधायक तारीख निश्चित कर सकते हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : अनुच्छेद 326 का उल्लेख किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया था।

I request Dr. Pandeya to withdraw his Bill.

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : The time should be extended.

Mr. Chairman : It cannot be extended after 5.30 p.m. Please, be brief.

Dr. Laxminarain Pandeya : I am grateful to all the hon. Members who have supported this Bill. Two or three hon. Members have opposed this measure but they have not given any substantial argument. They simply opposed it for the sake of opposition. The hon. Minister too has not clearly replied to the points I had made. I asked the hon. Minister as to what he has to

say about the views expressed by the Petitions Committee. The hon. Minister has not said a single word about it. Nor did he say anything about the opinion expressed by the Joint Committee on Election Laws (Amendment) Bill. It is not fair on the part of the hon. Minister not to have said anything about the two significant committee's opinions. The other arguments put forward by the hon. Minister are also not convincing. To-day we find that in almost every country the voting age is being reduced. According to the latest information Luxumberg and France have also reduced the voting age to 18 years. Therefore, to say that conditions in our country are not conducive to this purpose has no meaning. Mention has been made about the State Governments. A conference of the Chief Ministers of all the State Governments should be convened and their opinion sought. I think they will not disagree. But the State Governments need not come in the picture. It is a central subject and the Central Government has to take a decision.

The circumstances were different when the constitution makers felt not to keep the age 18 as voting age. Today the youth has awakened. As Shri Daga has said, if the Government does not give this right willingly, they will take in away forcibly.

सभापति महोदय : क्या प्रस्तुतकर्ता अपने विधेयक पर मतदान करवाना चाहेंगें या इसे वापिस लेना चाहेंगे ?

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैं इस पर मतदान कराऊंगा ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य लॉबी खाली कर दें ।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :
The Lok Sabha divided

पक्ष में 13	**विपक्ष में 59**
Ayes 13	**Noves 59**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The Motion was negatived

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

नये अनुच्छेद 83 क का अन्त:स्थापन

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैंने यह विधेयक उन सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार लेने के लिये पुर:स्थापित किया है जो विभिन्न विधान मंडलों के लिये चुने गये हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते ।

इस्पात के वितरण की नई प्रणाली*
New System of Steel Distribution*

Shri M.C. Daga (Pali) : It is unfortunate that the production of steel in our country as compared to the total world production is 1 per cent inspite of vast mineral resources available in the country. At the present moment, I will cover only the aspect of distribution of steel. The Government formulated a scheme of distribution of steel on May 1, 1970. The Government has stopped the industry-wise quota which was to be fixed for all the States. After that various committees and Study Groups were appointed. But even then the distribution of steel has not improved. There is bungling in the distribution of steel. The Steel Authority of India Limited has been set up. But I fail to understand as to why there is bungling in the distribution of steel even now. It is also not certain as to how the quota of steel is allocated to the small scale industry. The requirement of steel billets and re-rolling industry is 3 million tonnes but Government is not able to supply them even 0.7 million tonnes of steel.

Similarly, there is a lot of bungling in the distribution of scrap. The officers in the stockyards are in league with the big businessmen. Instead of auctioning the scrap in small lots, the officers auction good quality of material as scrap alongwith big lots of scrap. It is not supplied to industries on priority basis. Besides, who watches whether the quota of steel allotted to the industries is actually used by them? A case involving about two lakh tonnes of scrap was filed in Delhi High Court in 1971. It is not known as yet as to how this scrap was distributed after the judgement delivered by the High Court. The Government should tell us as to how the local institutions, municipalities, Panchayats and people living in villages can obtain steel ? Similarly, how the billets and re-rolling industries can obtain steel, what is priority and what is the mode of distribution ? The Government should also make it clear as to what is the control price of steel and what is the market price. How many persons have been prosecuted and convicted during the last two years ?

How many people have been challaned by the Regional Controller during the last two years and how many cases have been examined? Whether any guide-lines have been given to the J.P.C., if so, what are the details thereof ? Whether any guide-lines have been given to the Priority Committee for fixing the priorities? Why is allocation not made for one year instead of six months? Whether you have taken steps to ensure fair distribution of steel ? Committee of three members was constituted in Delhi in 1971 and very good results have been achieved. Whether such committees would also be constituted in Jaipur, Jodhpur and other cities of Rajasthan and how steel would be made available to local bodies ? When there is shortage of steel, how is it available in the black market ? The hon. Minister should reply to all these questions in his reply.

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : पुरानी वितरण नीति के स्थान पर नई वितरण नीति बनाने के लिये सरकार क्यों बाध्य हो गई है ? छः महीने के आधार पर आवंटन करने के क्या कारण हैं ? क्या इससे इस बात की आशंका नहीं है कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? इस्पात में चोर बाजारी को क्या समाप्त या कम किया जायेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक ? लघु उद्योगों और विशेषकर ग्रामोद्योगों को पर्याप्त मात्रा में इस्पात उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों को इमारतें बनाने की अनुमति दी है । उन शैक्षणिक संस्थाओं को इस्पात उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

The Minister of Steel and Mines (Shri K.D. Malaviya) : Unfortunately the production of steel in the country is not sufficient to meet the demand. But it is the desire of the Ministry to make the distribution satisfactorilty.

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

*Half-an-Hour Discussion.

According to our policy, we have prepared a list of priorities. Top priority is given to Defence. Second priority is given to the electricity units. Then comes the big industries engaged in the production of exportable commodities and earning valuable foreign exchange. The over-all demand of steel is 16 million tonnes, whereas the total production of steel is only 5 or 5.5 million tonnes and therefore, difficulty is experienced.

There are only five stock-yards, which are located in big cities. Sometimes wagons are not available to transport steel and all this creates the imbalance.

Some people get their allotment direct from the stock-yards. Steps are also taken from time to time to rectify the defects. It is our endeavour to give maximum facilities to small units. It has been our experience that the excess demand is diverted in full to the centre by the state Governments. It is our request to the State Governments to adjust their demand in such a way that there might not be any imbalance in the allotment and injustice is not done to the people.

It is not correct that people are not being challaned. Many people are challaned and many licences have also been cancelled. The work of Regional Steel Controller has been generally good. But distribution is still not satisfactory as production is not sufficient.

We make direct allotment of quota to Small Scale Industries and full rakes are allotted to them. If their requirement is less, they get it from other neighbouring places. But then there is difference in the price.

There is less production of billets, but when difficulties of iron and coal have been removed the production of billets would be raised. I do not say that there is no mismanagement in certain quarters. We have always been vigilant and making efforts to modify the distribution of pig iron and finished steel etc.

The Government is not in favour of multi-storeyed buildings. There is shortage of cement and steel. We want to earn more foreign exchange by exporting iron. If we are able to increase our production, we would export more and make distribution at reasonable prices.

There is world-wid shortage of scrap and prices of scrap have also gone up. Scrap is stored at Calcutta and Bombay etc. There are processing units of scrap there. There is no control over the iron manufactured from scrap and we wish to have a control over it.

Steel units are concentrated at one place. We hope that we can increase the production of steel by decentralising the steel units. We can produce sponge steel of good quality from coal. Sponge steel would also be produced from gas in Gujarat. Low-grade coal, which is abundant in supply , is suitable for the production of sponge steel. It would completely replace the scrap, but it would take four, five or ten years to do so. With the co-operation of State Governments, we would give priority to Panchayats, Municipal Committees and builders of small houses.

Shri M.C. Daga : What is the procedure for the disposal of scrap in the Public Sector ? There is a lot of bungling.

श्री के० डी० मालवीय : सारी इस्पात मिलें काफी मात्रा में स्क्रैप और रिजेक्ट्स का उत्पादन करती हैं । उनकी नीलामी की जाती है । नीलामी की प्रक्रिया सन्तोषजनक या असन्तोषजनक हो सकती है, इस लिये हमने इस पर पुनर्विचार किया है और स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया है ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Good quality iron has been auctioned as scrap in Bhilai.

Shri K.D. Malaviya: If the Honourable Member draws my attention to any specific cases, I assure the House that matter would be enquired into. In totality we have affected improvement both in the auctioning of the scrap that is available in the steel mills and also in the distribution system.

सभापति महोदय : श्री डागा और अन्य सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि इस्पात उपलब्ध है और गैर प्राथमिकता वाले कार्यों के लिये उपयोग किया जा रहा है। यह इस्पात उन्हें किस प्रकार मिलता है और आप इसे किस प्रकार विनियमित कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हम अपने बिलेट रोलिंग मिल में इसे विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु तथ्य यह है कि हम प्राथमिकता का निर्धारण कर देते हैं, जिसके आधार पर इस्पात आवंटित किया जाता है।

सरकार ने इस्पात और सीमेंट की खपत को कम करने की दृष्टि से बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है, इससे वितरण में असन्तुलन समाप्त हो जाएगा।

हमारा प्रयास यह है कि छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को यथासम्भव पूरा किया जाए और अधिक संख्या में वितरण केन्द्रों की स्थापना करके वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

कीमतों में भी असन्तुलन है। जो इस्पात मिलों से सीधे इस्पात प्राप्त करते हैं, इन्हें उन लोगों की अपेक्षा कम कीमत देनी पड़ती है, जो स्टाक-यार्ड से इस्पात प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्टाक यार्ड संगठन पर भी खर्च आता है। मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि मूल्य व्यवस्था में अन्तर को किस प्रकार कम किया जा सकता है ? मुझे आशा है कि इससे वितरण व्यवस्था में सुधार होगा और इस्पात उत्पादन की स्थिति में भी सुधार होगा।

Shri M.C. Daga : My specific question has not been answered. I had asked as to how many people had been challaned, prosecuted, jailed and punished during the last two-three years ?

What is Government's reaction to the committee's recommendation that Government should review carefully the margin of remuneration allowed for sales from stock-yard so as to reduce it to the minimum in respect of categories of steel which are used mostly by the small scale industries ?

Mr. Chairman : He has already said as to what steps are being taken to reduce the price of steels sold through stock-yards and direct from the mills.

Shri K.D. Malaviya : The expenses on stock-yards has also to be taken into consideration. But people do not have any objection to pay two hundred to three hundred rupees more.

Secondly, we have challaned hundreds of people. We also suspend the right of distribution of such people for a period of three years to five years. We also cancel the licences. Prosecution is also launched under the essential Commodities Act. At present, I do not have the information as to the number of people being prosecuted out of 400 or 500 people apprehended. In my view, the working of Regional Distribution Centres is satisfactory.

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 24 अगस्त, 1974/2 भाद्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Saturday, August 24, 1974/Bhadra 2, 1896 (Saka),

MGIPNLK—7/Lok Sabha,'74—6-1-75—490